**BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 429 OF 2025**

IN THE MATTER OF:

AJAY PRATAP SINGH …. APPLICANT

VERSUS

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS.

…. RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit on behalf of Respondent no. 1, Kanpur Development Authority	1-14
2.	**Annexure R1/1** A true copy of the handing over letter	15-16
3.	**Annexure R1/2** A true copy of the site plan	17
4.	**Annexure R1/3** A true copy of the letter dated 15.09.1998	18-20
5.	**Annexure R1/4** A true copy of the unapproved survey map	21-22
6.	**Annexure R1/5** A true copy of the first information report dated 07.07.2025	23
7.	**Annexure R1/6** A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025	24
8.	**Annexure R1/7** A true copy of the letter dated 07.08.2025	25
9.	**Annexure R1/8** A true copy of the first information report dated 07.07.2025	26
10.	**Annexure R1/9** A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025	27

11.	**Annexure R1/10** A true copy of the letter dated 07.08.2025	28
12.	**Annexure R1/11** A true copy of the reply dated 21.08.2025	29-78
13.	**Annexure R1/12** A true copy of Reports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3	79-80
14.	**Annexure R1/13** A true copy of the order dated 17.09.2025	81-83
15.	**Annexure R1/14** A true copy of the first information report dated 07.07.2025	84
16.	**Annexure R1/15** A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025	85
17.	**Annexure R1/16** A true copy of the letter dated 07.08.2025	86
18.	**Annexure R1/17** A true copy of the reply	87-111
19.	**Annexure R1/18** A true copy of Reports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3	112-113
20.	**Annexure R1/19** A true copy of the first information report dated 07.07.2025	114
21.	**Annexure R1/20** A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025	115
22.	**Annexure R1/21** A true copy of the letter dated 07.08.2025	116
23.	**Annexure R1/22** A true copy of the reply dated 21.08.2025	117-181
24.	**Annexure R1/23** A true copy of Reports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3	182-183
25.	**Annexure R1/24** A true copy of the first information report dated 07.07.2025	184

26.	**Annexure R1/25** A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025	185
27.	**Annexure R1/26** A true copy of the letter dated 07.08.2025	186
28.	**Annexure R1/27** A true copy of the reply dated 21.08.2025	187-235
29.	**Annexure R1/28** A true copy of Reports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3	236-237
30.	**Annexure R1/29** A true copy of the first information report dated 07.07.2025	238
31.	**Annexure R1/30** A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025	239
32.	**Annexure R1/31** A true copy of the letter dated 07.08.2025	240
33.	**Annexure R1/32** A true copy of the reply dated 18.08.2025	241-244
34.	**Annexure R1/33** A true copy of Reports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3	245-246
35.	**Annexure R1/34** A true copy of the order dated 10.11.2025 passed by the Hon'ble Allahabad High Court in PIL No. 3472 of 2025	247-248

THROUGH

DATE: 20.11.2025

PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.1
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP53454178947069X

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP53454178947069X
Certificate Issued Date	:	20-Nov-2025 01:24 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14332404/ KANPUR SADAR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14332404037548585212 83X
Purchased by	:	EXECUTIVE ENGINEER ZONE 3 KDA KANPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	EXECUTIVE ENGINEER ZONE 3 KDA KANPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	EXECUTIVE ENGINEER ZONE 3 KDA KANPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY GOVT. OF INDIA MUKESH KUMAR SRIVASTAVA Advocate Kanpur Nagar (U.P.) Regd. No. 19649/2020

Please write or type below this line

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 429 OF 2025

<u>IN THE MATTER OF:</u>

AJAY PRATAP SINGH .... APPLICANT

VERSUS

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS.

.... RESPONDENTS

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 429 OF 2025

<u>IN THE MATTER OF:</u>

AJAY PRATAP SINGH .... APPLICANT

VERSUS

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY& ORS. .... RESPONDENTS

<u>REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1, KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY</u>

I, Madhvi KushwahaD/o Rajendra Prasad Kushwaha aged about 29 years, presently posted as Executive Engineer in- charge in Kanpur Development Authority do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am fully conversant with the facts of the case and in the abovementioned official capacity I am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That the averments made in the captioned Original Application may be treated as denied unless specifically admitted herein. The said averments made be treated as denied if even if they are not specifically traversed in the present Affidavit. Nothing in the present Original Application or the documents annexed therewith may be treated as admitted unless specifically done so in the present Affidavit.

3. That the issue in the present case relates to land bearing Plot no. 559, Block W-1, Scheme No. 2,Juhi Kalan, Saket Nagar, Kanpur City, Uttar Pradesh,admeasuring1.11 acres ("subject plot").

4. That the Respondent No. 1, Kanpur Development Authority, has been constituted under Section 4 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 as a Development Authority for the purposes of town planning and urban development in the city of Kanpur. It has an objective of promoting and securing the development of the development area according to plan.

5. That the Respondent No. 1 Authority is committed to maintaining the sanctity of the park established in the plot in question, in compliance with law, and as per the provisions of the Uttar Pradesh Parks, Playgrounds and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975.

6. That the subject plot is located on land parcels numbered 699, 372, 371, and 700 of W-1 Juhi Kalan, Kanpur Nagar. According to the records of the Respondent No. 1 Authority, the entire area of land parcels numbered 699, 372, 371, and 700 of Juhi Kalan village was acquired vide Award No. 1, dated 16.10.1958, and possession was obtained on 18.10.1958. The subject plot is owned by the Respondent No. 1 Authority. The subject plot had been handed over to Kanpur Nagar Nigam for maintenance purposes

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd No. 19649/2020
GOVT. OF INDIA

since 1978. A true copy of the handing over letter is annexed hereto and marked as **Annexure R1/1.**

7. That as per the site plan signed by the Executive Engineer, Planning of the Respondent No. 1 Authority on 31.01.1967, the land use of Plot No. 559, Block-W-1, Scheme 2, Juhi Kalan, Kanpur Nagar, area 1.11 acres of land is shown as Park. A true copy of the site plan is annexed hereto and marked as **Annexure R1/2.**

8. That the plot number-559, area 1860 sq.m., being the park in question was allotted to M/s Dr. Brij Kishore Dubey Memorial School on 15.09.1998 by the then Chief Engineer for maintenance for 10 years, which after the expiry of the period in the year 2008 has not been renewed by Kanpur Development Authority. A true copy of the letter dated 15.09.1998 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/3.**

9. That during demarcation it was observed that that Dr. Brij Kishori Dubey Memorial School is built on Plot No. 559 with an area of 1417.94 sq.m. On the remaining part, 04 residential houses, Homeopathic Hospital and Basketball Ground are situated. The park situated on Plot No. 559 is a 1680 sq.m. notified park by the Kanpur Nagar Nigam. A true copy of the unapproved survey map is annexed hereto and marked as **Annexure R1/4.**

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
GOVT. OF INDIA
20/11/2025

10. That on the basis of complaint received, an inspection of the subject plot was conducted by officials of the Respondent No. 1 Authorityin July 2025.

11. That since encroachments were found on land which is under the ownership of the Respondent No. 1 Authority, action has been initiated against the encroachers under the relevant provisions of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 ("the Act").

Smt. Kusum Awasthi, R/o Plot No. 559, W-1, Juhi Kalan, Kanpur Nagar

12. That a first information report dated 07.07.2025 was submitted by the junior engineer of Engineering Zone- 3 under S. 26A(4) of the Act mentioning that "The ground floor of approximately 225 square yards area is already constructed and occupied. Land ownership records have not been shown."A true copy of the first information report dated 07.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/5.**

13. That a show cause notice was sent through office letter dated 19.07.2025, in which the defendant was given an opportunity to submit her reply by fixing the date of 30.07.2025 for hearing.A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/6.**

14. That the respondent neither appeared nor filed any reply.

MUKESH KUMAR SRIVASTAVA Advocate Kanpur Nagar (U.P.) Regd. No. 196-9/2020 NOTARY GOVT. OF INDIA 20-11-2025

15. That in order to provide another opportunity to the respondent in the interest of justice, a hearing notice was again sent through office letter dated 07.08.2025, in which the respondent was again given an opportunity to submit her reply by fixing the date of 21.08.2025 for hearing. A true copy of the letter dated 07.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/7.**

16. That despite this, the respondent neither appeared nor filed any reply before the Respondent No. 1/ Authority.

Shri Thakur Rama Shanker & Ors. R/o Plot No. 559, W-1, Juhi Kalan, Kanpur Nagar

17. That a first information report dated 07.07.2025 was submitted by the junior engineer of Engineering Zone- 3 under S. 26A(4) of the Act mentioning that there were constructions on the land which were occupied and no records of ownership had been shown. A true copy of the first information report dated 07.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/8.**

18. That a show cause notice was sent through office letter dated 19.07.2025, in which Shri Thakur Rama Shanker was given an opportunity to submit his reply by fixing the date of 30.07.2025 for hearing. A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/9.**

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No. 15649/2020
GOVT. OF INDIA

19. That Shri Thakur Rama Shankerneither appeared nor filed any reply.

20. That in order to provide another opportunity to Shri Thakur Rama Shankerin the interest of justice, a hearing notice was again sent through office letter dated 07.08.2025, in which he was again given an opportunity to submit his reply by fixing the date of 21.08.2025 for hearing.A true copy of the letter dated 07.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/10.**

21. That in response to the said letter, a reply dated 21.08.2025 was submitted by Shri Thakur Rama Shanker. A true copy of the reply dated 21.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/11.** A true copy ofReports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/12.**

22. That Writ Petition No. 31544/2025 titled as 'Thakur Rama Shankar vs State of UP and others'was filed before the Hon'ble Allahabad High Court, which was disposed of vide order dated 17.09.2025. A true copy of the order dated 17.09.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/13.**

23. That the Hon'ble High Court had directed as follows:

"For a period of two months or till the disposal of said objection, which ever is earlier, the parties shall maintain status quo as on

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No. 19649/2020
GOVT. OF INDIA

today qua the property in dispute and the petitioner is also restrained to create any third party interest or raise any further construction over the disputed property."

Dr. Ram Kumar, R/oPlot No. 559, W-1, Juhi Kalan, Kanpur Nagar

24. That a first information report dated 07.07.2025 was submitted by the junior engineer of Engineering Zone- 3 under S. 26A(4) of the Act mentioning that there were constructions on the land which were occupied and no records of ownership had been shown. A true copy of the first information report dated 07.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/14.**

25. That a show cause notice was sent through office letter dated 19.07.2025, in which Dr. Ram Kumar was given an opportunity to submit his reply by fixing the date of 30.07.2025 for hearing.A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/15.**

26. That Dr. Ram Kumar neither appeared nor filed any reply.

27. That in order to provide another opportunity to Dr. Ram Kumar in the interest of justice, a hearing notice was again sent through office letter dated 07.08.2025, in which he was again given an opportunity to submit his reply by fixing the date of 21.08.2025 for hearing. A true copy of the letter dated 07.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/16.**

NOTARY MUKESH KUMAR SRIVASTAVA Advocate Kanpur Nagar (U.P.) Regd. No. 10649/2020 GOVT. OF INDIA

28. That a reply was filed by Dr. Ram Kumar. A true copy of the reply is annexed hereto and marked as **Annexure R1/17.** A true copy ofReports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/18.**

Smt. Shashibala W/o Shri Vivek Kumar, R/o Plot No. 559, W-1, Juhi Kalan, Kanpur Nagar

29. That a first information report dated 07.07.2025 was submitted by the junior engineer of Engineering Zone- 3 under S. 26A(4) of the Act mentioning that there were constructions on the land which were occupied and no records of ownership had been shown. A true copy of the first information report dated 07.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/19.**

30. That a show cause notice was sent through office letter dated 19.07.2025, in which Smt. Shashibala was given an opportunity to submit her reply by fixing the date of 30.07.2025 for hearing.A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/20.**

31. That Smt. Shashibala neither appeared nor filed any reply.

32. That in order to provide another opportunity to Smt. Shashibala in the interest of justice, a hearing notice was again sent through office letter dated 07.08.2025, in which she was again given an opportunity to submit her reply by fixing the date of 21.08.2025

20-11-2025

MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regn. No. 1969/2020
GOVT. OF INDIA

for hearing. A true copy of the letter dated 07.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/21.**

33. That a reply dated 21.08.2025 was filed by Smt. Shashibala. A true copy of the reply dated 21.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/22.** A true copy ofReports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/23.**

Manager, Dr. Brij Kishori Dubey Memorial School, Plot No. 559, W-1, Juhi Kalan, Kanpur Nagar

34. That a first information report dated 07.07.2025 was submitted by the junior engineer of Engineering Zone- 3 under S. 26A(4) of the Act mentioning that the school was operational on about 1700 sq. yardsand no records of ownership had been shown. A true copy of the first information report dated 07.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/24.**

35. That a show cause notice was sent through office letter dated 19.07.2025, in which the school was given an opportunity to submit reply by fixing the date of 30.07.2025 for hearing.A true copy of the show cause notice dated 19.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/25.**

36. That the manager of the school neither appeared nor filed any reply.

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No. 15649/2020
GOVT. OF INDIA

37.That in order to provide another opportunity to the school in the interest of justice, a hearing notice was again sent through office letter dated 07.08.2025, in which it was again given an opportunity to submit its reply by fixing the date of 21.08.2025 for hearing. A true copy of the letter dated 07.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/26.**

38.That a reply dated 21.08.2025 was filed by the school. A true copy of the reply dated 21.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/27.** A true copy ofReports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/28.**

Dr. Abhishek Dixit, R/o Plot No. 559, W-1, Juhi Kalan, Kanpur Nagar

39.That a first information report dated 07.07.2025 was submitted by the junior engineer of Engineering Zone- 3 under S. 26A(4) of the Act mentioning that boundary wall and gate had been constructed on about 500 sq. yards and no records of ownership had been shown. A true copy of the first information report dated 07.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/29.**

40.That a show cause notice was sent through office letter dated 19.07.2025, in which Dr. Dixit was given an opportunity to submit his reply by fixing the date of 30.07.2025 for hearing.A

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No. 19649/2020
GOVT. OF INDIA

true copy of the show cause notice dated 19.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/30.**

41. That Dr. Dixit neither appeared nor filed any reply.

42. That in order to provide another opportunity to Dr. Dixit in the interest of justice, a hearing notice was again sent through office letter dated 07.08.2025, in which he was again given an opportunity to submit his reply by fixing the date of 21.08.2025 for hearing. A true copy of the letter dated 07.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/31.**

43. That a reply dated 18.08.2025 was filed by Dr. Dixit. A true copy of the reply dated 18.08.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/32.** A true copy ofReports of Land Bank Zone-3 and Sale Section Zone-3 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/33.**

44. That PIL No. 3472 of 2025 titled as 'Saurabh Bhaduria vs State of U.P. & Ors.' is pending before the Hon'ble Allahabad High Court with regard to the same issue. A true copy of the order dated 10.11.2025 passed by the Hon'ble Allahabad High Court in PIL No. 3472 of 2025 is annexed hereto and marked as **Annexure R1/34.**

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No. 19649/2020
GOVT. OF INDIA

45. That the answering Respondent has initiated action as per law with regard to the encroachments found on the land and the same is in process.

46. That the above response of Respondent No. 1 is submitted before this Hon'ble Tribunal for its perusal and necessary consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Kanpur on this 20 day of November 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
MUKESH KUMAR SRIVASTAVA
Advocate
Kanpur Nagar (U.P.)
Regd. No. 19549/2020
GOVT. OF INDIA

20-11-2025
Madhvi Kushwaha
20-11-2025

आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

नाम / Name
MADHVI KUSHWAHA

पिता का नाम / Father's Name
RAJENDRA PRASAD KUSHWAHA

जन्म की तारीख / Date of Birth
06/09/1996

Madhvi Kushwaha

14072018

PAN Application Digitally Signed, Card Not Valid unless Physically Signed

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लौटाएं:
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,
प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,
मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे - 411 016.

If this card is lost / someone's lost card is found, please inform / return to :

Income Tax PAN Services Unit, NSDL
5th Floor, Mantri Sterling,
Plot No. 341, Survey No. 997/8,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune - 411 016.

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

NOTARY
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE R1/1

कानपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं का हस्तान्तरण प्रपत्र

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई निम्नलिखित कालोनियॉ हरिकिशन् नगर, अन्नपूर्णा इन्क्लेव, पार्षद नगर, आशियाना जाजमऊ, बी0एस0यू0पी0 योजना काकादेव, जरौली फेस-2, जरौली विस्तार, जरौली फेज-1 खाण्डेपुर, वसुधा विहार, वैदेही विहार, वैष्णवी विहार, अर्रा बिनगवॉ, खाण्डेपुर के0डी0ए0 कालोनी, गुंजन विहार, जूही ब्लाक डब्लू-2, एवं सैनिक विहार आदि समस्त क्षेत्र, गंगा पुर मछरिया, स्वर्ण जयन्ती बिहार (कोयला नगर) फेज-1,3 व 4, स्वर्ण जयन्ती बिहार (कोयला नगर) फेज-5,6,7 व 9 पूर्ण रुप से व 8 का आधा भाग, चन्द्र नगरी, स्वर्ण जयन्ती विस्तार पार्ट 1 व 2, दीनदयाल पुरम (तोदक पुर), सनिगवॉ योजनाओं की वाटर लाइन, सीवर लाइन, सम्पवेल, ट्यूबवेल, पम्प हाउस एवं ओवर हेड टैंक तथा तात्या टोपे नगर, दबौली वेस्ट, दामोदर नगर की सीवर लाइन व वहेली सुजान पुर की वाटर लाइन से सम्बन्धित कार्यो का हस्तानान्तरण जलकल विभाग नगर निगम कानपुर को आज दिनांक 11-12-2014 को किया जाता है। उक्त कालोनियों में जलकल विभाग से सम्बन्धित अवशेष कार्यों हेतु धनांक रु0 2600.00 लाख (रु0 छब्बीस सौ लाख मात्र) चैक संख्या 967249 दिनांक 11.12.2014 के माध्यम से जलकल विभाग, नगर निगम कानपुर को प्रेषित किया जा रहा है। आज दिनांक 11-12-2014 से उपरोक्त कालोनियों के रख-रखाव का दायित्व जलकल विभाग, नगर निगम कानपुर का होगा।

अधिशासी अभिंयता, कानपुर विकास प्राधिकरण
जोन-

1- [signature]
2- [signature]
3- [signature]
4- [signature]

[signature]
वि0 / यॉ0

[signature]
मुख्य अभियंता-प्र0
कानपुर विकास प्राधिकरण

[signature]
उपाध्यक्ष
कानपुर विकास प्राधिकरण

अधिशासी अभिंयता, जलकल विभाग नगर निगम कानपुर
जोन-

1- आर0 राजवीर [signature]
2- एस0 के0 [illegible] [signature]
3- भूपि0 के0 पाठक [signature]
4- योगेन्द्र कुमार [signature]
5- रज0 स0 [signature]
6- B. SINGH [signature]

[signature]
सचिव
जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

[signature]
महाप्रबन्धक
जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

कानपुर विकास प्राधिकरण

संख्या: 104/ के० डी० ए० /144/ सम्पत्ति /78

दिनांक 30-5-78

आदेश

मैं एस० एस० सिध्दु उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट, 1973 की धारा 34 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर के निम्न लिखित क्षेत्र, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक विकास कार्य पूरे कराये जा चुके हैं तथा महापालिका जोनों से इन क्षेत्रों के गृह स्वामियों से गृहकर जलकर तथा जल-निस्तारण कर वसूल कर रही है, महापालिका की सड़क, सीवर जल- निस्तारण, स्ट्रीट लाइटिंग इत्यादि सुविधाओं में उचित रख रखाव हेतु हस्तान्तरित करता हूँ :-

(1) काकादेव क्षेत्र:-ब्लाक संख्या सी० एच० एच०-1 एन० ओ० के० मार्केट शारदा, एचन मार्केट (सर्वोदय नगर) काकादेव आबादी आदि) तथा शास्त्री नगर व बिजय नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र ।

(2) गोविन्द नगर:-सम्पूर्ण क्षेत्र श्रम तथा स्लम कालोनीज सहित, दादानगर, सेवाग्राम एवं मिल्क डेरी से जाजमऊ मार्ग के मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें डब्लू वन ब्लाक, निरालानगर तथा श्रम एवं स्लम कालोनीज सम्मिलित है ।

(3) किदवई नगर:- ब्लाक ए० से के० तक तथा एस० एम० एच, 0 एच0 1, एच0 2, ब्लाक से श्रम कालोनीज का सम्पूर्ण क्षेत्र, बाबूपुरवा, ट्रान्सपोर्ट नगर बगाही, अजीत गंज क्षेत्र ।

(4) जाजमऊ क्षेत्र:- हरजेन्द्र नगर, एन०-2 क्षेत्र व लोमपुरवा का क्षेत्र ।

(5) पुराना कानपुर- सम्पूर्ण क्षेत्र ।

[illegible] तथा फैक्ट्री [illegible] सम्पूर्ण क्षेत्र ।

(6) पी० एण्ड टी 0 ब्लाक तथा फैक्ट्री [illegible] सम्पूर्ण क्षेत्र ।

(7) पनकी इन्डस्ट्रियल क्षेत्र:- यू० पी० इन्डस्ट्रियल स्टेट व यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स स्टेटे को दिया गया क्षेत्र मय ज्ञान प्रकाश [illegible]। इन संस्थानों द्वारा ही इन क्षेत्रों का भीतरी विकास कार्य सम्पादित कराया गया है ।

ह० एस० एस० सिध्दु
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि प्राधिकरण के समस्त विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ

(1) प्रतिलिपि प्राधिकरण के समस्त विभागीय अधिकारियों को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

(2) उप प्रशासक महोदय महापालिका को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

ह० जे० के० त्रिवेदी
आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट(पर्सोनेल)

ANNEXURE R1/2

कानपुर नगर महापालिका,

क्रम संख्या 11/67

जमीन का चित्र

भूमि का चित्र नम्बर 559

JUHI-KALAN

भूमि का क्षेत्रफल 1·11

एकड़ 3.101.

योजना संख्या II

ब्लाक नम्बर W/1

प्रयोग—PARK

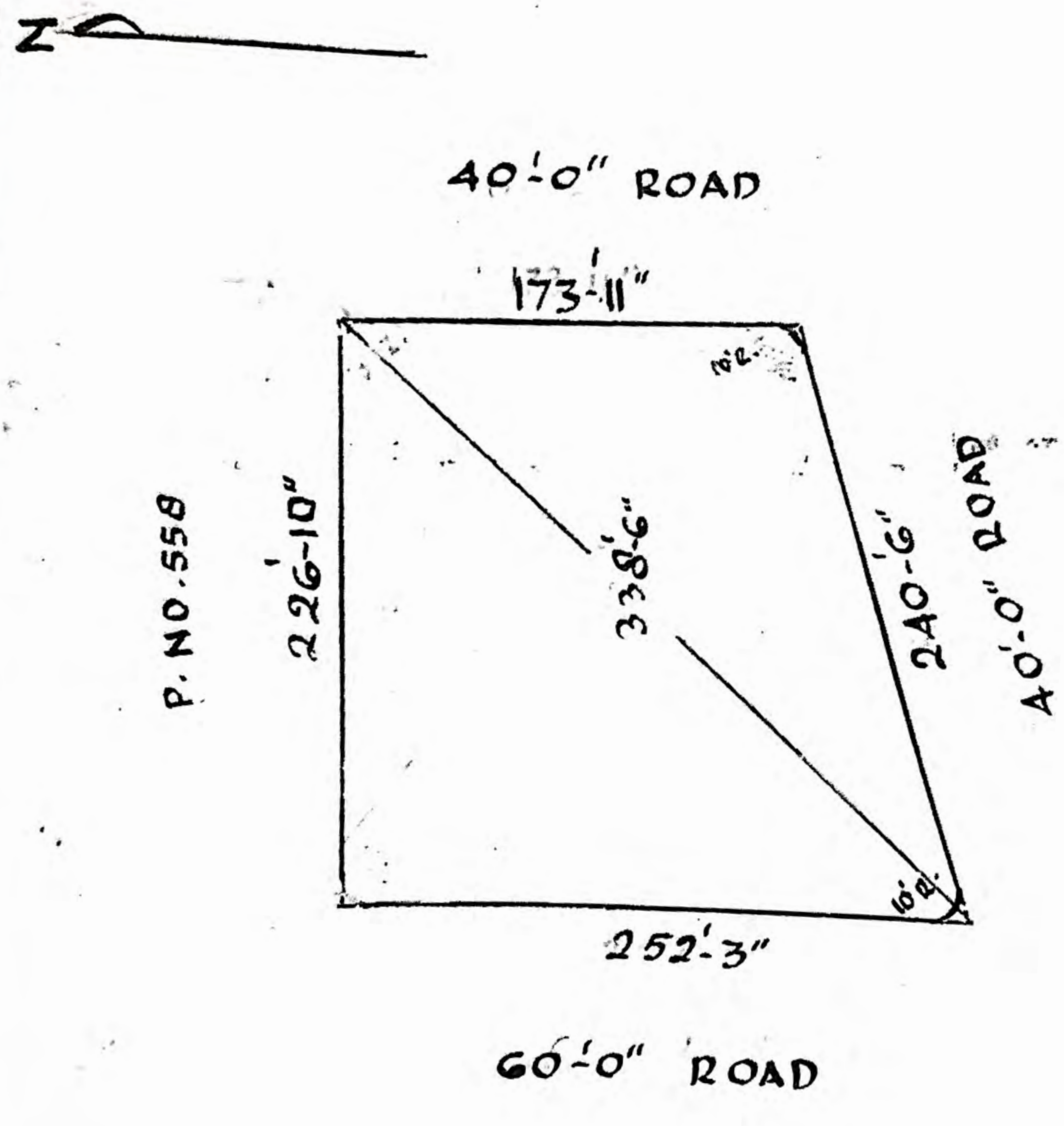

मौके की जांच करने वाले :– S.S. Shukla 27/1/67

क्षेत्रफल की जांच करने वाले :– K Mandla 27/1/67

नकशा निर्माता :– J.L. Agrawal

नकशा विभाग अधीक्षक :– R.S. Saula 27.1.67

Nifuy 31.1.67
अधिशाषी अभियन्ता नियोजन

ANNEXURE R1/3

(9)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
कानपुर विकास प्राधिकरण

संख्या डी-2-A-3/ मु०अ०/ का०वि०प्रा०/98-99 दिनांक 15/8/98

प्रेषित श्री बाबू किशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल,
127/590, डब्लू-1, साकेत नगर,
कानपुर ।

विषय:- पार्क संख्या 559 साकेत नगर, कानपुर का आवंटन ।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 5-9-98 के संदर्भ में पार्क संख्या 559 साकेत नगर आपकी संस्था को रखरखाव आगामी 10 वर्ष के लिये प्रबंध करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन आवंटित किया जाता है :-

1- उक्त पार्क का स्वामित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का बना रहेगा।

2- संस्था को यह पार्क बेहतर प्रबंध एवं व्यवस्था के लिये दिया जा रहा है एवं अच्छा कार्य करने पर इसे 10 वर्ष के बाद पुनः अगले 10 वर्ष के लिये नवीनीकृत कर दिया जायेगा ।

3- संस्था अपने व्यय अथवा कालोनिवासियों [illegible] पार्क में आवश्यक सुविधायें विकसित करेगी तथा वहाँ पर आवश्यकतानुसार बिजली, पानी, माली आदि की जिम्मेदारी संस्था की होगी ।

4- संस्था इस पार्क को सार्वजनिक पार्क के रूप में प्रबंध करेगी । इसमें प्रवेश के लिये किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जायेगा । यदि शुल्क लगाये जाने की भविष्य में आवश्यकता हुई तो प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी । संस्था अपने स्कूल के बच्चों के उपयोग के लिये निश्चित समय में पार्क को उपयोग करने के लिये अधिकृत होगी किन्तु यह समय एक दिन में 6 घंटे से अधिक का नहीं होगा तथा इसका उल्लेख पार्क के बाहर स्थायी रूप से अंकित कर दिया जायेगा

5- संस्था पार्क की बाहर दीवारी में 2.5 फिट से ज्यादा ऊँची दीवार नहीं बनायेगी । उसके ऊपर स्वतः डिजाइन करके ग्रिल या इस प्रकार की व्यवस्था करेगी जिससे बाहर से यह पार्क अवलोकित हो ।

6- पार्क के अन्दर किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं किया जायेगा । यदि कोई निर्माण डिजाइन के मुताबिक आवश्यक हुआ तो उसके सम्बंध में प्राधिकरण की पूर्वानुमति आवश्यक होगी ।

7- ग्रिल के ऊपर यथावत संस्था अपना नाम अधिकतम 2 x 1 [illegible] पर प्रबंधकर्ता के रूप में निःशुल्क प्रदर्शित कर सकती है ।

------ 2

- 2 -

उपरोक्त शर्तों का यदि उल्लंघन होता है तो प्राधिकरण कभी भी पार्क अपने प्रबंध में वापस लेने के लिये अधिकृत होगा ।

अस्तु अपेक्षा है कि आप उपरोक्त पार्क को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराकर इसकी सूचना प्राधिकरण को उपलब्ध करायें ।

(टी०पी०एस०त्यागी)
मुख्य अभियन्ता ।

प्रतिलिपि:-

1- उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2- सचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3- संयुक्त सचिव (जोन-3)/अधिशासी अभियन्ता (जोन-3बी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य अभियन्ता

Dr. Brij Kishori Dubey Memorial School
127/590 W-1, Saket Nagar,
Kanpur-208 014
Ph.: 272589, 273462

Date 5-9-98

Ref.............

TO,
THE [illegible]
KAN[illegible]
KAN[illegible]

SUBJE[illegible] [illegible] CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF
[illegible] SAKET NAGAR

SIR,

[illegible] that from a news item published in the Dai[illegible] [illegible]/08/98 it is learnt that K.D.A. has [illegible] civil organisations in the maintenance [illegible] certain forlorn parks of the city with [illegible] [illegible]ntation from the environmental angle [illegible] of the city. It is further understood that [illegible] happens to fall in such category.

[illegible] that the said park may kindly be all[illegible] institution for its construction and proper [illegible] on the terms and conditions of K.D.A.

The institution undertakes to ensure full compliance of the said terms & conditions.

Kindly condescend to issue necessary order in this matter.

Thanking you

Yours faithfully

(Auth. Sign.)

for

DR. BRIJ KISHORI DUBEY MEMORIAL SCHOOL
127/590,W-1,SAKET NAGAR
KANPUR

9/9/98

Dr. Brij Kishori Dubey Memorial Society
127/428 'U' Nirala Nagar, Kanpur - 208 014

ANNEXURE R1/4

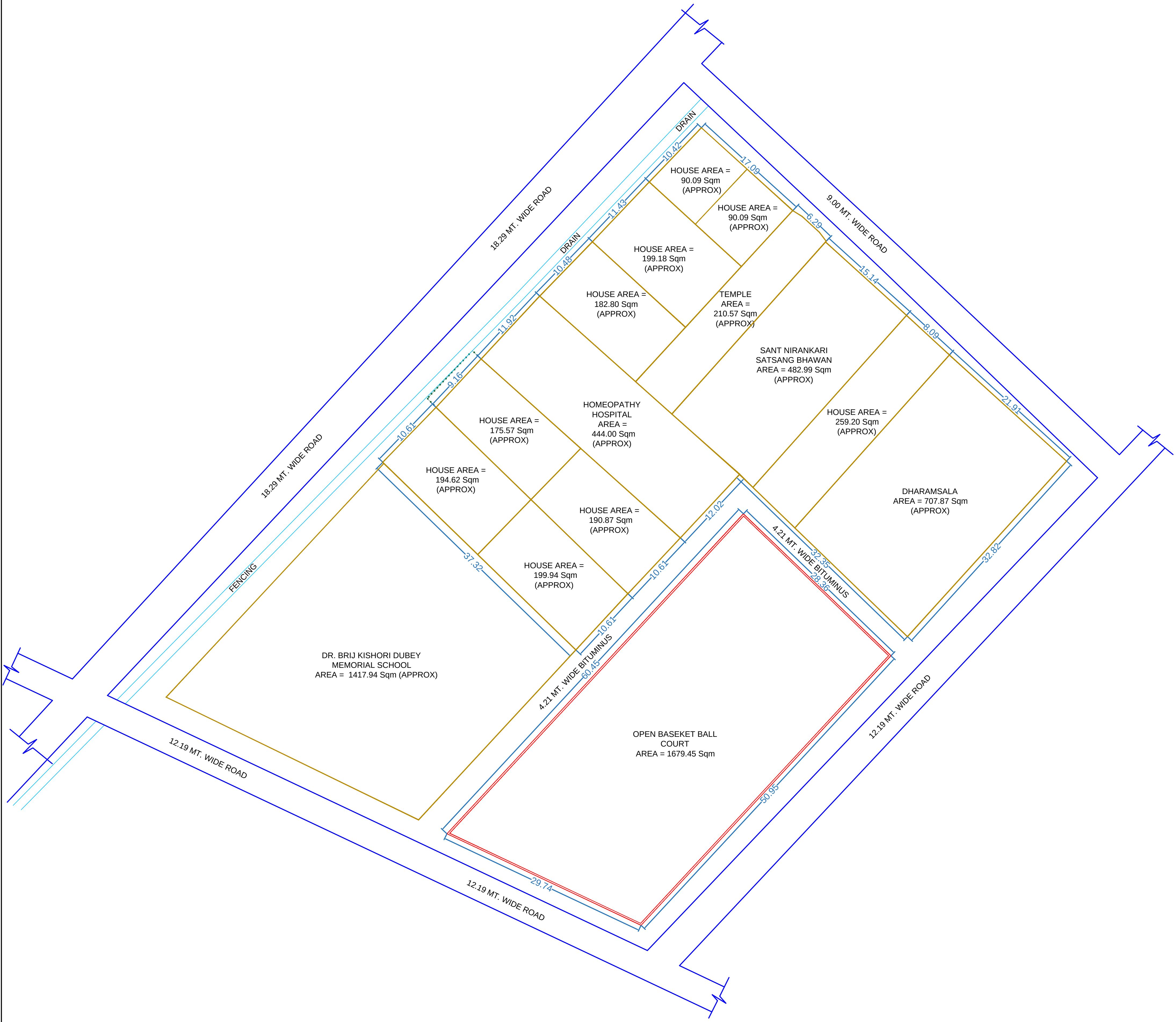

DRAWING TITLE:

TOTAL STATION SURVEY OF EXISTING AREA OF SAKET NAGAR AT KANPUR

LEGEND	
LIGHT POLE	
B.T./CC ROAD	
ROAD DEVIDER	
BOUNDARY LINE	
TREE	
WALL	
TRANSFORMER	
ELECTRIC POLE	
FENCE	
PLATFORM	
TBM	
RCC BUILDING	
TEMPORARY BUILDING / SHED	

SCALE

SURVEY AREA: 7666.32 Sqm

NORTH

NOTE:
3. Contour Interval 0.25 M.
4. Grid Are In 05 x 05 Meter
5. All Dimension Are In Meter

STAMP SIGN:

CLIENT: KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

CONSULTANT: AARCHIKAARI DESIGN STUDIO
F O1 LIG PHASE -1 TATYA TOPE NAGAR
KANPUR - 208022

SURVEY BY	CHECKED BY:	WORK ORDER No.:		
Aditya rawat	Ar. AHISHESH KUMAR			
SIZE-A1 / SCALE NTS	DWG.NO.: CNT-KDA-2025	DATE: 05-JULY-2025	SHEET 01/01	REV. R0

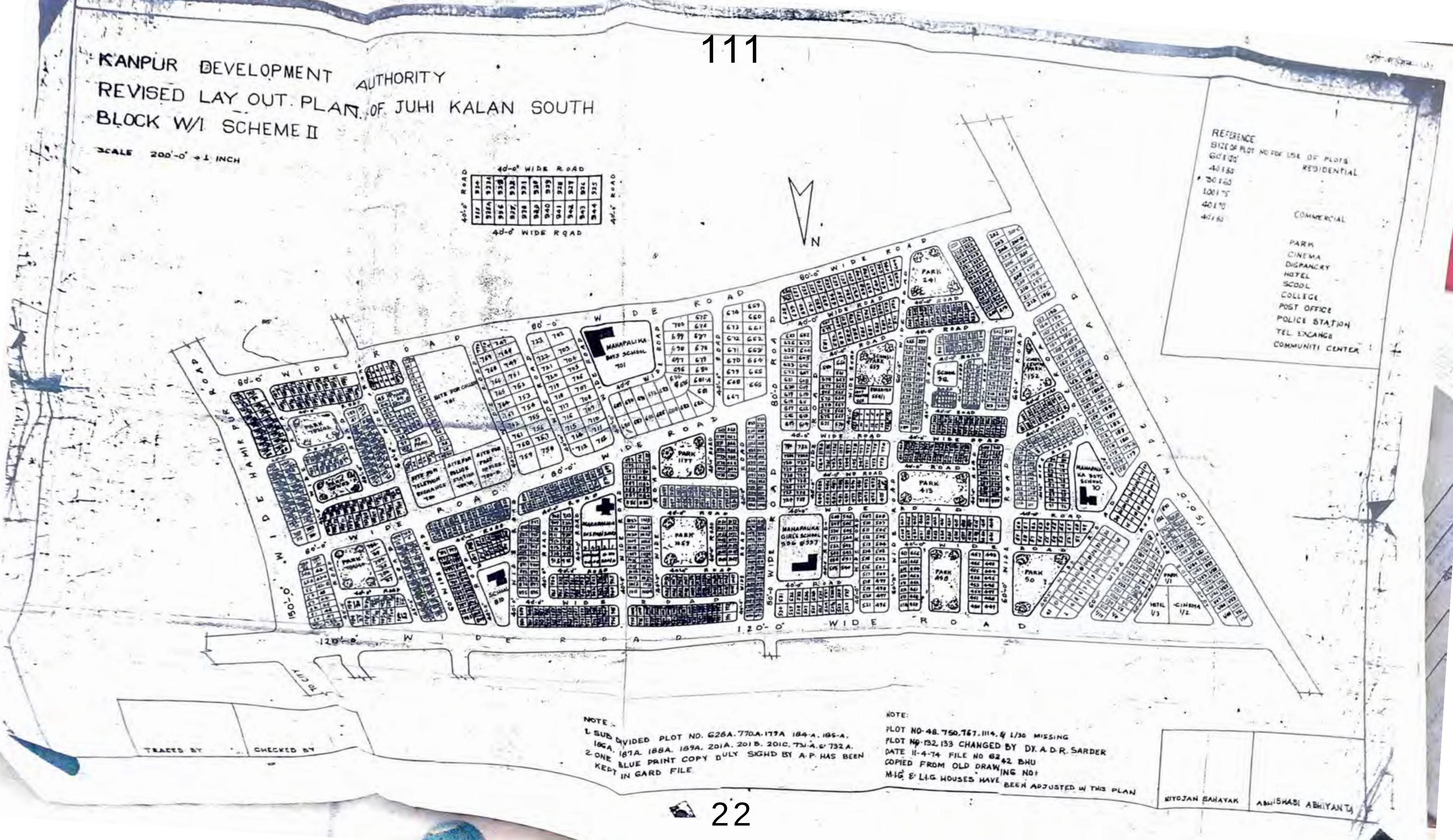
KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
REVISED LAY OUT PLAN OF JUHI KALAN SOUTH
BLOCK W/1 SCHEME II
SCALE 200'-0' = 1 INCH
40'-0' WIDE ROAD
N
REFERENCE
SIZE OF PLOT
RESIDENTIAL
COMMERCIAL
PARK
CINEMA
DISPANCRY
HOTEL
SCOOL
COLLEGE
POST OFFICE
POLICE STATION
TEL. EXCANGE
COMMUNITI CENTER
80'-0' WIDE ROAD
120'-0' WIDE ROAD
150'-0'
60'-0' WIDE ROAD
HAMIRPUR ROAD
MAHAPALIKA BOYS SCHOOL 701
SITE FOR COLLEGE 781
SITE FOR TELEPHON EXCHANGE
SITE FOR POLICE STATION
SITE FOR POST OFFICE
PARK 1177
PARK 1157
PARK 241
PARK 413
PARK 418
PARK 50
MAHAPALIKA GIRLS SCHOOL
HOTEL 1/3
CINEMA 1/2
TO CITY
TRACED BY
CHECKED BY
NOTE:
1. SUB DIVIDED PLOT NO. 628A. 770A. 179A 184-A. 185-A. 186A. 187A. 188A. 189A. 201A. 201B. 201C. 731-A & 732 A.
2. ONE BLUE PRINT COPY DULY SIGHD BY A.P. HAS BEEN KEPT IN GARD FILE
NOTE:
PLOT NO-48. 750. 767. 1114. & 1/30 MISSING
PLOT NO-132, 133 CHANGED BY DY. A.D.R. SARDER
DATE 11-4-74 FILE NO 6242 BHU
COPIED FROM OLD DRAWING NO.
M.I.G. & L.I.G. HOUSES HAVE BEEN ADJUSTED IN THIS PLAN
NIYOJAN SAHAYAK
ABHISHABI ABHIYANTA

ANNEXURE R1/5

का० वि० प्रा०

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

सार्वजनिक / प्राधिकरण भूमि पर अवैध कब्जा / निर्माण की प्रथम सूचना रिपोर्ट(जोन–3)

सेवा में,

अधिकृत अधिकारी अन्तर्गत धारा 26(क),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

1. निर्माण करने की सम्भावित तिथि....................लगभग 25–30 वर्ष पूर्व..........
2. निर्माण देखे जाने की तिथि..........
3. निर्माण करने की जगह..........डब्लू–1 जूही कला..........
   प्लाट संख्या.........559.............. परगना..........
   आराजी संख्या.........डब्लू–1 जूही कला तहसील..........
   ग्राम..........कानपुर नगर.......... योजना..........
4. अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा..........लगभग 225 वर्गगज क्षेत्रफल में भूतल ....पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व ....सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये।..........
5. निर्माण करने वाले का नाम व पता..........श्रीमती कुसुम अवस्थी .... परिसर नं0–559 डब्लू–1 जूही कला,.......... कानपुर नगर..........
6. प्रस्तावित कार्यवाहीः–अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये। निर्माण स्थल का नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित भूमि / सार्वजिनक भूमि के प्राधिकरण भूमि होने का प्रमाण संलग्न है।

07/07/2025

रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर / पदनाम
(मोहर सहित)

7. रिपोर्ट करने की सिफारिशः–उपरोक्तानुसार कार्यवाही की संस्तुति है।

संस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर / पदनाम
(मोहर सहित)

अधिकारी का आदेशः–कारण बताने का नोटिस भेजिये। चालान किया जाये।

नोटः–उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश 31 / कार्मिक / का0वि0प्रा0 / 14–15 दिनांक 19.04.2014 द्वारा अधिकार व कर्तव्य मुझको प्रतिनिधनित (डेलीगेट) कर दिये गये है।

अधिशाषी अभियन्ता(प्रवर्तन जोन–3)

ANNEXURE R1/6

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

का0 वि0 प्रा0

पत्रांकः–डी/836 /प्र0अ0 प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः– 19/7/25

–:कारण बताओ नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

श्रीमती कुसुम अवस्थी
परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क (4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूही कला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 225 वर्ग गज क्षेत्रफल में भू–तल पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद्द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 30/07/25 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क (4)के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

ANNEXURE R1/7

का0 वि0 प्रा0

पत्रांकः–डी/ 1012 /प्र0अधि0प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः–07/08/2025

–ःपुनः सुनवाई नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

श्रीमती कुसुम अवस्थी
नि0–परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूहीकला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 225 वर्गगज क्षेत्रफल में भू–तल पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्र दिनांक 19.07.2025 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, उक्त नोटिस के कम में आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद् द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क(4) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/8

का0 वि0 प्रा0

कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर

सार्वजनिक/प्राधिकरण भूमि पर अवैध कब्जा/
निर्माण की प्रथम सूचना रिपोर्ट(जोन–3)

सेवा में,

अधिकृत अधिकारी अन्तर्गत धारा 26(क),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

1. निर्माण करने की सम्भावित तिथि..................**लगभग 25–30 वर्ष पूर्व**..............................
2. निर्माण देखे जाने की तिथि..
3. निर्माण करने की जगह....................................**डब्लू–1 जूही कला**..............................
   प्लाट संख्या............**559**.............. परगना...
   आराजी सख्या........**डब्लू–1 जूही कला** तहसील...
   ग्राम...........................**कानपुर नगर**..................... .योजना.......................................
4. अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा...........................**लगभग 225 वर्गगज क्षेत्रफल में भूतल एवं ममटी** .... **पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व** ....**सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये।**.........
5. निर्माण करने वाले का नाम व पता.................**श्री ठाकुर रमा शंकर एवं अन्य** ....**परिसर नं0–559 डब्लू–1 जूही कला,**...................... ....**कानपुर नगर**...
6. प्रस्तावित कार्यवाही:–अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये। निर्माण स्थल का नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित भूमि/सार्वजिनक भूमि के प्राधिकरण भूमि होने का प्रमाण संलग्न है।

07/07/2025

रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर/पदनाम
(मोहर सहित)

7. रिपोर्ट करने की सिफारिश:–उपरोक्तानुसार कार्यवाही की संस्तुति है।

07/7/25

7/7/25

संस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर/पदनाम
(मोहर सहित)

अधिकारी का आदेश:–कारण बताने का नोटिस भेजिये चालान किया जाये।
नोट:–उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश 31/कार्मिक/का0वि0प्रा0/14–15 दिनांक 19.04.2014 द्वारा अधिकार व कर्तव्य मुझको प्रतिनिधनित (डेलीगेट) कर दिये गये है।

अधिशाषी अभियन्ता(प्रवर्तन जोन–3)

ANNEXURE R1/9

का0 वि0 प्रा0

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

पत्रांकः–डी/834/प्र0अ0 प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः– 19/7/25

–:कारण बताओ नोटिस:–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

श्री ठाकुर रमा शंकर एवं अन्य
नि0–प्लाट सं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क (4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूही कला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 225 वर्ग गज क्षेत्रफल में भू–तल एवं ममटी पूर्व निर्मित एवं प्रथम तल व द्वितीय तल पर आंशिक भाग में निर्माण पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व व अन्य सम्बन्धित दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नही कराए गये। सम्बन्धित भूमि प्राधिकरण भूमि है। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद्द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 30/07/25 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क (4)के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/10

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

का० वि० प्रा०

पत्रांकः–डी/1011 /प्र0अधि0प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः– 07/08/2025

–:पुनः सुनवाई नोटिस:–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

श्री ठाकुर रमा शंकर एवं अन्य
नि0–प्लाट सं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूहीकला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 225 वर्गगज क्षेत्रफल में भू–तल एवं ममटी पूर्व निर्मित एवं प्रथम तल व द्वितीय तल पर आंशिक भाग में निर्माण पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व व अन्य सम्बन्धित दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नही कराए गये। सम्बन्धित भूमि प्राधिकरण भूमि है। इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्र दिनांक 19.07.2025 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, उक्त नोटिस के कम में आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद् द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क(4) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/11

सेवा में,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी (अनुभाग– प्रवर्तन जोन– 3),
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

संदर्भ– पत्रांक डी / 1011 / प्र0 अधि0 प्रर्वतन (जोन– 3) / का0 वि0 प्रा0 / 2025–26 दिनांक 07 / 08 / 2025।

महोदय,

आपका उक्त सन्दर्भित पत्रांक / नोटिस के सम्बन्ध में मुझे निम्नवत सविनय अवगत करा रहा है –

1. यह कि आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्रांक / नोटिस में उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी को दिनांक 19 / 07 / 2025 को कारण बताओं नोटिस प्रेषित किया गया था किन्तु प्रार्थी को न तो दस्ती और न ही पंजीकृत डाक द्वारा ही कथित कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा कथित कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना सम्भव नहीं था।

2. यह कि उपरोक्त संदर्भित पत्रांक / नोटिस जिसमें कि पुन' सुनवाई के सम्बन्ध में अंकित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कथित कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 / 07 / 2025 के अभाव में अर्थात बिना वैधानिक तामीली के उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं था, ऐसी स्थिति में जब पहली सुनवाई का कोई अवसर प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ तो उस स्थिति में पुनः सुनवाई का प्रश्न ही नहीं उठता है।

3. यह कि सन्दर्भित पत्रांक / नोटिस प्रार्थी के नाम सम्बोधित है, जबकि प्रार्थी का उक्त प्रकरण से सीधा सम्बन्ध नहीं है, वास्तविकता यह है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ऊषा सिंह वैधानिक स्वत्वधारी हैं जिनके द्वारा भवन संख्या– 127 / 559 / बी –12, ब्लाक डब्लू 1, साकेत नगर, कानपुर नगर जो कि आराजी संख्या– 701 के जुज भाग पर स्थित है। श्रीमती ऊषा सिंह ने उक्त भवन को उक्त भवन की पूर्व स्वामिनी श्रीमती शकुन्तला राणा, पत्नी श्री पी0 एस0 राणा, तत्समय निवासिनी– मकान नं0 127 / 559, / बी 12, डब्लू 1,' साकेत नगर, कानपुर नगर से जरिए पंजीकृत दस्तावेज

बयनामा क्रय किया था जो बही संख्या 1, जिल्द सं0 11177 पृष्ठ सं0 203 से 242 पर क्रमांक 5730, उपनिबन्धक कार्यालय तृतीय के यहाँ दिनांक 28/05/2011 को रजिस्ट्रीकृत है। उक्त बयनामा सत्यापित स्थल निरीक्षण द्वारा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कानपुर नगर की प्रतियाँ क्रमशः संलग्नक 1 व 2 के रूप में यहाँ संलग्न है।

4. यह कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती ऊषा सिंह ने निर्मित भवन दिनांक 28/05/2011 को उसकी पूर्व स्वामिनी श्रीमती शकुन्तला राणा से क्रय किया था। जो स्थिति प्रार्थिनी की पत्नी के क्रय करने के समय उक्त भवन की थी वैसी ही स्थिति वर्तमान समय में है। किसी प्रकार का नवनिर्माण प्रार्थी की पत्नी द्वारा नहीं किया गया है। समस्त निर्माण पूर्व स्वामिनी श्री शकुन्तला राणा में सन् 1991 में प्लाट संख्या – 559 बी –12 पर, क्रय के पश्चात सन् 1991 से 1995 के मध्य कराये गये हैं जिसका कि प्रमाण श्रीमती शकुन्तला के नाम विद्युत कनेक्शन सन्1995 के पहले का है, विद्युत बिल की प्रति संलग्नक– 3 है।

5. यह कि उक्त विक्रेती श्रीमती शकुन्तला राणा द्वारा प्लाट सं0 559 बी, 12 जुजभाग आराजी संख्या– 701 स्थित जूही कलॉ, कानपुर नगर को कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, कानपुर नगर से वर्ष 1991 में क्रय किया था, जो उप निबन्धक कार्यालय में पुस्तक संख्या–1, खण्ड 954, के पृष्ठ संख्या–79 से 90 वक्रमांक 16381 पर दिनांक 18/05/1991 को रजिस्ट्रीकृत है, जो संलग्नक– 4 है

6. यह कि प्रार्थी की पत्नी सद्भावी केती है और विकेती का नाम नगर निगम अभिलेखों में दर्ज होने के पश्चात उससे प्रार्थी की पत्नी ने क्रय किया है, पूर्व स्वामिनी श्रीमती शकुन्तला राणा के सन्दर्भित भवन निर्मित कराए जाने पर कभी कोई आपत्ति नहीं की गयी। वर्तमान समय मे भवन निर्मित हुए एवं श्रीमती शकुन्तला राणा एवं श्रीमती ऊषा सिंह के कब्जा व दखल के तीस वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में संदर्भित नोटिस/पत्रांक पोषणीय नहीं है और निरस्त/रिकाल किए जाने योग्य है।

7. यह कि नगर निगम कानपुर द्वारा श्रीमती ऊषा सिंह के भवन 127/डब्लू 1(एस) /559 बी –12 की चतुर्दिक सीमाओं को भी दिनांक 16/12/2011 को प्रमाणित किया गया जिसमें भवन की मानचित्र में स्थिति एवं चौहद्दी की पुष्टि सम्बन्धित

राजस्व निरीक्षक ने निरीक्षण करने के पश्चात पुष्टि की है, जिसकी प्रति यहाँ संलग्नक– 5 है।

8. यह कि प्रार्थी की पत्नी ऊषा सिंह ने जीवन बीमा निगम से हाउसिंग लोन प्राप्त किया। हाउसिंग लोन जीवन बीमा निगम ने अपने नामित अधिवक्ता की आख्या श्रीमती शंकुन्तला राणा के स्वामित्व एवं चेन डीड से संतुष्ट होकर श्रीमती ऊषा सिंह को किया गया था, जो कि श्रीमती ऊषा सिंह के स्वामित्व को प्रकट करता है। उक्त भवन जीवन बीमा निगम में बन्धक है। सम्बन्धित प्रपत्र संलग्नक सं0 6 है।

9. यह कि उपलब्ध जानकारी/ प्रपत्रों पर यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, अन्य सम्बनिधत जानकारी एवं प्रपत्रों की उपलब्धता पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रार्थी की जानकारी में उक्त प्रश्नगत भवन के सम्बन्ध में कोई भी देयता गृहकर, जलकर, विद्युत व्यय शुल्क आदि अद्यतन शेष नहीं है। सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न सं0– 7 है।

10. यह कि पूर्व स्वामिनी एवं विक्रेती श्रीमती शकुन्तला राणा ने आपके विभाग द्वारा बेटरमेंट की मॉग पर नियमितीकरण के मद में मुबलिग रुपया पचास हजार दिनांक 29/07/2005 को एवं विभिन्न तिथियों में बेटरमेंट की धनराशि जमा की है। प्रार्थी की पत्नी भी नियमितीकरण अथवा बेटरमेंट के सम्बन्ध में जो भी धनराशि अवशेष होगी, को प्रार्थी की पत्नी नियमानुसार जमा करने को तैयार है ।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के प्रकाश में माननीय महोदय से प्रार्थना है उपरोक्त संदर्भित नोटिस/पत्रांक दिनांक 07/08/2025. रिकाल/निरस्त की जावे। श्रीमान जी की महान दया होगी।

प्रार्थी/उत्तरदाता

दिनांक 21/08/2025

कुल संलग्न पृष्ठों की सं0- 115

(रमाशंकर सिंह)
पुत्र शिवकुमार सिंह
नि0 127/559 बी– 12,
डब्लू –1 साकेत नगर, जूही
कालोनी,कानपुर नगर, उ0प्र0
मो0 8960889977

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP87854906172022X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP87854906172022X
Certificate Issued Date	:	13-Aug-2025 12:27 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14355404/ KANPUR SADAR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14355404733376885506 81X
Purchased by	:	MANISHA TRIPATHI ADV
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SUB REGISTER OFFICE KNP
Second Party	:	MANISHA TRIPATHI ADV
Stamp Duty Paid By	:	MANISHA TRIPATHI ADV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

दस रुपये का जनरल स्टाम्प
प्रतिलिपि सं. 9380 के साथ संलग्न है
2026

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH मूल्यांकन जांच हेतु सन्दर्भित B 300806

1

श्रीमती शकुन्तला राणा

श्रीमती ऊषा सिंह

श्री गणेशाय नमः

कार्यालय का नाम :– उप निबन्धक जोन नं0 3 कानपुर नगर।

1.	प्रस्तुत दिनॉक	:	28–05–2011
2.	निष्पादन दिनॉक	:	28–05–2011
3.	प्रस्तुतकर्ता का नाम	:	श्रीमती शकुन्तला राणा पत्नी श्री पी0एस0 राणा निवासिनी मकान नं0. 127/559/बी–12, डब्लू–1, साकेत नगर, कानपुर नगर।
4.	लेख पत्र का प्रकार	:	बयनामा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

B 300807

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

5.	प्रतिफल	:	35,00,000/–रू0
6.	बाजारी कीमत	:	52,17,015/–रू0
7.	विक्रेती का नाम	:	श्रीमती शकुन्तला राणा पत्नी श्री पी0एस0 राणा निवासिनी मकान नं0 127/559/बी–12, डब्लू–1, साकेत नगर, कानपुर नगर।
8.	क्रेती का नाम	:	श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी श्री रमा शंकर सिंह निवासिनी म0नं0 बी–2बी, निराला नगर रेलवे कालोनी, निराला नगर, कानपुर नगर।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

26 MAY 2011

B 300808

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

9. सम्पत्ति का विवरण :

1. स्थान : डब्लू–1, साकेत नगर, कानपुर नगर।
2. प्राईवेट मकान नम्बर : आराजी भूमि नं0 701 का जुज भाग प्राईवेट मकान नं0 127/559/बी–12, ब्लाक डब्लू–1, स्थित मोहल्ला साकेत नगर, जिला कानपुर नगर।
3. क्षेत्रफल : 266 वर्गगज यानि 222.4026 वर्ग मीटर
4. आच्छादित क्षेत्र : 80 वर्ग मीटर
5. भवन/भूखण्ड : भवन
6. आवासीय/व्यावसायिक : आवासीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

2 6 MAY 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 300809

4

7.	पार्क व कार्नर की स्थिति	:	भवन के सामने पार्क है और भवन कार्नर का नहीं है।
8.	सड़क की स्थिति	:	भवन के दोनो ओर सड़क है।
9.	सीमा में सड़क की अधिकतम चौड़ाई	:	60 फिट यानि कि 18.28 मीटर रोड
10.	सीमाओं का विवरण	:	
	पूरब	:	30 फिट यानि कि 9.14 मीटर रोड
	पश्चिम	:	प्लाट नं0 2 पर निर्मित भवन तथा 60 फिट यानि कि 18.28 मीटर रोड
	उत्तर	:	प्लाट नं0 13
	दक्षिण	:	प्लाट सं0 11 पर निर्मित भवन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

20 MAY 20

B 300810

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

स्टाम्प अदायगी का विवरण

1.	जिलाधिकारी दर	:	17,000/– रु0 वर्ग मीटर
1ए.	निर्माण दर	:	8,500/– रू. प्रति वर्गमीटर (आर. बी. सी.)
2.	जमीन की कीमत	:	37,80,845/– रु0
3.	दोनो ओर सड़क व पार्क चार्ज	:	7,56,169/–रु0
4.	निर्माण की कीमत	:	6,80,000/– रु0
5.	भवन की कुल कीमत	:	52,17,015/– रु0
6.	अधिकतम कीमत जिस पर स्टाम्प दिया गया	:	52,18,000/– रु0
7.	जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प महिला हेतु	:	3,55,260/– रु0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कानपुर नगर
26 MAY 2011

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 300811

6

8. कुल दिया गया स्टाम्प : 3,55,300/– रु0

नोट :– राज्य सरकार की अधिसूचना आदेश संख्या स0वि0कु0नि0–5–2756/11–2008–500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार महिला के हक मे रजिस्ट्री होने पर कुल मूल्य का 6 प्रतिशत स्टाम्प अदा किया गया है।

यह विक्रय पत्र श्रीमती शकुन्तला राणा पत्नी श्री पी0एस0 राणा निवासिनी मकान नं0 127/559/बी–12, डब्लू–1, साकेत नगर, कानपुर नगर, जिन्हें आगे इस दस्तावेज में शब्द विक्रेती/प्रथम पक्ष सम्बोधित किया गया है।

द्वारा

श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी श्री रमा शंकर सिंह निवासिनी म0नं0 बी–2बी, निराला नगर रेलवे कालोनी, निराला नगर, कानपुर नगर, जिन्हें आगे इस दस्तावेज में शब्द क्रेती/द्वितीय पक्ष सम्बोधित किया गया है, के हक में निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

26 MAY 2011

B 300812

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

विदित हो कि विक्रेती/प्रथमपक्ष आराजी भूमि नं0 701 का जुज भाग प्राईवेट मकान नं0 127/559/बी–12, ब्लाक डब्लू–1, स्थित मोहल्ला साकेत नगर, जिला कानपुर नगर रकबई 266 वर्ग गज यानि 222.4026 वर्ग मीटर की तनहा मालिक, काबिज व स्वामिनी है।

विदित हो कि विक्रेती ने भूखण्ड सं0 559/बी–12 क्षेत्रफल 266 वर्गगज यानि कि 222.4026 वर्ग मीटर जो कि आराजी सं0 701, स्थित जूही कलॉ परगना व जिला कानपुर नगर पर स्थित है, को कर्मचारी नगर को–आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड स्थित जी0टी0 रोड (पी0ए0सी0 मोड़) कानपुर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी 694 वाई ब्लाक, किदवई नगर कानपुर नगर से जरिये पंजीकृत बयनामा द्वारा क्रय किया था जिसका पंजीयन दिनॉक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

26 MAY 2011

B 300813

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

18-05-1991 को पुस्तक सं0 1 खण्ड 954 के पृष्ठ 79 से 90 पर क्रम संख्या 16381 पर उप-निबन्धक कार्यालय कानपुर नगर में हुआ।

यह भी विदित हो कि उक्त भूखण्ड को क्रय करने के उपरान्त विक्रेती द्वारा भूखण्ड पर भवन निर्मित कराया गया जिसको कानपुर नगर निगम द्वारा भवन सं0 127/559/बी-12, डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर आवंटित किया गया।

इस प्रकार विक्रेती प्रथमपक्ष उक्त वर्णित भवन संख्या 127/559/बी-12, डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर क्षेत्रफल 266 वर्गगज यानि कि 222.4026 वर्ग मीटर पर आज के दिवस तक बहैसियत स्वामी, काबिज चली आ रही है, जिसमें विक्रेती/प्रथमपक्ष0 के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सह-स्वामी या हिस्सेदार नही है और उक्त वर्णित भवन आज के दिवस तक हर प्रकार से विधिक रूप से स्वच्छ है।

Usha Singh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

2 6 MAY 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 300814

9

उपरोक्त भवन हर प्रकार से पाक व साफ है, कहीं पर रेहन, बय, हिबा, मुस्तगरक जमानत आदि में नही है। उपरोक्त भवन किसी बैंक आदि में बन्धक नहीं है तथा किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा अर्जित नहीं किया गया है और किसी अदालती आदेश आदि के द्वारा विक्रेती/प्रथमपक्ष को उपरोक्त भवन को विक्रय आदि करने से रोका नहीं गया है। विक्रेती/प्रथमपक्ष को इस समय वास्ते इखराजात रुपयों की सख्त आवश्यकता है और उपरोक्त भवन को विक्रय करने के अलावा रुपया प्राप्त करने का अन्य कोई जरिया नहीं नजर आता है। अतः विक्रेती/प्रथमपक्ष ने मुनासिब समझकर उपरोक्त भवन के विक्रय की बातचीत चलाई जिस पर क्रेती/द्वितीयपक्ष श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी श्री रमा शंकर सिंह निवासिनी म0नं0 बी–2बी, निराला नगर रेलवे कालोनी, निराला नगर, कानपुर नगर उपरोक्त भवन को बिल एवज मुबलिग

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

26 MAY 2011

B 300815

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

35,00,000/- रु0 (पैतीस लाख रू0 मात्र) में खरीद करने को तैयार है, जो कीमत बलिहाज बाजार भाव माकूल है और इससे अधिक कीमत अन्य कोई शख्स अदा करने को तैयार नहीं है उपरोक्त कीमत विक्रेती/प्रथमपक्ष को मंजूर भी है। अतः विक्रेती/प्रथमपक्ष ने खूब सोच समझकर उपरोक्त भवन को बिल एवज मुबलिग 35,00,000/-रु0 (पैतीस लाख रू0 मात्र) में क्रेती/द्वितीयपक्ष श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी श्री रमा शंकर सिंह निवासिनी म0नं0 बी-2बी, निराला नगर रेलवे कालोनी, निराला नगर, कानपुर नगर के हक में विक्रय कतई कर दिया यानि कि बेच डाला तथा कुल विक्रय कीमत इस विक्रय प्रलेख के अन्त में दिये गये विवरणानुसार क्रेती/द्वितीयपक्ष से वसूल पा लिया गया है। अब विक्रेती/प्रथमपक्ष को क्रेती/द्वितीयपक्ष से कोई भी धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है। विक्रेती/प्रथमपक्ष ने आज की तारीख से ही

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

26 MAY 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 300816

11

विक्रीत भवन से अपना कब्जा व दखल हटाकर क्रेती/द्वितीयपक्ष को काबिज करा दिया है। अब क्रेती/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जिस तरह चाहे, उपरोक्त भवन को अपने इस्तेमाल में लावे, इसके लिये वह पूर्ण स्वतंत्र होगी। चाहे वह निर्माण करावे, स्वयं रहें या किराये पर उठावें, या विक्रय करें इसमें विक्रेती व वारिसान विक्रेती को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्रेती/द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार होगा कि वह कागजात सरकारी भू–राजस्व अभिलेखों आदि में उपरोक्त क्रयशुदा भवन से विक्रेती/प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक बखाना मिलकियत में दर्ज करा लेवे, विक्रेती/प्रथमपक्ष की रजामंदी दस्तावेज हाजा बयनामा द्वारा मानी जायेगी फिर भी यदि विक्रेती/प्रथमपक्ष की लिखित या मौखिक सहमति की आवश्यकता होगी तो विक्रेती/प्रथमपक्ष दाखिल कर देगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

B 300817

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12

यह भी विदित हो कि विक्रेती/प्रथमपक्ष ने उपरोक्त भवन के हर प्रकार से पाक व साफ होने का यकीन क्रेती का करा दिया है, और क्रेती पूर्ण रुप से सन्तुष्ट है, फिर भी यदि विक्रेती/प्रथमपक्ष की किसी भी प्रकार की नुक्स मिलकियत की वजह से विक्रीत भवन के कुल या जुज भाग का कब्जा व दखल क्रेती/द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो कुल जिम्मेदारी विक्रेती/प्रथमपक्ष की होगी तथा क्रेती/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना कुल या जुज, जरेसमन जैसी भी सूरत होगी, विक्रेती/प्रथमपक्ष से बजरिये अदालत वसूल कर लेंवे। विक्रेती/प्रथमपक्ष ने उपरोक्त भवन को अपने पूर्ण होशोहवास में मय समस्त हक, हकूक, दाखिला–खारिजा, हाल व आइन्दा बगैर छोडे किसी अधिकार के क्रेती/द्वितीयपक्ष के हक में विक्रय कर दिया है। अब विक्रीत भवन से विक्रेती/प्रथमपक्ष को कोई भी वास्ता व सरोकार नहीं रहा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

26 MAY 2011

B 300818

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

है। जुमला शरायत दस्तावेज हाजा बयनामा की पाबन्दी विक्रेती व वारिसान विक्रेती पर लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे।

यह भी विदित हो कि विक्रय की तिथि के पूर्व का हाउस टैक्स, बिजली बिल एवं अन्य सभी प्रकार के दायित्व जो भी उक्त विक्रीत भवन पर होगें उन सभी दायित्यों का भुगतान विक्रेती/प्रथमपक्ष करेगी एवं विक्रय की तिथि से इन सभी का दायित्व क्रेती/द्वितीयपक्ष का होगा।

लिहाजा खूब सोच समझकर अपने मन मस्तिष्क की सही दिशा में बिना किसी शख्स के बरगलाये, बहकाये समक्ष गवाहान विक्रेती/प्रथमपक्ष ने यह बयनामा क्रेती/द्वितीयपक्ष के हक में तहरीर कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

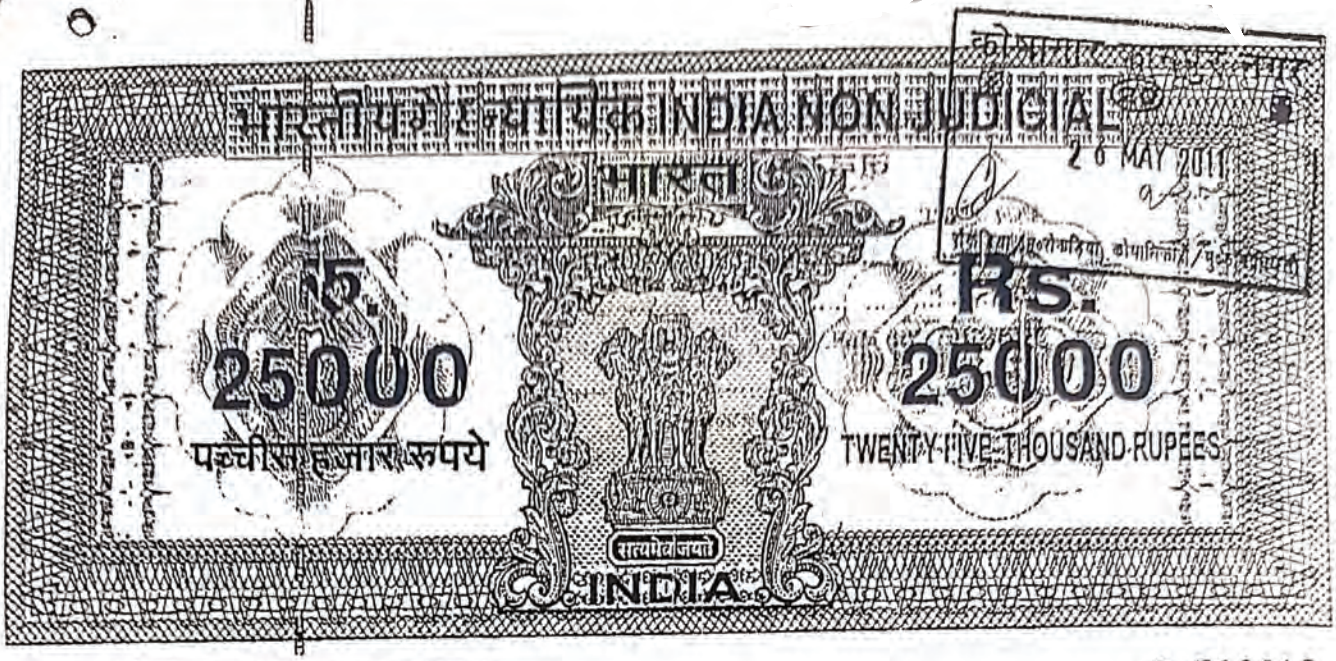

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 300819

14

<u>तफसील जायदाद</u>

भवन संख्या 127/559/बी–12, डब्लू–1, साकेत नगर, कानपुर नगर क्षेत्रफल 266 वर्गगज अर्थात 222.4026 वर्ग मीटर, जिसमें से 80 वर्ग मीटर में तीन कमरे, किचन, लैट्रिन व बाथरुम निर्मित है, शेष भाग खाली पड़ा है तथा जिसमें 5 फिट बाई 60 फिट का रास्ता पूरब से पश्चिम शामिल है, जो कि 60 फिट सड़क पर खुलता है, भवन की चतुर्दिक सीमाएं निम्नवत् है:–

पूरब	:	30 फिट यानि कि 9.14 मीटर रोड
पश्चिम	:	प्लाट नं0 2 पर निर्मित भवन तथा 60 फिट यानि कि 18.28 मीटर रोड
उत्तर	:	प्लाट नं0 13
दक्षिण	:	

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

U 891999

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तफसील वसूलयावी जरे संमन कुल प्रतिफल रूपया 35,00,000/— जिसे कि क्रेती/द्वितीयपक्ष ने विक्रेती/प्रथमपक्ष को इस विक्रय पत्र के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार अदा कर दिया है और जिसका प्राप्त होना विक्रेती/प्रथमपक्ष इस विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके स्वीकार करती है।

विवरण अदायगी विक्रय धन मुबलिग 35,00,000/— रूपया

मुबलिग 1,00,000/— रूपये जरिये चेक सं0 005404 दिनांकित 09—04—2011
पंजाब नैशनल बैंक, शाखा 'के' ब्लाक, गोविन्द नगर, कानपुर नगर।
मुबलिग 26,00,000/— रूपये जरिये चेक सं0 510689 दिनांकित 23—05—2011
एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा एम0जी0 रोड, हजरतगंज, लखनऊ नगर।
मुबलिग 4,00,000/— रूपये जरिये चेक सं0 964011 दिनांकित 30—07—2011
पंजाब नैशनल बैंक, शाखा 'सी' ब्लाक, गोविन्द नगर, कानपुर नगर।
मुबलिग 4,00,000/—रूपये नकद

इस प्रकार कुल धन विक्रेती/प्रथमपक्ष ने क्रेती/द्वितीयपक्ष से उपरोक्त विवरणानुसार प्राप्त कर लिया है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AS 505085

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

विक्रेती के निशानात पंजा दायां (श्रीमती शकुन्तला राणा)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

विक्रेती के निशानात पंजा बायां (श्रीमती शकुन्तला राणा)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

भारतीय गैर न्यायिक 10 MAY 2010

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AS 505086

17

क्रेती के निशानात पंजा दायां (श्रीमती ऊषा सिंह)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

क्रेती के निशानात पंजा बायां (श्रीमती ऊषा सिंह)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

10 MAY 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 505087

18

दिनांकः– 28–05–2011

हस्ताक्षर साक्षीगण--

साक्षी नं0 1

नामः– श्री अजय कुमार पचौरी

पिता का नामः– श्री सुरेश चन्द्र पचौरी

पता :– [illegible] नगर, कानपुर

साक्षी नं0 2

नामः– श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव

पिता का नामः– श्री आर०बी० श्रीवास्तव

पता :– ए–439, [illegible] कालोनी, [illegible], कानपुर नगर)

हस्ताक्षर विक्रेती / प्रथमपक्ष

Shakuntala Rana

हस्ताक्षर क्रेती / द्वितीयपक्ष

Usha [illegible]

ड्राफटेड बाई मी
एण्ड
टाईप्ड बाई माई स्टेनो

Neeraj Kumar Srivastava
Advocate

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
एडवोकेट,

SITE PLAN OF H.NO.127/559-B-12, SITUATED AT W-1, SAKET NAGAR, KANPUR NAGAR

LAND AREA :-266.00 SQ. YARD OR 222.4026 SQ. MTR

COVD. AREA:- 80.00 SQ. MTR

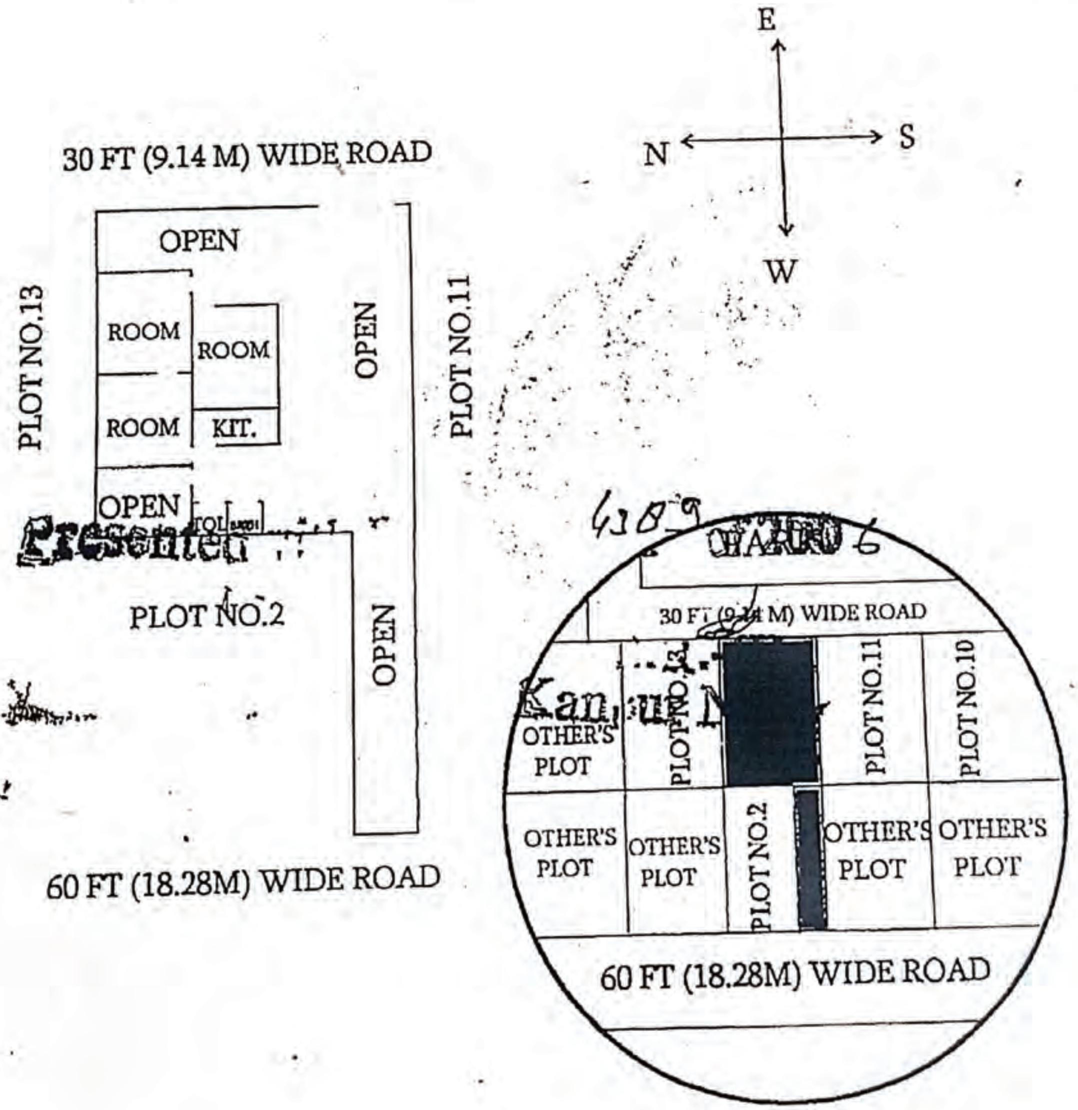

SIGN. OF SELLER	SIGN. OF PURCHASER	

(मनोज कुमार)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
कानपुर नगर ।

कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन - कानपुर नगर

पत्र संख्या 566 / स.म.नि.-2011 दिनांक 08 अगस्त,2011

प्रतिलिपि-उप निबन्धक तृतीय कानपुर नगर को उक्त टिप्पणी मय लेखपत्री के इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इंगित कमी स्टाम्प के प्रलेख टिप्पणी सहित भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 ए (3) के अन्तर्गत नियमानुसार सन्दर्भित कर स्टाम्पवाद योजित कराए जाने की पुष्टि करा लें ।

(मनोज कुमार)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
कानपुर नगर ।

स्थल निरीक्षण
कार्यालय उप निबन्धक (तृतीय)
जनपद — कानपुर नगर

कार्यालय उप निबन्धक (तृतीय) जनपद कानपुर नगर में निबन्धित निम्न विलेखों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया, जिनकी टिप्पणी निम्नवत है–

क्र. स.	स्थल निरीक्षण दिनांक	लेखपत्र संख्या / पक्षकार का नाम	स्थल निरीक्षण आख्या
1	22 07 2011	6071 / 2011 श्री सन्तोष सिंह बहक श्री रामकिशोर गुप्ता आदि। मौजा जूही कला।	प्रलेख द्वारा विक्रीत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रलेखानुसार सही पायी गयी।
2.	22.07.2011	5532 / 2011 अरुण आनन्द बहक राजेश कुमार सक्सेना आदि। मौजा जूही कला।	प्रलेख द्वारा विक्रीत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रलेखानुसार सही पायी गयी।
3.	22.07.2011	5730 / 2011 श्रीमती शकुन्तला राणा बहक श्रीमती ऊषा सिंह। मौजा साकेत नगर।	प्रलेख द्वारा विक्रीत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रलेखानुसार सही पायी गयी।
4.	22.07.2011	4857 / 2011 जयकिशन खत्री आदि बहक विजय प्रताप मिश्रा। मौजा साकेत नगर।	प्रलेख द्वारा विक्रीत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रलेखानुसार सही पायी गयी।
5.	22.07.2011	5328 / 2011 सुरेश चन्द्र दीक्षित बहक मेसर्स शिव बिल्डर्स द्वारा सुरेन्द्र कुमार आहूजा। मौजा बर्रा –2 कानपुर नगर।	प्रलेख द्वारा विक्रीत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रलेखानुसार सही पायी गयी।
6.	23.07.2011	4979 / 2011 रविन्द्र सिंह राठौर बहक श्री ज्ञानप्रकाश वर्मा। मौजा आवास विकास हंसपुरम।	प्रलेख द्वारा विक्रीत सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रलेखानुसार सही पायी गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

KESA KANPUR
A05/02/97 12-2 KESA011
NB235V1016801 HCASH 2394.00

विद्युत बिल एवं विच्छेदन सूचना

35V1	015301	0000	BC91601	261196	301195	301096	11	191295	261296

विच्छेदन तिथि

VB2 E U D D NAUBASTA

10 2.000

LF9999	0	IDF	01.00		2200		2200	ASSD	

बिल का विवरण — मूल्य रु. में

1. विद्युत मूल्य (दर) *	1.25/1.70	3245.00
2. विद्युत कर (दर)	.05	110.00
3. मीटर किराया (दर)	6.00	66.00
4. अन्य देय		
5. समायोजन		
6. छूट (केवल देय तिथि तक) (दर)	-.10	(–) -220.00

SRI/SMT
SHAKUNTALA PRATAP N
ARAIAN RANA 127/559-
B-12 W1 SAKET NGR
KANPUR

	बकाया	बकाया अधिभार	कुल देय (रुपये) (देय तिथि तक)	(देय तिथि के बाद)
3201.00 / 3421.00			3201.00	3421.00

NA = रीडिंग नहीं ली जा सकी, HIGH = अधिक खपत
RDF = गलत रीडिंग
MIN = न्यूनतम
PROV = अस्थाई, CEIL = सीलिंग

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

...बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है। कण्डोम के प्रयोग तथा सुरक्षित ... विसंक्रित सुइयों के प्रयोग से इससे आसानी से बचा जा सकता है।

LOT No. 1
ORDER NO 4477-HCC/T-29/96/PHFM BANSAL/DATED 23/10/96

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी

विद्युत बिल एवं विच्छेदन नोटिस

009306
PRE PAID LICENCE NO.
RD/KP/PC-5 DATED 31.07.2001

KESCO NAUBASTA
27030 P COUNT 75 13/04/2002 10:40
B-C NO- NB2350101680
BILL NO- 314222X
NB28 498.00
CASH 498.00
RUPEES FOUR HUNDRED NINETY EIGHT ONLY
PAID

बुक संख्या	कनेक्शन संख्या	सीक्वेन्स नं.	बिल संख्या	बिल तिथि	उपभोग की तिथि से	उपभोग की तिथि तक	माह	देय तिथि	विच्छेदन तिथि
35V1	016801	0000	314222X	05/03	30122001	16022002	2	180302	

खण्ड संकेत	खण्ड का नाम	विद्युत प्रकार	स्वीकृत भार कि.वा./बी.एच.पी.	एयर कंडीशनर संख्या	एयर कंडीशनर कि.वा.	विवादित/इन आपरेटिव बकाया	जमानत राशि
NB2	E U D D NAUBASTA	10	2.000				

मीटर संख्या	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	मीटर गुणांक	मीटर यूनिट	निर्धा./प्रो.नि.यूनिट	समायोजित यूनिट	कुल देय यूनिट	बिल आधार	भुगतान नगद क
AC3572	7900	8100	01.00	200			200		

SRI/SMT
SHAKUNTALA PRATAP N
ARAIAN RANA 127/559-
B-12 W1 SAKET NGR
KANPUR
ADDL.SECURITY AMOUNT DUE= 600.00

बिल का विवरण			मूल्य रु. में
1. विद्युत मूल्य (दर	)		360.00
2. विद्युत कर (दर	.09)		18.00
3. मीटर किराया (दर	6.00)		20.00
4. अन्य देय			
5. समायोजन		(-)	
6. छूट (केवल देय तिथि तक) दर	)	(-)	
7. अस्थाई जमा समायोजन/माह	-.10	(-)	-20.00
8. रियायत			
9. (I से V का योग)			100.00

CR=9865
19/07/2002

जमानत पर ब्याज		CC-24	2925
अस्थाई कुल जमा		कुल माह	
ई. अधिभार समायोजन माह			

विवरण	अस्थाई ईंधन अधिभार I	ईंधन अधिभार समायोजन II	इस्टे. अधिभार III	फिक्सड चार्जेज IV	कैपिसिटर अधिभार V
दर					
मूल (रुपये)				100.00	

वर्तमान देय (रुपये) (1 से 9) (देय तिथि तक)	वर्तमान देय (रुपये) (1 से 9) (देय तिथि के बाद)	बकाया अवधि	बकाया 10	बकाया अधिभार 11	वर्तमान देय (रुपये) (1 से 9) + 10 + 11 (देय तिथि तक)	वर्तमान देय (रुपये) (1 से 9) + 10 + 11 (देय तिथि के बाद)
478.0	498.00	2	1110.00	19.24	1607.0	1627.0

चेतावनी : प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 24(1) के अन्तर्गत बिल में दर्शाई विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के विद्युत विच्छेदन किया जा सकता है।

DISC. PENDING SINCE 27122001

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण
कानपुर

एड्स एक जानलेवा बीमारी है। इसका कोई टीका व इलाज नहीं है। कण्डोम के प्रयोग तथा सुरक्षित रक्त एवं विसं. प्रयोग से इससे आसानी से बचा जा सकता है।

TRUPATI STATIONERY (P) LTD. PH. - 313558, 353406

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP87851136352441X

Certificate No.	:	IN-UP87851136352441X
Certificate Issued Date	:	13-Aug-2025 12:27 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14355401/ KANPUR SADAR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14355404733277868710-18X
Purchased by	:	MANISHA TRIPATHI ADV
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SUB REGISTER OFFICE KNP
Second Party	:	MANISHA TRIPATHI ADV
Stamp Duty Paid By	:	MANISHA TRIPATHI ADV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

2025

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक प्रथम
कानपुर नगर

INDIA NON JUDICIAL

100R.

सत्यमेव जयते
भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

श्री गणेशाय नमः
=================

मर्नकि कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, स्थित जी0टी0रोड (पी0ए0सी0रोड) कानपुर द्वारा सचिव श्री रामप्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्याप्रसाद गुप्ता निवासी 694-वाई-ब्लाक किदवई नगर शहर कानपुर का हूं।

विदित हो कि उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका कि नम्बर 2333 है और उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश आवास विकास संघ से सम्बद्ध है तथा उपरोक्त सोसाइटी की ओर से उसके सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता को जायदाद के खरीदने व बेचने के अधिकार प्रदत्त है। उपरोक्त सोसाइटी ने अपने सदस्यों के रिहायश के लिए मकानात बनाने के लिए मुखतलिफ आराजियात भूमिधरी नम्बर- 701 स्थित जूहीकलां परगना व जिला कानपुर हासिल किया और उसके बाद उपरोक्त आराजियात मे छोटे छोटे प्लाट काटे तथा उपरोक्त प्लाटों मे से एक किता प्लाट नम्बर- 559बी.(12) रकबा 266 वर्गगज

नगर को. हा. सो.
कानपुर

Ram Prasad

R. Prasad

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

- 2 -

स्थित जूही कलाँ परगना व जिला कानपुर को अपने सदस्य श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पी०एस०राना निवासिनी ग्राम व पोस्ट आफिस सोहटी जिला रोहतक, हरियाना, को प्लाट दिया जिनकी सालाना आय 18000/- रुपया से कम है । उपरोक्तप्लाट हर किस्म के बार व दयून से बरी व पाक व साफ है कहीं रहन व बय व हिबा नहीं है और न किसी डिगरी में कुर्क व बरसरे नीलाम नहीं है तथा न समिति को किसी न्यायालय ने उपरोक्त प्लाट को हस्तान्तरित करने से रोका है । उपरोक्त पट्टेदारिया ने मुकिर के स्वामित्व का पूर्ण संतोष करने के पश्चात् उक्त प्लाट को 999 साल की लीज पर लेने को तैयार निम्नलिखित शरायत पर हो गये है :-

1. यह कि मुकिर समिति ने श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पी०एस० राना निवासिनी ग्राम व पोस्ट आफिस सोहटी जिला रोहतक,

सचिव ... कानपुर

Ram Prasad

Ram Prasad

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

ONE HUNDRED RUPEES

- 3 -

हरियाणा. को प्लाट नम्बर - 559बी.1121 रकबा 266 वर्गगज स्थित मौजा जूही कला परगना व जिला कानपुर महदूदा जैल 999 साल की लीज पर दिया है ।

2. यह कि उक्त पट्टेदारिया लैसी ने उक्त प्लाट का प्रीमियम धन मुबलिग 5320/- पांच हजार तीन सौ बीस रुपया जिसके कि आधे मुबलिग : 2660/- दो हजार छः सौ साठ रुपये होते है, मुकिर समिति को निम्न व्योरेवार अदा कर दिया है ।

3. यह कि पट्टेदारिया लैसी मुकिर को 1/- रुपया सालाना किराया लीज रेन्ट उक्त प्लाट का अदा करती रहेगी ।

4. यह कि मुकिर सोसाइटी ने उक्त पट्टेदारिया लैसी का उक्त. प्लाट पर कब्जा व दखल मिल्ल अपने करा दिया है ।

5. यह कि यदि पट्टेदारिया लैसी के जिम्मे किसी समय तीन

Ram Prasad

सचिव
कानपुर

Ram Prasad

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

-4-

साल का लीज रेन्ट बकाया हो जावे तो मुकिर समिति को हक होगा कि वह जरिये नालिश उक्त लीज रेन्ट पटटेदारिया लैसी से वसूल कर लेवे ।

6. यह कि लैसी पटटेदारिया को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्लाट पर इमारत रिहायशी बमोजिब नकशा जो कि नगर महापालिका कानपुर अथवा डेवलपमेन्ट अथारटी पास करे, तामीर कराये और उसके बाद पटटेदारिया को अधिकार होगा कि वह उक्त तामीर शुदा इमारत को किराये पर उठावे खुद इस्तेमाल करे इसमें जैसा चाहे वह वैसा रहन व बय आदि करे । इसमें मुकिर सोसाइटी को किसी तरह का कोई एतराज न होगा और अपना नाम बइखराज नाम दाखिल खारिज इन्द्राज कागजात सरकारी करा लेवे ।

7. यह कि उपरोक्त प्लाट से सम्बन्धित सब डिवीजन चार्जेज,

सचिव
कानपुर

Ram Prasad

Ram Prasad

भारतीय गैर न्यायिक

४०रू.   40RS

INDIA

FORTY RUPEES

बेटरमेन्ट चार्ज या अन्य कोई टैक्स नगर महापालिका कानपुर या दीगर सरकारी मोहकमा समय समय पर लगाये हो उसके अदा करने की जिम्मेदारी पट्टेदारिया लैसी की होगी ।

अतः खूब सोच समझ कर यह चन्द कलमा ओर दस्तावेज लीज मियादी 999 साल तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

तफसील एक किता प्लाट नम्बर- 559बी. 1121 रकबा 266 वर्गगज आराजी नं. 701 वाके जूही कलाँ परगना व जिला कानपुर जिसमें 5 फिट बाई 60 फिट का रास्ता पूरब से पश्चिम शामिल है जो कि 60फिट सडक पर खुलता है जो कि 999 साल की लीज पर दिया गया महदूदा जैल :—

पूरब	:	30 फिट सड़क
पश्चिम	:	प्लाट नं. 2
उत्तर	:	प्लाट नं. 13
दक्षिण	:	प्लाट नं. 11 .

Ram Prasad

... को. हा. सो. लि. सचिव कानपुर

30रु. THIRTY RUPEES 30RS

-6-

तफसील वसूल्याबी प्रीमियम टैन मुबलिग 5320/- पांच हजार तीन सौ बीस रूपया।

कथा तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा पटेदारियान लैसासे नकद वसूल पाया मुबलिग 5320/- पांच हजार तीन सौ बीस रूपया ।

स्टाम्प ड्यूटी मुबलिग 5500/- पर मुबलिग 470/- की अदा की गयी है ।

तहरीर तारीखः- 14-5-1991 ई0

टाइपकर्ता-रामबचन प्रजापति ला0न085

कोर्ट कम्पाउन्ड, कानपुर।

हस्ताक्षर गवाहानः-

1.

2. राम औतार

हस्ताक्षर/सचिव

Drafted by me
Ramesh Chandra Srivastava
Advocate
14-5-91.

कानपुर, नगर निगम 127/W-1/5593-12

(भवन/भूखण्ड की चौहद्दी)

जोन संख्या	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	चक संख्या	पुराना भवन संख्या
3	24	उस्मानपुर	127	127/W-1/559बी-12

क्षेत्र/मुहल्ला का नाम	सड़क का नाम	भूखण्ड / भवन की अवस्थिति 12मी./12-24मी./24मी.
साकेत नगर	-	30 फुट रोड 9.14 मीटर

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम	भवन/भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	भवन/भूखण्ड का कुल कवर्ड/कारपेट क्षेत्रफल	तल का विवरण	भवन निर्माण की प्रकृति
श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री रमा चन्द्र सिंह	266 वर्ग गज	80 वर्ग मीटर का 80/ यानी 64 वर्ग मीटर	भूमि तल	'A' श्रेणी

भवन निर्माण का वर्ष	आवासीय/अनावासीय	भवन का नाम	भवन का उपयोग
	आवासीय		स्वंय निवास

भूखण्ड / भवन की अवस्थिति (लोकेशन) का उदाहरण मानचित्र

कृपया अपने भूखण्ड / भवन की अवस्थिति (लोकेशन) का मानचित्र बनाये अथवा संलग्न

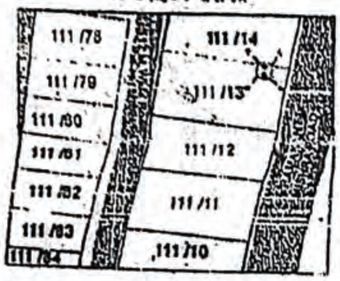

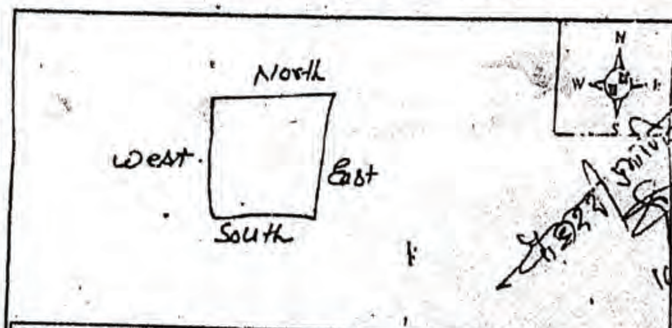

जी.आई.एस. द्वारा जारी नवीन पंजीकरण आई.डी. (भवन संख्या)
127W-1(S)/559B-12

उत्तर :- प्लाट नं० 13	पूरब :- 30 फुट रोड or 9.14 मी. रोड
दक्षिण :- प्लाट नं० 11 निर्मित भवन	पश्चिम :- 60 फुट रोड or 18.28 मी. रोड

भवन स्वामी/अध्यासी के हस्ताक्षर	भवन के विवरण, वार्ड मानचित्र में स्थिति एवं चौहद्दी की पुष्टि के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक की निरीक्षण आख्या
उषा सिंह	135 x 1.05 x 12 = 1701.00 Less o/c 25% - 425.00 Net ARV 1275.00 G/Tax 15% 191/- एक सौ इक्यानबे रुपये सालाना 01-04-08 से लागू किये जाने हेतु संस्तुत

कर एवं राजस्व निरीक्षक

सहायक कर अधीक्षक/कर अधीक्षक

उप नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी जोन-चार निगम, कानपुर

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD

Date: 27-May-2025

Ms./Mr. RAMA SHANKAR SINGH

127/559 B-12,KANPUR,,w-1 Saket Nagar,
Near anupam dham,Saket Nagar,,
KANPUR,UTTAR PRADESH,INDIA,208014

INTEREST CERTIFICATE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Product: Housing Loan

This is to certify that

Applicant	RAMA SHANKAR SINGH
Co-Applicant	USHA SINGH

Loan Account Number 13020507202 has/have been granted a (HL) Loan of Rs. 2,600,000.00.

The above loan is REPAYABLE in Equated Monthly Installments (EMIs) comprising Principal and Interest.

The total amount of EMIs paid from 01/04/2024 to 31/03/2025 is Rs. 336,480.00. The break-up of the amount into Principal and Interest is given below:

Details:

PURPOSE OF LOAN	Purchase of Ready House
SANCTION DATE	29-Apr-2011
FUP	15-Jun-2025
PRINCIPAL COMPONENT	Rs. 208,656.62
INTEREST COMPONENT	Rs. 127,823.38

The above amount does not include any overdue interest accrued or paid.

The PAN and Registered Office Address of LIC Housing Finance Limited are as under:

- **Pan Number:** AAACL1799C
- **Registered Office:** LIC Housing Finance Limited, Bombay Life Building, 2nd Floor, 45/47, Veer Nariman Road, Fort, Mumbai 400001, Maharashtra

You can also log on to customer.lichousing.com with your unique username and password to download the Interest Certificate.

For and on behalf of LIC Housing Finance Limited

Note-: This is a system generated statement and hence does not require any signature.

LIC HOUSING FINANCE LIMITED

Date: 24.05.2025

Name:	RAMA SHANKAR SINGH
Address:	KANPUR,127/559 B-12, w-1 Saket Nagar, Near anupam dham, Kanpur Nagar, KANPUR, UTTAR PRADESH - 208014
Loan No:	13020507202
Customer Cif ID:	2248594
Customer Name:	RAMA SHANKAR SINGH

Dear Customer,

Re: Statement of your loan account no 13020507202

This is to certify that that the above loan is repayable in Equated Monthly Installments (EMIs) comprising Principal and Interest. The total amount of EMIs(principal excluding part payments) paid from 01.01.2025 to 31.03.2025 is Rs.84,120

The breakup of Principal and Interest is as below:

Principal paid:Rs. 54,370.52 (including any Part settlement done)
Interest paid: Rs. 29,749.48

Other Details (as on 15.05.2025):

Current ROI: 11.95
Current EMI: Rs. 28,040
Balance Tenor/ EMIs left: 40
Principal O/s.: Rs. 925,197.81

For

LIC Housing Finance Ltd.

This is a computer generated letter. Hence, signature not required.

6/98, JEEVAN VIKAS, LIC BUILDING, GROUND FLOOR, M.G. ROAD KANPUR

RAMA SHANKAR SINGH

05/03/2014
75812935

H.NO-B 2 B RAILWAY COLONY, NIRALA NAGAR GOVIND NAGAR,
KANPUR, M-9794867116 UTTAR PRADESH INDIA 208001

Appln. No : 13209383

Payment Adjusted Towards

A/C desc	Debit	Credit
CERSAI Charge		500.00
Service Tax		60.00
Education Cess		1.20
Higher Education Ces		0.60
Short Rem	1.80	0.00

Payment Details

Cash:	560.00
Total Alloted Amt:	560.00
Suspense Balance	0

Amt. Recd.(Non Refundable): 560.00

Banking and other Financial Services
Education Cess @ 2% on Service Tax

AAACL1799CST001

LIC Housing Finance Limited

To,
Mr/Ms.RAMA SHANKAR SINGH/ USHA SINGH
H.NO-B 2 B RAILWAY COLONY
NIRALA NAGAR GOVIND NAGAR
KANPUR
M-9794867116
100000

Date : 28/05/2011

Re. Your Loan A/c 020507202, Appl. No.209383

Dear Sir,

With regards to your above Loan Account, the payment details are given below for 12 instalments.

Total Amount Sanction : 2600000 Interest Rate : 10.15 Term : 20 Years
Interest Type : Advantage 5

Due Mon/Year	EMI(Int.)	EMI(Pri.)	Int+BPI	Premium	O/S Loan	Total Amt.
15 Jun. 2011			16629.30		2600000.00	16629.30
15 Jul. 2011	21991.66	3358.34			2596641.66	25350.00
15 Aug. 2011	21963.25	3386.75			2593254.91	25350.00
15 Sep. 2011	21934.60	3415.40			2589839.51	25350.00
15 Oct. 2011	21905.71	3444.29			2586395.22	25350.00
15 Nov. 2011	21876.58	3473.42			2582921.80	25350.00
15 Dec. 2011	21847.20	3502.80			2579419.00	25350.00
15 Jan. 2012	21817.57	3532.43			2575886.57	25350.00
15 Feb. 2012	21787.70	3562.30			2572324.27	25350.00
15 Mar. 2012	21757.56	3592.44			2568731.83	25350.00
15 Apr. 2012	21727.18	3622.82			2565109.01	25350.00
15 May 2012	21696.54	3653.46			2561455.55	25350.00

Please draw your Local Cheques/ Demand Drafts/ Pay Orders favouring LIC HOUSING FINANCE LIMITED.

Thanking you and assuring of our best services always.

Yours faithfully,

Manager

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD

LIC Housing Finance Ltd

Ref. LA.13020507202

06-12-2020

MR RAMA SHANKAR SINGH/MS USHA SINGH

H.NO-B 2 B RAILWAY COLONY,
NIRALA NAGAR GOVIND
NAGAR,KANPUR, M-9794867116,
UTTAR PRADESH, UTTAR
PRADESH - 208001

Dear Sir/Madam,

Re: Provisional Certificate of installment amount under your Loan A/C No.13020507202 for the year 2020-2021

This is to certify that we would have received from you the following amounts in respect of your above loan account during the period from 01/04/20 to 31/03/21.

Toward Principle : 164274.77 Toward Interest : 172205.23
Towards Premium :0

Date Of Loan Sanctioned : 29/04/2011 Sanction Amount : 2600000
Purpose : Purchase of Ready House

LIC Housing Finance Ltd.
LIC HFL PAN: AAACL1799C

This is a computer generated statement hence does not require signature.

KANPUR ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED
कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड

सहायता के लिए डायल करें /For Assistance Dial 1912
व्हाट्सएप नo/Whatsapp No. 8287835233
वेबसाइट / Website www.uppcl.org

विद्युत बीजक / Electricity Bill

अकाउंट सं./Account No.: 2849630000

नाम/ Name :	USHA SINGH	खंड/ Division :	NAUBASTA (DIV501035)
पिता/पति का नाम /Husband/Father	W/O RAMA SHANKAR SINGH	खंड का ईमेल/ Email of Division :	
पता / Address :	127/559/B-12 W1 SAKET NAGARKANPUR KANPUR NAGAR KANPUR NAGAR UP IND	उपखंड/ Subdivision :	5010351-NAUBASTA (SDO5010351)
		स्वीकृत भार / Sanction Load :	9 kW
मोबाइल/ Mobile No.:	xxxxxx9977	बिल्ड डिमांड/ Billed Demand :	8.80
ई-मेल / Email :		टैरिफ/ Tariff :	LMV1 KE Residential / Domestic...
संयोजन तिथि/ Connection Date :	01-APR-1959	सप्लाई टाइप/ Supply Type :	10
बिल संख्या/ Bill Number :	284044031953	जमा प्रतिभूति / Security Deposit :	1400
इनऑपरेटिव राशि / Inoperative Amount:	0.00	बिलिंग अक्षांश / Billing Latitude :	26.44
प्रगामी सब्सिडी / Progressive Subsidy :	0.00	बिलिंग देशांतर / Billing Longitude :	80.31
मीटर प्रकार /Meter Type :	POSTPAID	मीटर संख्या /Meter Number :	NB16K560137

बिल तिथि / Bill Date	15-APR-2024	**बिल आधार / Bill Basis**	OK
देय तिथि / Due Date	22-APR-2024	**देय धनराशि/ Payable Amount**	15324
विच्छेदन तिथि/Disc. Date	29-APR-2024	**देय तिथि तक छूट / Due Date Rebate (₹)**	145.95
नेट बिल्ड यूनिट/ Net Billed Unit	2019.00	**देय तिथि तक धनराशि/ Payable by Due date**	15178

Scan & Pay your Bill
स्कैन करें और अपने बिल का भुगतान करें

उपभोक्ता अपने संयोजन का भार *(Load)* ऑनलाइन वेबसाइट www.uppcl.org एवं मोबाइल एप ***'UPPCL Consumer App'*** पर जाकर स्वयं बढ़ायें

विवरण / Details	कुल धनराशि /Gross Amount	सब्सिडी धनराशि / Subsidy Amount (-)	देय धनराशि / Net Amount
उर्जा प्रभार / Energy Charges	13123.51	465.00	12658.51
मांग प्रभार / Demand Charges	1936.00	0.00	1936.00
न्यूनतम प्रभार / Minimum Charges	0.00	0.00	0.00
ग्रीन उर्जा शुल्क / Green Energy Charges	0.00		0.00
विद्युत कर / Electricity Duty	729.73		729.73
अतिरिक्त मांग प्रभार / Excess Demand Penalty	0.00		0.00
कम पीएफ अधिभार/Low PF Surcharge	0.00		0.00
एलटी मीटरिंग ऊर्जा सरचार्ज/ LT Metering Energy Surcharge	0.00		0.00
विविध चार्जेज / Misc. Charges	-77.44		-77.44

विवरण / Details	धनराशि/Amount
सी.जी.एस.टी./CGST	0.00
एस.जी.एस.टी./SGST	0.00
वर्तमान विलम्ब भुगतान अधिभार /Current LPSC	0.00
पूर्व विलम्ब भुगतान अधिभार / Previous LPSC	0.00
नेट करेंट बिल/ Net Current Bill	15246.80
सरकार द्वारा छूट / Subsidy by Govt. (-)	0.00
सब्सिडाइज्ड बिल / Subsidized Bill	0.00
बकाया धनराशि / Arrear Amount	77.00
देय धनराशि / Payable Amount	**15324**

शब्दों में / In Words: **Fifteen Thousand Three Hundred Twenty Four Rupees Only**

मीटर मेक एवं संख्या Meter Make & Number	ऊर्जा प्रकार Energy Type	मीटर स्थिति Meter Status	दर्ज मांग Recorded Demand	पिछली/ Previous तिथि/ Date	पिछली/ Previous रीड/Read	वर्तमान/ Current तिथि/ Date	वर्तमान/ Current रीड/Read	अंतर Diff.	मीटर गुणांक M.F.	मीटर यूनिट Meter Units	अवधि (माह) Period (Months)	मीटर टिप्पणी Meter Remark
NB16K560137	KVA	A	0						1	0 KVA	2	OK
NB16K560137	KW	A	8.8						1	8.8 KW	2	OK
NB16K560137	KVAH	A		13-FEB-2024 12:00	0	15-APR-2024 18:12	0		1	0 KVAH	2	OK
NB16K560137	KWH	A	-	13-FEB-2024 12:00	83391	15-APR-2024 18:12	85410	2019	1	2019 KWH	2	OK

निर्धारित यूनिट/ Assessed Unit(A)	0.00	मीटर यूनिट/ Meter Units(C)	2019	प्रारंभिक अधिशेष सौर यूनिट/ Opening Surplus Solar Units	0.00	अंतिम अधिशेष सौर यूनिट/ Closing Surplus Solar Units	0.00

"IMAGE NOT AVAILABLE"

1. विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 के खण्ड 9.3 के अन्तर्गत इस बिल को अन्तिम नोटिस माना जायेगा। बकाया का भुगतान न करने पर किसी भी तिथि पर आपूर्ति काटी जा सकती है / This Bill will be construed as Final Notice under Section 9.3 of Electricity Supply Code - 2005. Supply can be disconnected at any date on Non-payment of Dues.
2. 8287835233 पर मिस्ड कॉल करके विद्युत सम्बन्धी सेवायें व्हाट्सएप पर प्राप्त करें / To get electricity related services on Whatsapp give a missed call on 8287835233
3. उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान विद्युत कार्यालयों, राशन की दुकान, जनसुविधा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडरों के माध्यम से तथा ऑनलाईन वेबसाइट 'www.uppcl.org' एवं मोबाइल एप 'UPPCL Consumer App' पर जाकर कर सकते हैं / Consumers can pay bills through Department Offices, Fair Price Shops, Jansuvidha Kendra, Vidyut Sakhi, Meter Readers and by visiting online website 'www.uppcl.org' & mobile app 'UPPCL Consumer App'.
4. उपभोक्ता स्वयं अपने संयोजन का स्वीकृत भार घर बैठे वेबसाइट 'www.uppcl.org' एवं मोबाइल एप 'UPPCL Consumer App' पर जाकर बढ़ा सकते हैं / Consumers can themselves increase contracted load of their connection through the website 'www.uppcl.org' or through the mobile app 'UPPCL Consumer App'.
5. डी.डी./चेक हेतु प्राप्तकर्ता /Pay DD/Cheque in favour of : KESCO
6. राष्ट्र हित में बिजली बचायें / Energy Saved is Energy Produced.

"पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" का लाभ पाने हेतु प्ले स्टोर से "पीएम सूर्य घर" APP डाउनलोड करें और उस पर Apply करें।

Kanpur Electricity Supply Company Limited
A GOVERNMENT OF U.P. UNDERTAKING

Printed Date :16-08-2025

Payment Reciept

Refrence No.	HGAIP06E6A0295722128	Payment Source	BD002
Collection Date	13-07-2025	Account no.	2849630000
Payment Mode	Netbanking		
Consumer Name	USHA SINGH		
Address	127/559/B-12 W1 SAKET NAGARKANPUR		
Total Amount Recieved : 5653.00 (Rupees Five Thousand Six Hundred Fifty Three Rupees And Zero Paisa Only)			

*This is computer generated Receipt and hence Signature is Not Required.

JALKAL VIBHAG

Kanpur Nagar Nigam,Kanpur(UP)

JALKAL KANPUR

Payment Receipt

(2025-26)

Property Id:	JKK31270024077536600	Transaction Id:	JALKAL186171709
Receipt No.:	25/08/17/127W-1(S)/775366/3/92693	Type Of Payment:	Water/Sewer Tax
Consumer Name:	SMT.USHA SINGH W/O RAMA SHANKER SINGH	Address:	127W-1(S)/559B(12)
Paid Amount:	52812		
Mode Of Payment:	Water/Sewer Tax	Payment Date:	17-08-2025
Collected By:	**Jalkal Vibhag Kanpur**		

Print

© 2016 - 25, All rights reserved | Designed and Developed By Acme Digitek Solutions Pvt. Ltd

(https://onlinejalkal.azurewebsites.net/CustomerCopyPrintBill.aspx?id=JKK31270024077536600&AutoNo=775366&ChekNo=127W-1(S)#)

TAX INVOICE / BILL OF SUPPLY
CENTRAL U.P. GAS LIMITED

(A JOINT VENTURE OF GAIL & BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD)
Regd. Off. 7th Floor, UPSIDC Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur - 208024

Phone No.-Tel.-0512-2246000, Website -www.cugl.co.in, CIN: U40200UP2005PLC029538

CUGL

BUYER'S NAME & ADDRESS (Bill To & Shipped To)

CRN No.	: 10000035157 (D0060259)
Name	: USHA SINGH
Address	: , W-1 127/559-B, SAKET NAGAR , KANPUR - 208014, India
Mobile No	: 8960889977
Email ID	: shashi10693@gmail.com
Customer Care No	: 0512-2246000
Customer Care Email ID	: customercare@cugl.co.in

Meter No	: 19360422
Invoice No	: 600333791
Invoice Date	: 01-07-2024
Date of Issue	: 01-07-2024
Billing Period	: Apr-2024 To May-2024
Previous Reading	: 709.64
Current Reading	: 783.05
Due Date	: 25-07-2024
Disconnection Date	: 14-08-2024

(If not paid by Due Date)

Sr No.	Item Code	Item Description	HSN/SAC Code	Consumption (SCM)	Price / SCM	Total (INR)	CGST 9%	SGST 9%
1	NG	APM GAS	27.11.2100	73.41	57.00	4,184.37	0.00	0.00
			Total	73.41		₹ 4,184.37	₹ 0.00	₹ 0.00

Any PNG Price updation and online payment of PNG bills please refer our website www.cugl.co.in

VAT TIN	: 09645602471
PAN No	: AACCC5883A
GSTIN No	: 09AACCC5883A1ZR

Whether Tax Is Payable on GSTRC	: No
Place of Supply	: Uttar Pradesh
State of Supply Code	: 09
Nature of Document	: Bill of supply as per GST Law

Dom Int fm PNG	:	0.00
Bill Total	:	4,184.37
Arrears	:	0.00
Less - Payment to Account	:	0.00
Amount Due (Upto Due Dt.)	:	4,184.00
Amount Due (After Due Dt.)	:	4,259.00

YOU CAN DEPOSIT YOUR PNG BILL (CASH OR CHEQUE) AT ANY OF THE HDFC BANK / ICICI BANK BRANCH ACROSS KANPUR ,UNNAO AND JHANSI.

For Central U.P. Gas Limited

KAMAL MITTAL

(Authorized Signatory) E. & O.E.

The Cheque/DD realization date will be considered as date of payment. For immediate realization kindly make online payment/cash deposit only in bank.
Kindly make the payment of this bill, " If the Meter Reading has not been taken, please click a photo of your meter and WhatsApp it on 8601284888 ".
If any of the payment made by you is not reflecting in the above bill/incorrect meter reading Please call on 0512-2246000".
Note-"Your Disconnection date shall be treated as an intimation in case of default on payment".
ALERT -CUGL has not authorized any person / agency for the collection of payment in cash from any customer.

Please tick which applicable (✓)

REMITTANCE SLIP HDFC BANK( ) / ICICI BANK (I SURE PAY)( )-CUSTOMER COPY

Please draw your cheque/DD favouring - Central UP Gas Limited

Client Name	Central UP Gas Limited
CLIENT CODE-HDFC BANK( )	CUP261GAS
CRN NO-HDFC BANK( )	10000035157 (D0060259)
CLIENT CODE-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	CUGL
CRN NO-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	10000035157 (D0060259)
Name	USHA SINGH
CRN No	10000035157 (D0060259)
Invoice No	600333791
Cash/Cheque /DD No & Date	
Amount	
Bank Name	

Please tick which applicable (✓)

REMITTANCE SLIP HDFC BANK( ) / ICICI BANK (I SURE PAY)-BANK COPY

Please draw your cheque/DD favouring - Central UP Gas Limited

Client Name	Central UP Gas Limited
CLIENT CODE-HDFC BANK( )	CUP261GAS
CRN NO-HDFCBANK( )	10000035157 (D0060259)
CLIENT CODE-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	CUGL
CRN NO-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	10000035157 (D0060259)
Name	USHA SINGH
CRN No	10000035157 (D0060259)
Invoice No	600333791
Cash/Cheque /DD No & Date	
Amount	
Bank Name	

This is a Computer-Generated Invoice

* Outstation Chq not accepted

Important Instruction :- Please mention "CRN No,Name,Mobile No. of the customer" at the back side of the cheque while doing the payment.

TAX INVOICE/BILL OF SUPPLY
CENTRAL U.P. GAS LIMITED

(A JOINT VENTURE OF GAIL & BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD)
Regd. Off. 7th Floor, UPSIDC Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur - 208024

Phone No -Tel -0512-2246000, Website -www.cugl.co.in CIN: U40200UP2005PLC029538

CUGL

BUYER'S NAME & ADDRESS (Bill To & Shipped To)			
CRN No.	10000035157 (D0060259)	Meter No	19360422
Name	USHA SINGH	Invoice No	600852767
Address	, W-1 127/559-B, SAKET NAGAR , KANPUR - 208014, India	Invoice Date	11-06-2025
		Date of Issue	11-06-2025
		Billing Period	Jun-2025 To Jul-2025
		Previous Reading	969.00
Mobile No	8960889977	Current Reading	984.00
Email ID	shashi10693@gmail.com	Due Date	05-07-2025
Customer Care No	0512-2246000	Disconnection Date	25-07-2025
Customer Care Email ID	customercare@cugl.co.in		(If not paid by Due Date)

Sr No.	Item Code	Item Description	HSN/SAC Code	Consumption (SCM)	Price / SCM	Total (INR)	CGST 9%	SGST 9%
1	NG	APM GAS	27.11.2100	15	57.00	855.00	0.00	0.00
			Total	15		₹ 855.00	₹ 0.00	₹ 0.00

Any PNG Price updation and online payment of PNG bills please refer our website www.cugl.co.in

VAT TIN : 09645602471	Whether Tax Is Payable on GSTRC	: No	
PAN No : AACCC5883A	Place of Supply	: Uttar Pradesh	
GSTIN No : 09AACCC5883A1ZR	State of Supply Code	: 09	
	Nature of Document	: Bill of supply as per GST Law	

Dom Int frn PNG	:	0.00
Bill Total	:	855
Arrears	:	0.00
Less - Payment to Account	:	0.00
Amount Due (Upto Due Dt.)	:	855.00
Amount Due (After Due Dt.)	:	905.00

YOU CAN DEPOSIT YOUR PNG BILL (CASH OR CHEQUE) AT ANY OF THE HDFC BANK / ICICI BANK BRANCH ACROSS KANPUR ,UNNAO AND JHANSI.

For Central U.P. Gas Limited

KAMAL MITTAL

(Authorized Signatory) E. & O.E.

The Cheque/DD realization date will be considered as date of payment. For immediate realization kindly make online payment/cash deposit only in bank.
Kindly make the payment of this bill, " If the Meter Reading has not been taken, please click a photo of your meter and WhatsApp it on 8601284888 ".
If any of the payment made by you is not reflecting in the above bill/incorrect meter reading Please call on 0512-2246000".
Note-"Your Disconnection date shall be treated as an intimation in case of default on payment".
ALERT -CUGL has not authorized any person / agency for the collection of payment in cash from any customer.

Please tick which applicable (✓)		Please tick which applicable (✓)	
REMITTANCE SLIP HDFC BANK( ) / ICICI BANK (I SURE PAY)( )-CUSTOMER COPY		**REMITTANCE SLIP HDFC BANK( ) / ICICI BANK (I SURE PAY)-BANK COPY**	
Please draw your cheque/DD favouring - Central UP Gas Limited		Please draw your cheque/DD favouring - Central UP Gas Limited	
Client Name	Central UP Gas Limited	Client Name	Central UP Gas Limited
CLIENT CODE-HDFC BANK( )	CUP261GAS	CLIENT CODE-HDFC BANK( )	CUP261GAS
CRN NO-HDFC BANK( )	10000035157 (D0060259)	CRN NO-HDFCBANK( )	10000035157 (D0060259)
CLIENT CODE-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	CUGL	CLIENT CODE-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	CUGL
CRN NO-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	10000035157 (D0060259)	CRN NO-ICICI BANK(I SURE PAY) ( )	10000035157 (D0060259)
Name	USHA SINGH	Name	USHA SINGH
CRN No	10000035157 (D0060259)	CRN No	10000035157 (D0060259)
Invoice No	600852767	Invoice No	600852767
Cash/Cheque /DD No & Date		Cash/Cheque /DD No & Date	
Amount		Amount	
Bank Name		Bank Name	

This is a Computer-Generated Invoice * Outstation Chq not accepted

Important Instruction :- Please mention "CRN No,Name,Mobile No. of the customer" at the back side of the cheque while doing the payment.

Page 1 of 1

भारत सरकार
Government of India

रमा शंकर सिंह
RAMA SHANKAR SINGH
जन्म तिथि/DOB: 21/01/1966
पुरुष/ MALE

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Address:
S/O: Shiv Kumar Singh, 127/559 B-12, W-1 SAKET NAGAR, Juhi Colony, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 208014

पता:
संबोधित: शिव कुमार सिंह, 127/559 बी-12, डब्ल्यू-1 साकेत नगर, जुही कॉलोनी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208014

High Court of Judicature at Allahabad

DISPOSED

Case Status - **WRIT - C (WRIC)-[31544/2025]**

[Diary/Token No.: 19319492025]

Generated on : 17-10-2025 at 03:23:46 pm

Filing No.	CIVIL12/195493/2025	Filing Date : 04-09-2025
CNR	UPHC054756392025	Date of Registration : 06-09-2025

Case Status

First Hearing Date	10th September 2025
Date of Decision	17th September 2025
Case Status	Case Disposed
Nature of Disposal	Disposed off/Decided on Merits
Stage of Case	Newly Fresh
Coram	HON'BLE JUSTICE MAHESH CHANDRA TRIPATHI|HON'BLE JUSTICE ANISH KUMAR GUPTA
Bench Type	Division Bench
Causelist Type	Fresh List
State	UTTARPRADESH
District	KANPUR NAGAR

Petitioner/Respondent and their Advocate(s)

Petitioner	Respondent
1. THAKUR RAMA SHANKAR @ RAMA SHANKAR SINGH **Advocate** - BRIJ BHUSHAN UPADHYAY(A/B0276/2012),NITIN SHARMA(A/N0269/2012)	1. STATE OF U.P. AND 3 OTHERS 2. KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY 3. SECRETARY, KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY 4. OFFICER INCHARGE, ENFORCEMENT ZONE-3, KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY **Advocate** - PRADEEP KUMAR TRIPATHI(A/P0286/2012),SHIV PRAKASH GUPTA(A/S0136/2020),C.S.C.(CSC/2012)

Category Details

Category	DEVELOPMENT AUTHORITY (340700)
Sub Category	Miscellaneous (340790)

IA Details

Application(s) Number	Party	Date of Filing	Next / Disposal Date	IA Status
IA/1/2025 **Classification** :Stay Application	THAKUR RAMA SHANKAR @ RAMA SHANKAR SINGH Vs STATE OF U.P. AND 3 OTHERS **Applied by (Advocate)** :BRIJ BHUSHAN UPADHYAY	06-09-2025		Pending
IA/2/2025 **Classification** :Vakalatnama	THAKUR RAMA SHANKAR @ RAMA SHANKAR SINGH Vs STATE OF U.P. AND 3 OTHERS **Applied by (Advocate)** :PRADEEP KUMAR TRIPATHI	10-09-2025		Pending

Listing History

Cause List Type	Hon'ble Mr./Ms./Dr. Justice \ In chamber of Registrar(s)/Jt. Registrar(s)	Hon'ble Court/Serial No.	Listing Date	Short Order
Fresh List	HON'BLE JUSTICE MAHESH CHANDRA TRIPATHI|HON'BLE JUSTICE ANISH KUMAR GUPTA	Ct.:29 , Sl.:27	17-09-2025	Left Over
Fresh List	HON'BLE JUSTICE MAHESH CHANDRA TRIPATHI|HON'BLE JUSTICE ANISH KUMAR GUPTA	Ct.:29 , Sl.:63	10-09-2025	Left Over

Order/Judgement

#	Date	Order/Judgement	Combined Order/Judgment Sheet
1	17-09-2025	view	view

Disclaimer: Status report is based on data available on CCMS servers.

Printed on 17-10-2025 at 03:23:31 pm

HIGH COURT AT ALLAHABAD

2025:AHC:166843-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 31544 of 2025

Thakur Rama Shankar @ Rama Shankar Singh

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Brij Bhushan Upadhyay, Nitin Sharma
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Pradeep Kumar Tripathi, Shiv Prakash Gupta

Court No. - 29

HON'BLE MAHESH CHANDRA TRIPATHI, J.
HON'BLE ANISH KUMAR GUPTA, J.

1. Heard Shri Nitin Sharma, learned counsel for the petitioner; Shri Akhileshwar Singh, learned Addl. Chief Standing Counsel for State respondents and Shri Pradeep Kumar Tripathi for Kanpur Development Authority (in short "Authority").

2. The instant writ petition has been preferred for quashing the impugned notices dated 19.07.2025 and 7.8.2025 issued by Officer Incharge, Enforcement Zone-3, Kanpur Development Authority, Kanpur Nagar (respondent no.4) and for a direction to respondents not to take any coercive action pursuant to impugned notices.

3. It is contended that the wife of the petitioner namely Usha Singh purchased a property being House No.127/ 559/ B-12, Block W-1, Saket Nagar, Kanpur Nagar having area 266 sq. yards/ 222.4026 sq. mtrs. from one Smt. Shakuntala Rana wife of Shri P.S. Rana through registered sale deed dated 28.5.2011. The erstwhile owner Smt. Shakuntala Rana had purchased the said property from Manik Karamchari Nagar Cooperative Housing Society Ltd. on 14.05.1991. It is contended that after purchasing the plot, Smt. Shakuntala Rana had raised certain construction over it and deposited requisite charges and fees for approval of map and regularisation of construction on 12.09.1991 and 29.07.2005 respectively. Copy of the deposit receipts dated 12.09.1991 and 29.07.2005 are collectively annexed as Annexure No.5 to the writ petition. Later on the said property was sold in favour of Usha Singh (wife of petitioner). Since then the respondents had

never raised any objection nor decided the application of Smt. Shakuntala Rana (erstwhile owner) for regularisation of construction.

4. Learned counsel for the petitioner, in this backdrop, states that the petitioner is not the rightful owner of the property in question and as such the impugned notices issued against him under Section 26-A (4) of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 (in short "Act, 1973") is devoid of merit. In support of his submissions, reliance has also been placed on the electricity connection and the house tax receipts. Towards the constructions, the erstwhile owner had already deposited the requisite amount way back on 29.07.2005 but till date the application for regularisation of construction has not been processed.

5. Learned counsel for the petitioner fairly states that leave may be accorded to the petitioner to file objection to the impugned notices and to press the application for regularisation of construction in accordance with law. He also states that in case towards regularisation, any amount is quantified in accordance with law, the petitioner is ready to pay the same.

6. Per contra, learned Addl. Chief Standing Counsel as well as learned counsel for Authority have resisted the relief and submitted that the impugned notices have been issued under Section 26-A (4) of the Act, 1973. Highly disputed facts have been raised in the writ petition, which cannot ordinarily be adjudicated under Art.226 of the Constitution of India. The erstwhile owner had purchased the land from the society. Nothing is brought on record to substantiate whether the society had been accorded any leave or permission by the Authority under the Act, 1973. In case there was no division of holding and subsequently third party interest has been created, even on that ground, no such permission can be accorded to the society. For any construction, firstly lay out plan has to be approved by the Authority as per building byelaws. No such effort has been made and only third party interest has been created. The Authority on the basis of title, which is also disputed, had issued notices under Section 26-A (4) of the Act, 1973. He submits that, at this belated stage, merely on the basis of some token amount, which had been deposited by the erstwhile owner on 29.07.2005, no rightful claim can be set up. Even that deposits also speak themselves that the erstwhile owner herself was inclined for regularisation of holding/

construction. Learned counsel for the Authority submits that some time may be accorded so that detailed objection may be filed in the instant matter.

7. Considering the factual situation, we find that certain amount had been deposited by the erstwhile owner towards regularisation of construction. Nothing is brought on record to substantiate whether the Authority had ever passed any order of regularisation or not. Said aspect can only be examined by the Authority at the time of deciding the objection of the petitioner. In the interest of justice, without expressing any opinion on merits of the issue, the writ petition stands **disposed of** with observation that in case the petitioner files detailed objection to the impugned notices within two weeks, the Vice Chairman of the Authority shall consider the same and pass final order in accordance with law in further two weeks but certainly after giving opportunity to the petitioner.

8. For a period of two months or till the disposal of said objection, which ever is earlier, the parties shall maintain status quo as on today qua the property in dispute and the petitioner is also restrained to create any third party interest or raise any further construction over the disputed property.

(Anish Kumar Gupta,J.) **(Mahesh Chandra Tripathi,J.)**

September 17, 2025

SP/

का0 वि0 प्रा0

का0वि0प्रा0

ANNEXURE R1/12

लेख एवं अज्ञायें

तहसीलदार/विशेष कार्याधिकारी (भूमि बैंक) महोदय,

कृपया प्रभारी अधिकारी अभियंत्रण खण्ड की आख्या दिनांक 27.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें अभियंत्रण खण्ड द्वारा विपक्षी के प्रतिउत्तर की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, विपक्षी द्वारा अपने प्रतिउत्तर के साथ विक्रय पत्र संलग्न किया गया है, संलग्न विक्रय पत्र में ग्राम जूही कला की आराजी संख्या–701 का उल्लेख है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल की चारो ओर प्राधिकरण की योजना विकसित है तथा पूर्ण रूप से शहरी आबादी आबाद है। राजस्व मानचित्र में अंकित चौमेडा, तिमेडा, सिहद्दा रेलवे लाइन इत्यादि स्थायी बिन्दु मौके पर मौजूद नहीं है। प्राधिकरण में उपलबध राजस्व मानचित्र, सुपर इम्पोज प्लान तथा डब्लू–1 जूही कला के तलपट मानचित्र से मौके पर मिलान किया गया, मिलान के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–559 डब्लू–1 जुही कला कानपुर नगर की आराजी संख्या–699पार्ट, 372पार्ट, 371पार्ट व 700पार्ट पर स्थित होना पाया गया। प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखानुसार ग्राम जुही कला की आराजी संख्या–699, 372, 371 व आराजी नं0–700 का सम्पूर्ण रकबा एवार्ड सं0–01 दिनांक 16.10.1958 से अर्जित तथा कब्जा दिनांक 18.10.1958 से प्राप्त है जो कि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। पत्रावली मूल रूप से अभियंत्रण जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

अमीन

01/09/25

का0 वि0 प्रा0

राजस्व निरीक्षक
का0 वि0 प्रा0

लेख एवंअज्ञायें

सहायक लेखाकार/

कृपया अभियन्त्रण खण्ड जोन–3 की आख्या दिनांक–08.09.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा विक्रय संबंधी प्रपत्रों कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत् भूखण्ड का आवंटन/निबंधन विक्रय अनुभाग द्वारा नहीं किया गया है। भूमि बैंक जोन–3 की आख्या दिनांक–01.09.2025 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि के0डी0ए0 स्वामित्व की भूमि है।

अतः उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रावली अभियन्त्रण खण्ड जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

Dwivedi 10/09/25

10/9 अखिलेश मिश्रा सहा0 लेखाकार

10/09/25

AE/JE

11/09/2025

11/9/25 AE

आज प्राप्त 19.09.25

ANNEXURE R1/13

2025:AHC:166843-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 31544 of 2025

Thakur Rama Shankar @ Rama Shankar Singh
.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others
.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Brij Bhushan Upadhyay, Nitin Sharma
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Pradeep Kumar Tripathi, Shiv Prakash Gupta

Court No. - 29

HON'BLE MAHESH CHANDRA TRIPATHI, J.
HON'BLE ANISH KUMAR GUPTA, J.

1. Heard Shri Nitin Sharma, learned counsel for the petitioner; Shri Akhileshwar Singh, learned Addl. Chief Standing Counsel for State respondents and Shri Pradeep Kumar Tripathi for Kanpur Development Authority (in short "Authority").

2. The instant writ petition has been preferred for quashing the impugned notices dated 19.07.2025 and 7.8.2025 issued by Officer Incharge, Enforcement Zone-3, Kanpur Development Authority, Kanpur Nagar (respondent no.4) and for a direction to respondents not to take any coercive action pursuant to impugned notices.

3. It is contended that the wife of the petitioner namely Usha Singh purchased a property being House No.127/ 559/ B-12, Block W-1, Saket Nagar, Kanpur Nagar having area 266 sq. yards/ 222.4026 sq. mtrs. from one Smt. Shakuntala Rana wife of Shri P.S. Rana through registered sale deed dated 28.5.2011. The erstwhile owner Smt. Shakuntala Rana had purchased the said property from Manik Karamchari Nagar Cooperative Housing Society Ltd. on 14.05.1991. It is contended that after purchasing the plot, Smt. Shakuntala Rana had raised certain construction over it and deposited requisite charges and fees for approval of map and regularisation of construction on 12.09.1991 and 29.07.2005 respectively. Copy of the deposit receipts dated 12.09.1991 and 29.07.2005 are collectively annexed as Annexure No.5 to the writ petition. Later on the said property was sold in favour of Usha Singh (wife of petitioner). Since then the respondents had

never raised any objection nor decided the application of Smt. Shakuntala Rana (erstwhile owner) for regularisation of construction.

4. Learned counsel for the petitioner, in this backdrop, states that the petitioner is not the rightful owner of the property in question and as such the impugned notices issued against him under Section 26-A (4) of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 (in short "Act, 1973") is devoid of merit. In support of his submissions, reliance has also been placed on the electricity connection and the house tax receipts. Towards the constructions, the erstwhile owner had already deposited the requisite amount way back on 29.07.2005 but till date the application for regularisation of construction has not been processed.

5. Learned counsel for the petitioner fairly states that leave may be accorded to the petitioner to file objection to the impugned notices and to press the application for regularisation of construction in accordance with law. He also states that in case towards regularisation, any amount is quantified in accordance with law, the petitioner is ready to pay the same.

6. Per contra, learned Addl. Chief Standing Counsel as well as learned counsel for Authority have resisted the relief and submitted that the impugned notices have been issued under Section 26-A (4) of the Act, 1973. Highly disputed facts have been raised in the writ petition, which cannot ordinarily be adjudicated under Art.226 of the Constitution of India. The erstwhile owner had purchased the land from the society. Nothing is brought on record to substantiate whether the society had been accorded any leave or permission by the Authority under the Act, 1973. In case there was no division of holding and subsequently third party interest has been created, even on that ground, no such permission can be accorded to the society. For any construction, firstly lay out plan has to be approved by the Authority as per building byelaws. No such effort has been made and only third party interest has been created. The Authority on the basis of title, which is also disputed, had issued notices under Section 26-A (4) of the Act, 1973. He submits that, at this belated stage, merely on the basis of some token amount, which had been deposited by the erstwhile owner on 29.07.2005, no rightful claim can be set up. Even that deposits also speak themselves that the erstwhile owner herself was inclined for regularisation of holding/

construction. Learned counsel for the Authority submits that some time may be accorded so that detailed objection may be filed in the instant matter.

7. Considering the factual situation, we find that certain amount had been deposited by the erstwhile owner towards regularisation of construction. Nothing is brought on record to substantiate whether the Authority had ever passed any order of regularisation or not. Said aspect can only be examined by the Authority at the time of deciding the objection of the petitioner. In the interest of justice, without expressing any opinion on merits of the issue, the writ petition stands **disposed of** with observation that in case the petitioner files detailed objection to the impugned notices within two weeks, the Vice Chairman of the Authority shall consider the same and pass final order in accordance with law in further two weeks but certainly after giving opportunity to the petitioner.

8. For a period of two months or till the disposal of said objection, which ever is earlier, the parties shall maintain status quo as on today qua the property in dispute and the petitioner is also restrained to create any third party interest or raise any further construction over the disputed property.

(Anish Kumar Gupta,J.) **(Mahesh Chandra Tripathi,J.)**

September 17, 2025

SP/

कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर

सार्वजनिक / प्राधिकरण भूमि पर अवैध कब्जा / निर्माण की प्रथम सूचना रिपोर्ट(जोन–3)

ANNEXURE R1/14

का0 वि0 प्रा0

सेवा में,

अधिकृत अधिकारी अन्तर्गत धारा 26(क),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

1. निर्माण करने की सम्भावित तिथि....................लगभग 25–30 वर्ष पूर्व....................
2. निर्माण देखे जाने की तिथि....................
3. निर्माण करने की जगह....................डब्लू–1 जूही कला....................
   प्लाट संख्या............559 .... परगना....................
   आराजी संख्या........डब्लू–1 जूही कला तहसील....................
   ग्राम....................कानपुर नगर.................... ..योजना....................
4. अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा....................लगभग 200 वर्गगज क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व ....सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये।....................
5. निर्माण करने वाले का नाम व पता....................डा0 राम कुमार.................... ....परिसर नं0–559 डब्लू–1 जूही कला,.................... ....कानपुर नगर....................
6. प्रस्तावित कार्यवाहीः–अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये। निर्माण स्थल का नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित भूमि / सार्वजिनक भूमि के प्राधिकरण भूमि होने का प्रमाण संलग्न है।

07/07/2016

रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर / पदनाम
(मोहर सहित)

7. रिपोर्ट करने की सिफारिशः–उपरोक्तानुसार कार्यवाही की संस्तुति है।

7/7/16 07/7/16

संस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर / पदनाम
(मोहर सहित)

अधिकारी का आदेशः–कारण बताने का नोटिस भेजिये। चालान किया जाये।
नोटः–उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश 31 / कार्मिक / का0वि0प्रा0 / 14–15 दिनांक 19.04.2014 द्वारा अधिकार व कर्तव्य मुझको प्रतिनिधनित (डेलीगेट) कर दिये गये है।

अधिशाषी अभियन्ता(प्रवर्तन जोन–3)

ANNEXURE R1/15

का0 वि0 प्रा0

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

पत्रांकः–डी/840/प्र0अ0 प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26   दिनांकः– 19/7/25

–:कारण बताओ नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

डा0 राम कुमार
परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क (4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूही कला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 200 वर्ग गज क्षेत्रफल में भू–तल एवं प्रथम तल पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद्द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 30/07/25 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क (4)के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/16

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,

(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

का0 वि0 प्रा0

पत्रांकः–डी / 1018 / प्र0अधि0प्रवर्तन(जोन–3) / का0वि0प्रा0 / 2025–26 दिनांकः– 07/08/2025

–:पुनः सुनवाई नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

डा0 राम कुमार
नि0–परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूहीकला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 200 वर्गगज क्षेत्रफल में भू–तल एवं प्रथम तल पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्र दिनांक 19.07.2025 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, उक्त नोटिस के क्रम में आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद् द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क(4) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/17

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (प्रवर्तन-3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

विषयः- आपके द्वारा भेजा गया पत्र पत्रांक-डी/1018/प्रा0अधि0प्रवर्तन (जोन-3)का0वि0प्रा0/2025-26 दिनांकित 07/08/2025 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 07/08/2025 जो कि प्रार्थी के प्लाट सं0-559डी(2) जो कि आराजी सं0-701 का जुज भाग है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गगज वाकै जूही कलां, कानपुर नगर जो कि वर्तमान समय में साकेत नगर, कानपुर नगर में स्थित है, के संदर्भ में उ0प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26क(4) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी है जिसमें आपके द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 19/07/2025 को कारण बताओ नोटिस आपके द्वारा प्रेषित किया गया था उक्त नोटिस के कम में आप-आपके प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है। अतः आपको अधिनियम की धारा-26क(4) के अन्तर्गत पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है और प्रार्थी को दिनांक 26/08/2025 को प्रातः 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बताने हेतु कहा गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा-26क(4) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने का आदेश पारित कर दिया जाये तथा आपके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मैं स्वयं अथवा अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकता हूँ। उसी नोटिस पर इस टिप्पणी के साथ नोटिस प्रेषित की गयी है कि

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा–26क की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण कराने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रूपया 20,000/– तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है। श्रीमान् जी, क्षमा याचना के साथ श्रीमान् जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रार्थी की आयु वर्तमान समय में 71 वर्ष है और वह नोटिस वाले स्थान पर निवास नही करता है। इस कारण प्रार्थी को नोटिस प्राप्त नही हो सकी परन्तु जब श्रीमान् जी के कार्यालय द्वारा उक्त नोटिस को मकान पर चस्पा किया गया तब पड़ोसियों द्वारा प्रार्थी को अवगत हुआ। प्रार्थी अपना लिखित कथन तथा पूर्ण साक्ष्य श्रीमान् जी के समक्ष इस आशा के साथ प्रस्तुत कर रहा है कि श्रीमान् जी द्वारा सम्पूर्ण नोटिस जो प्रार्थी को दी गयी है उस पर विधि सम्मत न्यायिक जाँच कर प्रार्थी के साथ न्याय करने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे।

श्रीमान् जी, सादर अवगत कराना है कि उक्त भवन जो कि प्रार्थी ने श्री उदय नारायन पाण्डेय वयस्क पुत्र हरीशकर पाण्डेय से दिनांक 30/06/2010 को कय किया था जिसका पंजीकृत बयनामा दिनांक 30/06/2010 को उप–निबन्धक तृतीय, कानपुर नगर के कार्यालय में हुआ था जो कि बही सं0–1 जिल्द सं0–10361 के पृष्ठ सं0–183 से 212 पर कमांक 7008 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया। उक्त बयनामा श्री उदय नारायन पाण्डेय के मुख्तारआम श्री अशोक कुमार पाण्डेय पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डेय द्वारा किया गया जिसका उल्लेख प्रार्थी के बयनामें में किया गया। प्रार्थी के उक्त बयनामें में यह अंकित किया गया है कि उक्त मुख्तारआम दिनांक 22/01/2008 को नियुक्त किया गया था जो कि सब–रजिस्ट्रार कानपुर नगर में पुस्तक सं0–4 खण्ड सं0–160 के पृष्ठ

सं0-285 से 298 पर कम सं0-164 पर दिनांक 22/01/2008 ई0 को दर्ज है तथा यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रार्थी के बयनामा कराने के दिन तक उक्त मुख्तारनामा प्रभावी था।

उक्त भूखण्ड को श्री उदय नारायन पाण्डेय द्वारा दिनांक 02/02/1990 ई0 को कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 स्थित जी0टी0 रोड (पी0ए0सी0 रोड) कानपुर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता आत्मज श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी 694 वाई-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर से कय किया गया था जिसका कि पंजीकरण कार्यालय सब-रजिस्ट्रार कानपुर नगर के यहाँ पुस्तक सं0-1 खण्ड सं0-174 के पृष्ठ सं0-286 से 294 पर कम सं0-22916 पर दिनांक 03/02/1990 को दर्ज है। वर्ष 1990 से 2010 तक श्री उदय नारायन पाण्डेय उक्त भूखण्ड के मालिक थे और 2010 से प्रार्थी उक्त भूखण्ड का मालिक, काबिज व दखील चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड कय करने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा कानपुर नगर निगम में नामान्तरण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका कि निस्तारण करते हुये आदेश दिनांकित 30/11/2024 पारित किया गया था और प्रार्थी का नामान्तरण भी कर दिया गया था उक्त आदेश की प्रतिलिपि श्रीमान् जी के अवलोकन हेतु प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न की जा रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त भवन पर कानपुर जल संस्थान का विकास शुल्क बिल 7532/-रू0 जमा किया गया था जिसकी रसीद दिनांक 20/10/2011 को कानपुर जल संस्थान द्वारा प्रदान की गयी थी उक्त रसीद की भी छायाप्रति श्रीमान् जी के अवलोकन हेतु जमा की जा रही है। कानपुर नगर निगम को प्रार्थी बराबर गृहकर अदा कर रहा है उसकी भी रसीद श्रीमान् जी के अवलोकन हेतु जमा की जा रही है। उसी मालिकाना हक के आधार पर प्रार्थी द्वारा विद्युत मीटर भी अप्लाई किया गया था उसकी रसीद भी श्रीमान् जी के

अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 1990 से उक्त भूखण्ड पर 2010 तक भूखण्ड स्वामी उदय नारायन पाण्डेय थे उससे पहले भवन के मालिक कर्मचारी नगर हाउसिंग सोसायटी लि0 थी उसके बाद प्रार्थी चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त भवन का नम्बर भी एलाट किया गया था तथा कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी बेटरमेंट चार्ज जमा करने हेतु कहने पर जमा किया जाना कहा गया था तथा उसी भूमि पर आवंट्ति भूखण्डों का कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बेटरमेंट चार्ज जमा भी किया गया है। प्रार्थी अत्यन्त वयोवृद्ध शांतिप्रिय नागरिक है तथा श्रीमान् जी द्वारा की जा रही जाँच पर सम्पूर्ण विश्वास व भरोसा रखता है। अपने समस्त प्रपत्र अपने प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल कर रहा है जिन्हे रिकाड पर लेकर उसकी सूक्ष्म जाँच करने के उपरान्त ही श्रीमान् जी के द्वारा न्यायहित में कोई निर्णय लिया जायेगा ऐसी आशा भी करता है। समस्त प्रपत्र प्रार्थनापत्र के साथ न्याय की आशा के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र तथा संलग्न समस्त प्रपत्रों की सूक्ष्म जाँच के उपरान्त न्याय करने की कृपा करें। प्रार्थी व उसका परिवार सदैव श्रीमान् जी का आभारी रहेगा।

दिनांक–

प्रार्थी

राम कुमार राठौर पुत्र हीरालाल
निवासी 127 डब्लू–1 (एस) 559बी(2)
आराजी सं0–701 का जुज भाग
साकेत नगर, कानपुर नगर।

कोषागार कानपुर नगर
24 JUN 2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A [illegible]

फोटो श्री अशोक कुमार पाण्डेय

फोटो डा0 रामकुमार राठौर

कार्यालय : श्रीमान उपनिबन्धक, जोन–3., कानपुर नगर

1. प्रस्तुत दिनांक : 30–06–2010
2. निष्पादन दिनांक : 30–06–2010
3. प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता : अशोक कुमार पाण्डेय वयस्क पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डेय निवासी भवन संख्या 127/315, डबलू–1 ब्लाक, साकेत नगर कानपुर नगर।
(बहैसियत पंजीकृत मुख्तारआम)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 81(

2

4.	लेखपत्र का प्रकार	:	विक्रयपत्र
5.	प्रतिफल राशि	:	6,50,000/– रूपया
6.	बाजारी/सरकारी मूल्य	:	20,16,640/– रूपया
7	विक्रेता का नाम व पता	:	उदय नारायन पाण्डेय वयस्क पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डेय निवासी मकान नम्बर 127/315 डबलू–1 ब्लाक, साकेत नगर कानपुर नगर, द्वारा पंजीकृत मुख्तारआम अशोक कुमार पाण्डेय वयस्क पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डेय निवासी भवन संख्या 127/315, डबलू–1 ब्लाक, साकेत नगर कानपुर नगर।
8.	क्रेता का नाम व पता	:	डा0 राम कुमार राठौर, वयस्क, पुत्र डा0 हीरालाल राठौर, निवासी मकान नम्बर 151, एन ब्लाक किदवई नगर कानपुर नगर।

<u>विक्रीत सम्पत्ति का विवरण</u>

1.	स्थान	:	साकेत नगर, कानपुर नगर।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

28 JUN 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 816009

3

2.	विक्रीत प्लाट संख्या	:	एक किता प्लाट संख्या 559 बी. (2) जो कि आराजी संख्या 701का जुज भाग है क्षेत्रफल 200 वर्गगज वाकै जूही कलां कानपुर नगर जो कि वर्तमान समय में साकेत नगर कानपुर नगर के नाम से जाना जाता है।
3.	विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल	:	167.22 वर्गमीटर
4.	निर्मित क्षेत्रफल	:	शून्य, प्लाट पर कोई निर्माण नहीं है। सड़क की तरफ दीवार बनी है व गेट लगा है।
5.	खुला भाग	:	सम्पूर्ण
6.	सीमा में सड़क की चौड़ाई	:	60 फिट रोड
7.	भूप्रयोग	:	आवासीय
8.	सम्पत्ति का प्रकार	:	आवासीय प्लाट है।
9.	पार्क/सड़क व अन्य विवरण	:	विक्रीत प्लाट के दो दिशाओ में रोड नहीं है। विक्रीत प्लाट के सामने कोई पार्क नहीं है। इस विक्रयपत्र में उल्लिखित विक्रीत प्लाट को संलग्न

कोषागार कानपुर नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 81601

4

मानचित्र में वर्तमान स्थिति के अनुसार वास्तविक व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, तथा विक्रीत प्लाट का छविचित्र भी विक्रयपत्र के साथ संलग्न है।

10. सम्पत्ति की सीमाओं का विवरण

उत्तर	:	प्लाट नम्बर–1
दक्षिण	:	प्लाट नम्बर–3
पूरब	:	प्लाट नम्बर–11
पश्चिम	:	60 फिट रोड

विवरण स्टाम्प अदायगी

1.	जिलाधिकारी दर भूमि	:	रूपया 12,000/– प्रति वर्गमीटर
2.	भूमि का मूल्य	:	रूपया 20,06,640/–
3.	दीवार व गेट का मूल्य	:	रूपया 10,000/–
4.	सम्पत्ति का कुल मूल्य	:	रूपया 20,16,640/–
5.	जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प	:	रूपया 1,41,200/–
6.	स्टाम्प अदा किया गया	:	रूपया 1,41,200/–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

13 JUN 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 0202

5

विक्रयपत्र

यह विक्रयपत्र आज कानपुर नगर में :–

उदय नारायन पाण्डेय वयस्क पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डेय निवासी मकान नम्बर 127/315 डबलू–1 ब्लाक, साकेत नगर कानपुर नगर, द्वारा पंजीकृत मुख्तारआम अशोक कुमार पाण्डेय वयस्क पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डेय निवासी भवन संख्या 127/315, डबलू–1 ब्लाक, साकेत नगर कानपुर नगर; जिन्हें इस विलेख में आगे शब्द "प्रथमपक्ष" से सम्बोधित किया गया है; और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सभी सम्मिलित हैं।

.... विक्रेता/प्रथमपक्ष

एवम्

डा0 सुम कुमार राठौर, वयस्क, पुत्र डा0 हीरालाल राठौर, निवासी मकान नम्बर 151, एन ब्लाक किदवई नगर कानपुर नगर; जिन्हें इस विलेख में आगे शब्द "द्वितीयपक्ष" से सम्बोधित किया गया है; और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

.... क्रेता/द्वितीयपक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 02021

6

विदित हो कि प्रथमपक्ष ने एक किता प्लाट संख्या 559 बी. (2) जो कि आराजी संख्या 701का जुज भाग है क्षेत्रफल 200 वर्गगज वाकै जूही कलां कानपुर नगर जो कि वर्तमान समय में मोहल्ला साकेत नगर कानपुर नगर के नाम से जाना जाता है को बजरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 02–02–1990 ईस्वी, कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0, स्थित जी0टी0 रोड (पी. ए. सी. रोड) कानपुर, द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता, आत्मज श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी 694, वाई ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर से खरीदा किया है जिसका पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्ट्रार कानपुर के यहां पुस्तक संख्या–1, खण्ड–174, के पृष्ठ संख्या 286 से 294 पर क्रम संख्या 22916 पर दिनांक 03–02–1990 को दर्ज है और तारीख खरीदारी से प्रथमपक्ष उक्त प्लाट पर तनहा मालिक काबिज व दखील चला आ रहा है, तथा इसका नाम भी समस्त सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, और उसे उक्त प्लाट के बावत समस्त प्रकार के स्वामित्वाधिकार प्राप्त हैं।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष के स्वामित्व वाले उक्त वर्णित प्लाट में कोई अन्य शख्स सांझीदार व भागीदार व हिस्सेदार नही है और जो कि आज दिन तक सर्वथा भारमुक्त है यानि किसी अन्य जगह रहन व बय व हिबा व

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

19 JUN 2010

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 240538

7

मुश्तगरक व जमानत आदि नही है और न ही किसी की डिक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम है और न ही किसी आज्ञां के तहत प्रथमपक्ष उक्त प्लाट को हस्तानान्तरित आदि किए जाने से आज दिन तक मना ही किया गया है और न ही उसमें कोई समस्या आयकर, व्यापारकर, बैंक लोन, सीलिंग, या किसी मुकदमा या किसी ट्रस्ट आदि की ही है और जिसको हस्तान्तरित आदि किए जाने की बावत समस्त मालिकाना सुखाधिकार एव स्वत्वाधिकार प्रथमपक्ष उपरोक्त को प्राप्त हैं। यदि विरूद्ध उपरोक्त लिखित के कोई अन्य बात पायी जाये या कोई स्वामित्व दोष पाया जाये तो उसकी पूर्ण आर्थिक व विधिक जिम्मेदारी हर प्रकार की प्रथमपक्ष की होगी।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष ने अपनें उपरोक्त प्लाट की देखभाल करने, उसके विक्रय करने व समुचित प्रबन्ध आदि करने के बावत श्री अशोक कुमार पाण्डेय वयस्क पुत्र श्री हरीशंकर पाण्डेय निवासी भवन संख्या 127/315, डबलू–1 ब्लाक, साकेत नगर कानपुर नगर को जरिये पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांकित 22–01–2008, अपना पंजीकृत मुख्तारआम नियुक्त किया है जिसकी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

19 JUN 2010

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH M 240459

8

रजिस्ट्री कार्यालय सब–रजिस्ट्रार, कानपुर नगर में पुस्तक संख्या–4, खण्ड–160 के पृष्ठ संख्या–285 से 298 पर क्रम संख्या–164 पर दिनांक 22–01–2008 ईसवी को दर्ज है तथा मुख्तारआम को प्लाट उपरोक्त के बावत दिये गये समस्त अधिकार आज दिन तक सुरक्षित है अर्थात मुख्तारनामा आज दिन तक कैन्सिल या समाप्त नही किया गया है और जो आज दिन तक प्रभावी है।

यह भी विदित हो कि वर्तमान समय में प्रथमपक्ष को अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की तीव्र आवश्यकता है और बिना विक्रय किये हुए प्लाट उपरोक्त, प्रथमपक्ष को धन की प्राप्ति का कोई अन्य जरिया नजर नहीं आ रहा है, इसलिए प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित प्लाट को विक्रय करना निश्चित किया और प्रथमपक्ष की सहमति व स्वीकृति से उसके मुख्तारआम ने उक्त प्लाट के विक्रय की वार्ता जनमानस में प्रारम्भ की और उसके हर प्रकार से पाक व साफ होने का विश्वास व भरोसा दिलाया जिस पर द्वितीयपक्ष ने प्लाट उपरोक्त को अपनी रिहायशी आवश्यकता की पूर्ति के

Ashok Kumar Pandey

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

19 JUN 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 971298

9

लिए मुबलिग 6,50,000/— रूपये में क्रय करने हेतु तैयार है जो कि वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुरूप है और इससे अधिक कीमत मिलने की सम्भावना नहीं है, अतएव प्रथमपक्ष को सहर्ष स्वीकार है। अतः प्रथमपक्ष की ओर से उसके मुख्तारआम ने प्रथमपक्ष के स्वामित्व वाले उपरोक्त वर्णित एक किता प्लाट संख्या 559 बी. (2) जो कि आराजी संख्या 701का जुज भाग है क्षेत्रफल 200 वर्गगज वाकै जूही कलां कानपुर नगर जो कि वर्तमान समय में साकेत नगर कानपुर नगर के नाम से जाना जाता है (जिसे आगे इस विलेख में शब्द "विक्रीत प्लाट" कहा गया है) जिसे इस विक्रयपत्र के साथ संलग्नक मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है तथा जिसका छविचित्र भी इस विलेख के साथ संलग्न है, को समस्त स्वत्वाधिकार व स्वामित्वाधिकार आदि मुबलिग 6,50,000/— रूपया में द्वितीयपक्ष उपरोक्त के हक में कतई तौर पर विक्रय कर दिया और प्रथमपक्ष की ओर से उसके मुख्तारआम ने द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य इस विक्रयपत्र के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके, विक्रीत प्लाट उपरोक्त के सम्पूर्ण भाग का रिक्त अवस्था में वास्तविक

Ashok Kumar Pandey

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 19 JUN 2010

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 971299

10

कब्जा द्वितीयपक्ष को प्रदत्त कर, उस पर प्रथमपक्ष की ही भांति बहैसियत स्वामी काबिज करा दिया। आज से द्वितीयपक्ष विक्रीत प्लाट उपरोक्त का एकमात्र मालिक, स्वामी व काबिज हो गया है तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह क्रयशुदा विक्रीत प्लाट उपरोक्त को अपने आवासीय प्रयोजन व उपभोग में लाये अथवा बन्धक व विक्रय आदि करे और द्वितीयपक्ष अपना नाम सम्बन्धित समस्त सरकारी अभिलेखों जैसे कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर निगम, जल संस्थान कानपुर इत्यादि में बहैसियत एकल स्वामीं अंकित करवा लेंवे और समस्त देय करों का भुगतान करें, प्रथमपक्ष की पूर्ण सहमति इस विक्रयपत्र द्वारा मान्य होगी और आवश्यकता [illegible] नपक्ष अलग से अपनी सहमति व स्वीकृति, शपथपत्र आदि, जैसी भी [illegible]कता होगी, को प्रथक से हस्ताक्षरित कर दे देगा।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष ने विक्रीत प्लाट के हर प्रकार से पाक व साफ होने का पूर्ण विश्वास व भरोसा द्वितीयपक्ष को दिला दिया है। यदि

Ashok Kumar Pandey

भविष्य में प्रथमपक्ष के स्वामित्व में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाये जाने पर द्वितीयपक्ष के स्वामित्व, कब्जा, दखल व अधिकार से विक्रीत भवन का सम्पूर्ण या आंशिक भाग निकल जाये या उसको आज के पूर्व किसी बकाया या ऋण आदि की अदायगी करनी पड़े या इस विक्रयपत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य पाये जायें तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना सम्पूर्ण या आंशिक विक्रयमूल्य, जैसी कि स्थिति हो, हर्जा व खर्चा व ब्याज सहित प्रथमपक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा अथवा जैसे चाहे वसूल कर लेंवे। इसमे प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न तो है और न ही भविष्य में होगी। इस विक्रयपत्र के निष्पादन व पंजीयन का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया गया है। यह विक्रयपत्र प्रथमपक्ष और द्वितीयपक्ष व उनके सभी उत्तराधिकारियों व स्थानापन्न पर भी पूर्ण रूप से मान्य व प्रभावी होगा।

विवरण प्राप्ति विक्रयमूल्य 6,50,000/— रूपया
(शब्दों में छः लाख पचास हजार रूपया मात्र)

प्रथमपक्ष की ओर से उसके मुख्तारआम ने द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण विक्रयमूल्य मुबलिग 6,50,000/— रूपयां नकद रूबरू गवाहान, प्राप्त कर लिया है। अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध में कोई धन प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से प्राप्त करना शेष नहीं रह गया है।

अतः प्रथमपक्ष की ओर से मुख्तारआम और द्वितीयपक्ष ने अपने अपने स्वस्थ मन, बुद्धि, मस्तिष्क तथा इन्द्रियों की सही दशा में, अपनी अपनी राजी खुशी से, बिना किसी जोर व दबाव नाजायज के, भली भांति पढ़ व समझकर, यह विक्रयपत्र समक्ष साक्षीगण निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विक्रेता का पैन नम्बर — नहीं है
क्रेता का पैन नम्बर — ABGPR9594M

Arun kumar Pandey

निशानात पंजा क्रमशः बांया व दायां विक्रेता–मुख्तारआम :–

1. अंगुष्ठा
2. तर्जनी
3. मध्यमा
4. अनामिका
5. कनिष्ठा

1. अंगुष्ठा
2. तर्जनी
3. मध्यमा
4. अनामिका
5. कनिष्ठा

निशानात पंजा क्रमशः बांया व दायां क्रेता :–

1. अंगुष्ठा
2. तर्जनी
3. मध्यमा
4. अनामिका
5. कनिष्ठा

1. अंगुष्ठा
2. तर्जनी
3. मध्यमा
4. अनामिका
5. कनिष्ठा

SITE PLAN OF . PLOT NO. 559B [2] AT PART OF ARAZI NO. 701

MAUZA - JUHI KALA SAKET NAGAR, DISTT. KANPUR NAGAR

NAME OF SELLER :-SHRI UDAY NARAIN PANDEY S/O SHRI HARI SHANKER PANDEY

NAME OF PURCHASER :- DR. RAM KUMAR RATHORE S/O SHRI HIRA LAL RATHORE

PLOT AREA :- 200 SQ. YARD OR 167.22 SQ. MTR.

COV. AREA :- NIL

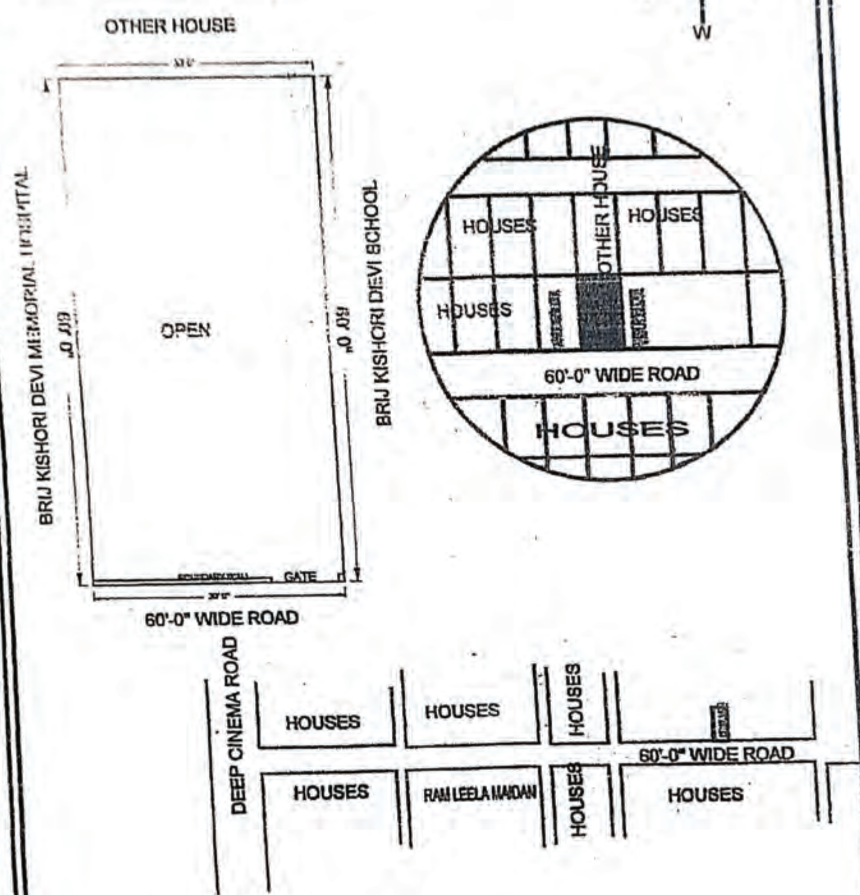

SIGN. OF SELLER

ANIL KUMAR

54, KAILASH NAGAR

SIGN. OF PURCHASER

SITE PL[illegible] OF . PLOT NO. 559B [2] AT PART OF ARAZI NO. 701
[M]AUZA - JUHI KALA SAKET NAGAR, DISTT. KANPUR NAGAR

NAME OF SELLER :-SHRI UDAY NARAIN PANDEY S/O SHRI HARI SHANKER PANDEY

NAME OF PURCHASER :- DR. RAM KUMAR RATHORE S/O SHRI HIRA LAL RATHORE

PLOT AREA :- 200 SQ. YARD OR 167.22 SQ. MTR.

COV. AREA :- NIL

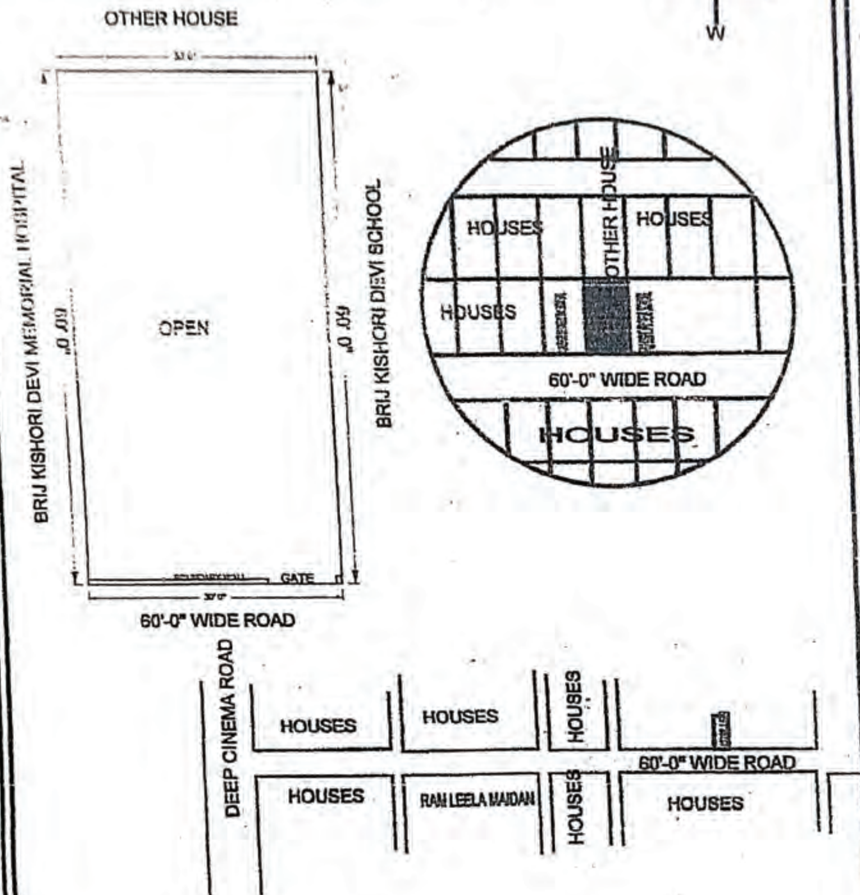

SIGN. OF SELLER

ANIL KUMAR
Architect Surveyor
KAILASH NAGAR
KANPUR

SIGN. OF PURCHASER

PHOTO OF PLOT NO. 559B [2] AT PART OF ARAZI NO. 701
MAUZA - JUHI KALA SAKET NAGAR, DISTT. KANPUR NAGAR

SIGN. OF SELLER

SIGN. OF PURCHASER

2023-2024 +

83134/-

02/08/2023

Kanpur Nagar Nigam
House Tax Receipt

PID No 302412701566001

Date: 2023-08-02	Time: 14:48:31
Bank Code:	icic0000326
Bank Name:	ICICI Bank
Cheque Number:	031252
Cheque Date:	02/08/23

SALE

PAID BY:	CHEQUE
BASE AMOUNT:	Rs.83,134.00
SERVICE FEE:	Rs.0.00
TOTAL AMOUNT:	Rs.83,134.00

SIGNATURE NOT REQUIRED
SUMAN DO SHIV NARAIN
VERSION V-2.0.0

Additional Details

...D No: 302412701566001
...ner Name: SUMAN D/O SHIV NARAIN
...No: 559B-2 SAKET NAGAR

Razorpay

***** Customer Copy *****

नगर निगम,कानपुर
कर निर्धारण विभाग (सम्पूर्ण भाग)

आदेश संख्या : **MO/2024/018538**
आदेश दिनांक: **30-11-2024**
आवेदन संख्या: **PM3072324018198**

प्रस्ताव संख्या: 40
प्रस्ताव दिनांक: 23/4/25

सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी **Dr Ram Kumar Rathore** का प्रार्थना पत्र दिनांक 13-10-2023 बाबत भवन स्थित **127W-1(S)/559B-2/SAKET NAGAR**, SAKET NAGAR, 24, Zone-3 नगर निगम,कानपुर के नाम परिवर्तन विषय का मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था । आवेदक ने सम्बंधित भवन पर दर्ज नाम परिवर्तन हेतु Registered sale document आदि प्रपत्र अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किये है। भवन पर दर्ज नाम परिवर्तन हेतु अधिनियम की धारा २१३ (बी) / १४७(२) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी । विभागीय आख्या के अनुसार नोटिस की निर्धारित अवधि में किसी भी हितबद्ध पक्ष की कोई भी आपत्ति प्राप्त नही हुई।

सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी **Dr Ram Kumar Rathore** द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर **127W-1(S)/559B-2/SAKET NAGAR** , SAKET NAGAR, 24, Zone-3 नगर निगम,कानपुर में वर्तमान में श्री / श्रीमती / कुमारी SUMAN D/O SHIV NARAIN का नाम खारिज करके श्री / श्रीमती / कुमारी Dr Ram Kumar Rathore का नाम कर संग्रहण के उद्देश्य से अंकित किया जाता है। भविष्य मे किसी भी प्रकार की आपत्ति या विवाद विषयक तथ्यों को छिपाने की स्थिति में नाम परिवर्तन की कार्यवाही स्वतः निरस्त हो जाएगी एवं माननीय सक्षम न्यायलय का निर्णय मान्य होगा। भवन के स्वामित्व से उपरोक्त कार्यवाही का कोई संबंध नहीं है।

23 April 2025
जोनल अधिकारी जोन-3
नगर निगम कानपुर

जोनल अधिकारी / उप नगर आयुक्त / सक्षम अधिकारी
नगर निगम,कानपुर

KANPUR MUNICIPAL CORPORATION (कानपुर नगर निगम)

FINANCIAL YEAR
वित्तीय वर्ष 2023-2024

HOUSE TAX RECEIPT (गृहकर रसीद)

House No. भवन संख्या	PID No.	ZONE NO. जोन संख्या	WARD NO. वार्ड संख्या	MOHALLA मोहल्ला
42	302412702384001	Zone 3	Ward No 24	W1M.I.G. ASHOK VIHAR

NAME OF THE OWNER / OCCUPIER (मकान मालिक का नाम)	ASSESSMENT DATE : 2016-04-01
DR. RAM KUMAR RATHORE S/O DR HEERA LAL RATHORE	ANNUAL RENTAL VALUE (वार्षिक मूल्य): 53490
FATHER'S / HUSBAND'S NAME (पिता / पति का नाम)	

CURRENT YEAR TAX चालू वर्ष का कर	ARREAR (बकाया)	INTEREST (ब्याज)	EXCESS AMOUNT (अतिरिक्त राशि)	TOTAL TAX PAYABLE कुल देय कर	RECEIVED AMOUNT प्राप्त रुपया
8024.00	0.00	0.00	5308	-3394	1914

CURRENT TAX PAID चालू कर जमा)	ARREAR PAID (बकाया जमा)	INTEREST PAID (ब्याज जमा)	EXCESS AMOUNT ADJUSTED (समायोजित अतिरिक्त राशि)	DISCOUNT PAID छूट जमा	BALANCE (शेष राशि)
8024	0.00	0.00	1914	0.00	0 [Excess Amount: 1914]

MODE OF PAYMENT भुगतान का प्रकार	CHEQUE REFERENCE NO चेक संदर्भ संख्या	CHEQUE REFERENCE DATE चेक संदर्भ दिनांक	BANK NAME बैंक का नाम
Cash	N/A	N/A	N/A

TRANSACTION DATE प्राप्ति तिथि	TRANSACTION REFERENCE NO. प्राप्ति संख्या	RECEIPT NO रसीद संख्या	CASHIER कैशियर
2023-09-23 13:48:12	N/A	POS2324092338098	RI2KNN_ZONE3

जलकल विभाग – नगर निगम, कानपुर

पुस्तक सं० **2912** (बेनाझाबर रोड, कानपुर-208 002) प्रतिपर्ण सं० **68**

उपभोक्ता नं० 177/W/3/555 B-G खाता नं० दिनांक 5/11/11

जल कर	/	
सीवर कर	/	
जल मूल्य	/	
मीटर किराया		
न्यू प्र० जल मू०		
न्यू प्रभार सीवर	7532	00
सेवा शुल्क	/	
अधि भार	/	
अग्रिम जल मूल्य	/	
अन्य	/	
कुल योग अंकों में	7532	00

चेकों की अभिस्वीकृति

अवधि निकास सीवर तक

चेक नं० 737234 दिनांक 4-11-11

बैंक का नाम H.D.F.C Bank LTD

नाम श्री [illegible]

मकान नं० 177/W/555 B-G मोहल्ला साकेत नगर

रुपया (शब्दो में) सात हजार पांच सौ बत्तीस रुपया मात्र प्राप्त किया।

ह० अधिकृत वसूली कर्ता

नोट : इसे जलकल विभाग के देयों के भुगतान के निमित दी गई धनराशि की रसीद नहीं समझना चाहिए। चेक भुन जाने के पश्चात यथा नियम रसीद प्राप्त कर ली जाय। इस रसीद से उपभोक्ता के खाते में पोस्टिंग नहीं की जायेगी।

कानपुर जल संस्थान
बेनाझाबर रोड, कानपुर – 208002
फोन : 0512–25448213, 2549018, फैक्स : 0512–2554072
Website : www.kanpurjalsansthan.com

Notice No.- Jal | AAA | D-667 / 2011 dt 20/9/11

विकास शुल्क बिल

उपभोक्ता का नाम :- श्री S/o राम कुमार राठौर 127/559 B (?)
प्लाट नं0 / भवन संख्या:- S/o श्री हीरा लाल राठौर
साकेत नगर

क0स0	विवरण	क्षेत्रफल	दर / यूनिट	योग
	विकास शुल्क			
1.	Centre (?) Plot Area	167.22	25.62/m2	4284=18
	सीवर द्वारा			
2.	Covered Area on Registry 167.22 x 70%	117 m2	19.21 m2	2247.50
3.	Compounding charges			500=00
4.	Sewer Connection charges			500=00
			Total Rs.	7531=76
			Say. योग: Rs	7532=00

(Seven thousand five hundred thirty two only.)

अधि0 अभि0   सहा0 अभि0   अवर अभि0
21/10/11

हमारा लक्ष्य स्वच्छ जल ।। शुद्ध जल ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है ।।

KANPUR MUNICIPAL CORPORATION (कानपुर नगर निगम)

HOUSE TAX BILL (गृहकर बिल)

FINANCIAL YEAR
वित्तीय वर्ष
2024-2025

House No. भवन संख्या	PID No.	ZONE NO. जोन संख्या	WARD NO. वार्ड संख्या	MOHALLA मोहल्ला
127W-1(S) 559B-2	302412701566001	Zone 3	Ward No 24 USMANPUR	SAKET NAGAR

NAME OF THE OWNER / OCCUPIER (भवन स्वामी / अध्यासी का नाम)	ASSESSMENT DATE :
Dr. RAM KUMAR RATHORE S/O Dr HEERALAL RATHORE	2008-01-04
FATHER'S / HUSBAND'S NAME (पिता / पति का नाम)	TOTAL ARV
	20684

CURRENT YEAR TAX चालू वर्ष का कर	ARREAR (बकाया)	INTEREST (ब्याज)	TOTAL TAX PAYABLE कुल देय कर
3103	0	0	3103

1. गृहकर दाता का दायित्व यह हैं की वह निर्धारित अवधि के अंदर अपने भवन के गृहकर का भुगतान करे | वर्तमान मांग पर छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी | कृपया बिल की प्रतीक्षा न करे और गृहकर के भुगतान के लिए बिल अनिवार्य नहीं हैं
2. गृहकर का भुगतान नगर निगम के जोन कार्यालयों अथवा ऑनलाइन नगर निगम कानपुर की प्रॉपर्टी वेबसाइट https://knnpropertytax.com/ के द्वारा डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं|
3. यह बिल कंप्यूटर द्वारा निर्गत किया गया हैं | नगर निगम अभिलेखों में दर्ज गणना एवं मुख्या कर निर्धारण अधिकारी का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा | भवन-कर का सम्बन्ध भवन के स्वामित्व से नहीं होता|

Bill Date: --

This is Computer Generated Bill. No Signature is Required.

का० वि० प्रा०

का०वि०प्रा०

लेख एवं अज्ञायें

तहसीलदार/विशेष कार्याधिकारी (भूमि बैंक) महोदय,

कृपया प्रभारी अधिकारी अभियंत्रण खण्ड की आख्या दिनांक 27.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें अभियंत्रण खण्ड द्वारा विपक्षी के प्रतिउत्तर की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, विपक्षी द्वारा अपने प्रतिउत्तर के साथ विक्रय पत्र संलग्न किया गया है, संलग्न विक्रय पत्र में ग्राम जूही कला की आराजी संख्या–701 का उल्लेख है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल की चारो ओर प्राधिकरण की योजना विकसित है तथा पूर्ण रूप से शहरी आबादी आबाद है। राजस्व मानचित्र में अंकित चौमेडा, तिमेडा, सिहद्दा रेलवे लाइन इत्यादि स्थायी बिन्दु मौके पर मौजूद नहीं है। प्राधिकरण में उपलब्ध राजस्व मानचित्र, सुपर इम्पोज प्लान तथा डब्लू–1 जूही कला के तलपट मानचित्र से मौके पर मिलान किया गया, मिलान के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–559 डब्लू–1 जुही कला कानपुर नगर की आराजी संख्या–699पार्ट, 372पार्ट, 371पार्ट व 700पार्ट पर स्थित होना पाया गया। प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखानुसार ग्राम जुही कला की आराजी संख्या–699, 372, 371 व आराजी नं0–700 का सम्पूर्ण रकबा एवार्ड सं0–01 दिनांक 16:10.1958 से अर्जित तथा कब्जा दिनांक 18.10.1958 से प्राप्त है जो कि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। पत्रावली मूल रूप से अभियंत्रण जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

Ankur 01-09-25

01/09/25

01-09-25

का0वि0प्रा0

का0 वि0 प्रा0

लेख एवंअज्ञायें

सहायक लेखाकार/

कृपया अभियन्त्रण खण्ड जोन–3 की आख्या दिनांक–08.09.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा विक्रय संबंधी प्रपत्रों कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत् भूखण्ड का आवंटन/निबंधन विक्रय अनुभाग द्वारा नहीं किया गया है। भूमि बैंक जोन–3 की आख्या दिनांक–01.09.2025 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि के0डी0ए0 स्वामित्व की भूमि है।

अतः उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रावली अभियन्त्रण खण्ड जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

Dwivedi 10/09/25

10/9
अखिलेश निगम
सह0 लेखाकार

10/09/25

AE/JE

10/09/2025

16/9/25

ANNEXURE R1/19

कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर

सार्वजनिक/प्राधिकरण भूमि पर अवैध कब्जा/
निर्माण की प्रथम सूचना रिपोर्ट(जोन–3)

का0 वि0 प्रा0

सेवा में,

अधिकृत अधिकारी अन्तर्गत धारा 26(क),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

1. निर्माण करने की सम्भावित तिथि..................लगभग 25–30 वर्ष पूर्व..
2. निर्माण देखे जाने की तिथि..
3. निर्माण करने की जगह......................................डब्लू–1 जूही कला..
   प्लाट संख्या............559.............. परगना..
   आराजी संख्या.........डब्लू–1 जूही कला तहसील..
   ग्राम............................कानपुर नगर..................... .योजना..
4. अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा............................लगभग 225 वर्गगज क्षेत्रफल में भूतल एवं गमटी .... पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व ....सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये।.........
5. निर्माण करने वाले का नाम व पता.................श्रीमती शशि बाला पत्नी श्री विवेक कुमार ....परिसर नं0–559 डब्लू–1 जूही कला,....................... ....कानपुर नगर...
6. प्रस्तावित कार्यवाही:–अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये। निर्माण स्थल का नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित भूमि/सार्वजिनक भूमि के प्राधिकरण भूमि होने का प्रमाण संलग्न है।

07/07/2023
रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर/पदनाम
(मोहर सहित)

7. रिपोर्ट करने की सिफारिश:–उपरोक्तानुसार कार्यवाही की संस्तुति है।

7/7/23 07/7/23
संस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर/पदनाम
(मोहर सहित)

अधिकारी का आदेश:–कारण बताने का नोटिस भेजिये। चालान किया जाये।
नोट:–उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश 31/कार्मिक/का0वि0प्रा0/14–15 दिनांक 19.04.2014 द्वारा अधिकार व कर्तव्य मुझको प्रतिनिधनित (डेलीगेट) कर दिये गये है।

अधिशाषी अभियन्ता(प्रवर्तन जोन–3)

ANNEXURE R1/20

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

का0 वि0 प्रा0

क्र0–डी/833 /प्र0अ0 प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः– 19/7/25

–:कारण बताओ नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

श्रीमती शशि बाला पत्नी श्री विवेक कुमार
परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क (4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूही कला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 225 वर्ग गज क्षेत्रफल में भू–तल एवं ममटी पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद्द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 30/07/25 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क (4)के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/21

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,

(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

का० वि० प्रा०

पत्रांकः–डी/1017 /प्र0अधि0प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः– 07/08/2025

–:पुनः सुनवाई नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

श्रीमती शशि बाला पत्नी श्री विवेक कुमार
नि0–परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूहीकला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 225 वर्गगज क्षेत्रफल में भू–तल एवं ममटी पूर्व निर्मित एवं अध्यासित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्र दिनांक 19.07.2025 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, उक्त नोटिस के कम में आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद् द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क(4) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/22

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (प्रवर्तन जोन–3),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय नोटिस पत्र सं0–डी / 1017 / प्र.अधि.प्रवर्तन(जोन–3) का.वि.प्रा. / 2025–26 दिनांक 07–08–2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र श्रीमती शशिबाला पत्नी श्री विवेक कुमार के नाम सम्बोधित है, जो गलत है क्योंकि उक्त मकान प्रार्थिनी सुमन पुत्री श्री शिवनारायण के नाम है। प्रार्थिनी ने उपरोक्त भूखण्ड / भवन सं0 559, ब्लाक डब्लू–1, जूहीकला, साकेत नगर कानपुर विधिक रूप से वर्ष 2005 में रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा क्रय किया है (छायाप्रति संलग्न है)। उक्त के क्रम में कानपुर नगर महापालिका के पत्र दिनांक 02–12–2006 द्वारा दाखिल खारिज गृह सं0 127 / डब्लू–1 / 559बी(11) साकेत नगर कानपुर को प्रार्थिनी सुमन के नाम स्वामित्व रूप में अंकित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। यह भी अवगत कराना है कि उक्त भूखण्ड / भवन के बावत् बेटरमेन्ट चार्ज तथा मानचित्र स्वीकृति हेतु का.वि.प्रा. के पक्ष में धनराशि भी समय–समय पर जमा की गयी है, जिनकी छायाप्रतियाँ संलग्न हैं।

महोदय नोटिस में जिस कार्यालय पत्र दिनांक 19–07–2025 का उल्लेख किया गया है, वह प्रार्थिनी को अप्राप्त है। प्रार्थिनी के भवन / मकान को अवैध कहना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि प्रार्थिनी ने वैध रजिस्टर्ड बैनामा कराया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उक्त संदर्भित नोटिस रद्द करने की कृपा करें।

दिनाँक :– 21–08–2025

प्रार्थिनी,

संलग्नक :– उक्तानुसार।
1–बैनामा की छायाप्रति।
2–नगर महापालिका द्वारा जारी दाखिल खारिज की प्रति।
3–बेटरमेंट जमा रसीद की 2–अदद छायाप्रति।
4–मानचित्र शुल्क जमा रसीद की छायाप्रतियाँ।

(सुमन)
पुत्री श्री शिवनारायण
127 / डब्लू–1 / 559बी(11)
ब्लाक–डब्लू–1, साकेत नगर
कानपुर।
मो0नं0 : 9628701832

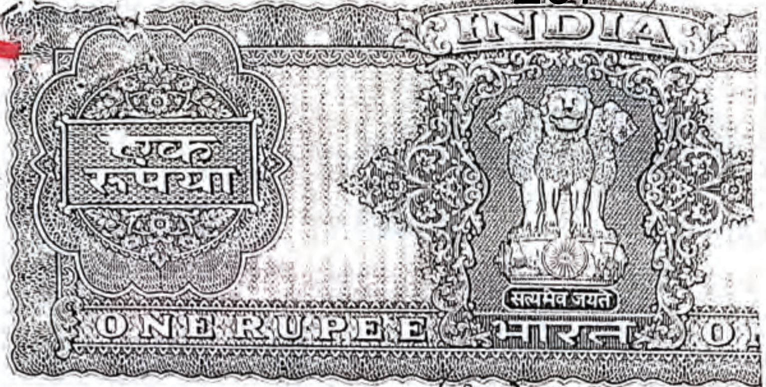

1Re

श्रीगणेशाय नमः

मनकि कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, स्थित जी०टी०रोड, पी०ए०सी०रोड, कानपुर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्याप्रसाद गुप्ता निवासी 694वाई. ब्लाक किदवई नगर शहर कानपुर का हूं ।

विदित हो कि उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 के अन्तर्गत-रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका कि नम्बर 2333 है और उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश आवास विकास संघ से सम्बद्ध है तथा उपरोक्त सोसाइटी की ओर से उसके सचिव श्री रामप्रसादगुप्ता को जायदाद के खरीदने व बेचने के अधिकार प्रदत्त हैं । उपरोक्त सोसाइटी ने अपने सदस्यों के रिहायश के लिए मकानात बनाने के लिए मुख्तलिफ आराजियात भूमिधरीनम्बर 701, स्थित जूहीकलां परगना व जिला कानपुर हासिल किया और उसके बाद उपरोक्त आराजियात में छोटे छोटे प्लाट काटे तथाउपरोक्त प्लाटों में से एक किता प्लाट नम्बर-डी 559 बी. III साकेतनगर, रकवा 200 वर्गगज जूहीकलां परगना व जिला कानपुर को अपने सदस्य श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डेय निवासिनी

कर्मचारी नगर को. हा. सो. लि. सचिव कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-2-

मकान नम्बर 127/236 साकेत नगर शहर कानपुर नगर को प्लाट किया जिनकी सालाना आमदनी 18000/- रुपया से कम है। उक्त प्लाट हर किस्म के बार व दयून से बरी व पाक व साफ है कहीं रहन व बय व हिबा नहीं है और न किसी डिगरी में कुर्क वबरसरे नीलाम है तथा न समिति को किसी न्यायालय ने उपरोक्त प्लाट को हस्तान्तरित करने से रोका है। उपरोक्त पट्टेदार ने मुकिरके स्वामित्व का पूर्ण संतोष करने के पश्चात् उक्त प्लाट को 999 साल की लीज पर लेने को तैयार निम्नलिखित शरायत पर हो गये हैं :-

1. यह कि मुकिर समिति ने श्रीमती प्रतिभा पान्डेय पत्नी श्री राज किशोर पान्डेय निवासिनी 127/236 साकेत नगर कानपुर को प्लाट नम्बर 559 बी. (II) साकेत नगर कानपुर (जूहीकलां) परगना व जिला कानपुर महदूदा जैल 999 साल की लीज पर दिया गया है।

2. यह कि उक्त पट्टेदारिया लैसी ने उक्त प्लाट का प्रीमियम धन मुबलिग़ 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया जिसके कि निस्फ

नगर को. हा. सो. लि.
सचिव
कानपुर

Ram Prasad

IRe

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-3-

2400/- दो हजार चार सौ रूपये होते हैं, मुकिर समिति को निम्न व्योरेवार अदा कर दिया है।

3. यह कि पट्टेदार लैसी मुकिर को 10/- रूपया सालाना किराया लीज रेन्ट उक्त प्लाट का अदा करता रहेगा।

4. यह कि मुकिर सोसाइटी ने उक्त पट्टेदारिया लैसी का उक्त प्लाट पर कब्जा व दखल मिस्ल अपने करा दिया है।

5. यह कि यदि पट्टेदार लैसी के जिम्मे किसी समय तीन साल का लीज रेन्ट बकाया हो जावे तो मुकिर समिति को हक होगा कि वह जरिये नालिश उक्त लीज रेन्ट पट्टेदार लैसी से वसूल कर लेवे।

6. यह कि लैसी पट्टेदार को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्लाट पर इमारत रिहायशी बमोजिब नकशा जो कि नगर महापालिका कानपुर अथवा डेवलपमेन्ट एथारटी पासकरे, तामीर करावे और उसके बाद पट्टेदारिया को अधिकार होगा कि वह उक्त तामीर शुदा इमारत को किराये पर उठावे खुद इस्तेमाल करे इसमें जैसा चाहे वह रहन बय आदि वैसा करे इसमें मुकिर सोसाइटी को किसी

कर्मचारी नगर को० हा० सो० लि० सचिव रजि० 233 कानपुर

Ram Prasad

1Re

-5-

तरह का कोई एतराज न होगा और अपना नाम बइखराज दाखिल खारिज इन्द्राज कागजात सरकारी करा लेंगे।

7. यह कि उपरोक्त प्लाट से सम्बन्धित सब डिवीजन चार्ज बेटरमेन्ट चार्ज या अन्य कोई टैक्स नगर महापालिका कानपुर या दीगर सरकारी मोहकमा समय समय पर लगावे तो उसके अदा करने की जिम्मेदारी पट्टेदारयान लैसी की होगी।

अतः खूब सोच व समझ कर यह चन्द कलमा बतौर दस्तावेज लीज मियादी 999 साल तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

तफसील एकक़िता प्लाट नम्बर 559बी. (III) स्थित साकेतनगर जूहीकलां कानपुर परगना व जिला कानपुर जो कि 999 साल की लीज पर दिया गया महदूदा जैल :--

पूरब	:	30फिट रोड
पश्चिम	:	प्लाट दीगर शख्स बादहू 60फिटरोड
उत्तर	:	प्लाट दीगर शख्स
दक्षिण	:	प्लाट दीगर शख्स बादहू 40फिट रोड,

सचिव
कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA
एक रुपया
सत्यमेव जयते
ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-5-

तफसील वसूलयाबी प्रीमियम हस्ब मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा पट्टेदार किराया लेली से नकद वसूल पाया मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

तहरीर तारीख- 11-12-1989 ई0

टाइपकर्ता- रामवचन प्रजापति ला0नं0085
रामवचन प्रजापति
कोर्ट कानपुर।

कर्मचारी नगर को० हा० सो० लि०
सचिव
रजि०-2333, कानपुर

हस्ताक्षर गवाहान-

1. R.S. Srivastava

2. [illegible]

ह0मुकिर- Ram Prasad

Drafted by me
Ramesh Chandra Srivastava
Advocate
11.12.89.

INDIA

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-5-

तफसील वसूलयाबी प्रीमियम दान मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा पट्टेदार किया मैंने से नकद वसूल पाया मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

तहरीर तारीख- 11-12-1989 ई०

टाइपकर्ता- रामचरन प्रजापति ला०नं०85
कोर्ट कानपुर।

कर्मचारी नगर को० हा० सो० लि०
सचिव
रजि०-2333, कानपुर

हस्ताक्षर गवाहान-

1. R.S. Srivastava

2. [signature]

ह०मुकिर- Ram Prasad

Drafted by me
Ramesh Chandra Srivastava
Advocate
11.12.89.

IRe

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

श्रीगणेशाय नमः

मनकि कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, स्थित जी०टी०रोड, पी०ए०सी०रोड, कानपुर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्याप्रसाद गुप्ता निवासी 694 वार्ड, ब्लाक किदवई नगर शहर कानपुर का हूं।

विदित हो कि उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका कि नम्बर 2333 है और उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश आवास विकास संघ से सम्बद्ध है तथा उपरोक्त सोसाइटी की ओर से उसके सचिव श्री रामप्रसादगुप्ता को जायदाद के खरीदने व बेचने के अधिकार प्रदत्त हैं। उपरोक्त सोसाइटी ने अपने सदस्यों के रिहायश के लिए मकानात बनाने के लिए मुख्तलिफ आराजियात भूमिधरीनम्बर 701, स्थित जूहीकलां परगना व जिला कानपुर हासिल किया और उसके बाद उपरोक्त आराजियात में छोटे छोटे प्लाट काटे तथा उपरोक्त प्लाटों में से एक किता प्लाट नम्बर-ऊ 559 बी. ।।। साकेतनगर, रकबा 200 वर्गगज जूहीकलां परगना व जिला कानपुर को अपने सदस्य श्रीमती प्रतिभा पान्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पान्डेय निवासिनी

कर्मचारी नगर को. हा. सो. लि.
सचिव
कानपुर

Ram Prasad

1Rº

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-2-

मकान नम्बर 127/236 साकेत नगर शहर कानपुर नगर को प्लाट किया जिसकी सालाना आमदनी 18000/- रूपया से कम है । उक्त प्लाट हर किस्म के बार व दयून से बरी व पाक व साफ है कहीं रहन व बय व हिबा नही है और न किसी डिगरी में कुर्क वबरसरे नीलाम है तथा न समिति को किसी न्यायालय ने उपरोक्त प्लाट को हस्तान्तरित करने से रोका है । उपरोक्त पट्टेदार ने मुकिरके स्वामित्व का पूर्ण संतोष करने के पश्चात् उक्त प्लाट को 999 साल की लीज पर लेने को तैयार निम्नलिखित शरायत पर हो गये हैं :-

1. यह कि मुकिर समिति ने श्रीमती प्रतिभा पान्डेय पत्नी श्री राज किशोर पान्डेय निवासिनी 127/236 साकेत नगर कानपुर को प्लाट नम्बर 559 बी. । 11 । साकेत नगर कानपुर ।जूहीकलाँ। परगना व जिला कानपुर महदूदा जैल 999 साल की लीज पर दिया गया है ।

2. यह कि उक्त पट्टेदारिया लैसी ने उक्त प्लाट का प्रीमियम धन मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रूपया जिसके कि निस्फ

सहकारी नगर को. हा. सो. लि. सचिव कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-3-

2400/- दो हजार चार सौ रूपये होते हैं. मुकिर समिति को निम्न व्योरेवार अदा कर दिया है।

3. यह कि पट्टेदार लैसी मुकिर को 10/- रुपया सालाना किराया लीज रैन्ट उक्त प्लाट का अदा करती रहेगा ।

4. यह कि मुकिर सोसाइटी ने उक्त पट्टेदारिया लैसी का उक्त प्लाट पर कब्जा व दखल मिल्क अपने करा दिया है ।

5. यह कि यदि पट्टेदार लैसी के जिम्मे किसी समय तीन साल का लीज रैन्ट बकाया हो जावे तो मुकिर समिति को हक होगा कि वह जरिये नालिश उक्त लीज रैन्ट पट्टेदार लैसी से वसूल कर लेवे ।

6. यह कि लैसी पट्टेदार को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्लाट पर इमारत रिहायशी बमोजिब नकशा जो कि नगर महापालिका कानपुर अथवा डेवलपमेन्ट एथारटी पासकरे , तामीर करावे और उसके बाद पट्टेदारिया को अधिकार होगा कि वह उक्त तामीर शुदा इमारत को किराये पर उठावे खुद इस्तेमाल करे इसमे जैसा चाहे वह रहन बय आदि वैसा करे इसमें मुकिर सोसाइटी को किसी

कर्मचारी नगर को० हा० सो० लि०
सचिव
रजि० 2333, कानपुर

Ram Prasad

IRe

INDIA
एक रुपया
सत्यमेव जयते
ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-4-

तरह का कोई एतराज न होगा और अपना नाम बइखराज दाखिल खारिज इन्द्राज कागजात सरकारी करा लेवे ।

7. यह कि उपरोक्त प्लाट से सम्बन्धित सब डिवीजन चार्ज बेटरमेन्ट चार्ज या अन्य कोई टैक्स नगर महापालिका कानपुर या दीगर सरकारी मोहकमा समय समय पर लगावे तो उसके अदा करने की जिम्मेदारी पट्टेदारीया लैसी की होगी ।

अतः खूब सोच व समझ कर यह चन्द कलमा बतौर दस्तावेज लीज मियादी 999 साल तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

तफसील एकफकिता प्लाट नम्बर 559बी. III स्थित साकेतनगर जूहीकलाँ कानपुर परगना व जिला कानपुर जो कि 999 सालकी लीज पर दिया गया महदूदा येल :--

पूरब : 30फिट रोड

पश्चिम : प्लाट दीगर शख्स बादहू 60फिटरोड

उत्तर : प्लाट दीगर शख्स

दक्षिण : प्लाट दीगर शख्स बादहू 40फिट रोड.

सहकारी नगर को. हा. सो. लि.
सचिव
कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

सत्यमेव जयते

-5-

तफ़सील वसूलयाबी प्रीमियम टान मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा पट्टेदारिया लैसी से नकद वसूल पाया मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

तहरीर तारीख- 11-12-1989 ई०

टाइपकर्ता- रामचयन प्रजापति ला० नं० 085
कोर्ट कानपुर।

हस्ताक्षर गवाहान-

1. [signature]

2. [signature]

True copy

ह०मुकिर [signature]

Drafted by me
Ramesh Chandra Srivastava
Advocate
11.12.89

श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय

04DD 744583
सुमन

श्री गणेशाय नमः

कार्यालय का नामः उप निबन्धक जोन नं.3 कानपुर नगर।

1.	प्रस्तुत दिनांक	:	19—07—2005
2.	निष्पादन तिथि	:	19—07—2005
3.	प्रस्तुतकर्ता का नाम	:	श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डेय निवासिनी मकान नं0 127/236, साकेत नगर, कानपुर नगर।
4.	लेख पत्र का प्रकार	:	बयनामा
5.	प्रतिफल	:	रूपया 2,40,000/—

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

हस्ताक्षर .... 5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 2 ::

165324

6.	बाजारी कीमत	:	रूपया 7,40,000/-
7.	विक्रेता का नाम	:	श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डेय निवासिनी मकान नं0 127/236, साकेत नगर, कानपुर नगर।
8.	क्रेता का नाम	:	सुमन पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई-183 निकट सब्जीमण्डी, बर्रा-2, कानपुर नगर।

सम्पत्ति का विवरणः-

1.	स्थान	:	साकेत नगर (जूही कलां) कानपुर नगर
2.	मकान नम्बर	:	मकान नम्बर 127/डब्लू-1/559 बी (11), ब्लाक डब्लू-1, स्कीम-II (जूही कलां) स्थित मोहल्ला साकेत नगर (जूही कलां), कानपुर नगर।
3.	क्षेत्रफल	:	200 वर्ग गज यानि 167.226 वर्ग मीटर
4.	आच्छादित क्षेत्र	:	40 वर्ग मी0
5.	भवन के तलों की संख्या	:	केवल भूतल
6.	निर्माण की अवधि	:	15 साल पुराना

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

हस्ताक्षर ...... 5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 3 ::

185323

7.	निर्माण का वर्ष	:	1989
8.	आवासीय / व्यवसायिक	:	आवासीय
9.	पार्क व कार्नर की स्थिति	:	मकान के सामने पार्क है और मकान कार्नर का नहीं है।
10.	सीमा मे सड़क की चौड़ाई	:	30 फिट रोड
11.	सीमाओ का विवरण	:	
	पूरब	:	30 फिट रोड बादहू पार्क
	पश्चिम	:	प्लाट दीगर सख्स
	उत्तर	:	प्लाट दीगर सख्स
	दक्षिण	:	प्लाट दीगर सख्स
12.	निर्धारित किराया	:	293 / –रू0 वार्षिक
13.	अनुमानित किराया	:	200 / – रूपया माहवार
14.	आर0बी0सी0 / आर0सी0सी0:		आर0बी0सी0 (ख) द्वितीय श्रेणी

स्टाम्प अदायगी का विवरण

1. जिलाधिकारी दर भूखण्ड: 3,300 / – रू0 प्रति वर्ग मी

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

हस्ताक्षर........ 5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 4 ::

185822

2.	आच्छादित क्षेत्र के लिये निर्माण दर	:	4,000 / – रू0 प्रतिवर्गमी0
3.	जमीन की कीमत	:	5,51,846 / – रू0
4.	पार्क चार्ज	:	27,593 / – रू0
5.	निर्माण की वर्तमान कीमत	:	1,60,000 / – रू0
6.	अवमानित कीमत	:	निल
7.	निर्माण की शुद्ध कीमत	:	1,60,000 / – रू0
8.	जमीन, + पार्क +निर्माण की कुल कीमत	:	7,39,439 / – रू0
9.	अधिकतम कीमत जिस पर स्टाम्प दिया गया	:	7,40,000 / – रू0
10.	जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प	:	74,000 / – रू0
11.	कुल दिया गया स्टाम्प	:	74,000 / – रू0

****

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

:: 5 :: 185602

मनकि श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डेय निवासिनी मकान नं0 127/236, साकेत नगर, कानपुर नगर।

......विक्रेता/प्रथमपक्ष

एवम्

सुमन पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई–183 निकट सब्जीमण्डी,, बर्रा–2, कानपुर नगर।

......क्रेता/द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष विक्रेता एक किता मकान नम्बर 127/डब्लू–1/559 बी (11), ब्लाक डब्लू–1, स्कीम–II (जूही कलां) स्थित मोहल्ला साकेत नगर (जूही कलां), कानपुर नगर, रकबई 200 वर्ग गज यानि 167.226 वर्ग मीटर की तनहा मालिक, काबिज व दखील है। उपरोक्त मकान को विक्रेता प्रथम पक्ष नें प्लाट के रूप में कर्मचारी नगर

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

5000Rs.

185601

:: 6 ::

को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 स्थित जी0टी0 रोड (पी0ए0सी0 रोड), कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी–म0नं0–694 ब्लाक–वाई, किदवई नगर, कानपुर नगर से जरिये रजिस्टर्ड पट्टानामा दिनांक 11.12.1989 को क्रय किया था, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 12.12.1989 को पुस्तक सं0–1 खण्ड–61, के पृष्ठ 25 से 34 पर क्रम सं0–58767 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय, कानपुर नगर में पंजीकृत की गयी थी। उक्त क्रय की तारीख से विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त प्लाट पर तनहा मालिक, काबिज व दखील चली आ रही है, जिस पर बाद में मकान तामीर कराया गया। उक्त मकान पर विक्रेता के अलावा अन्य कोई सख्श शामिल, शरीक, हकदारं, हिस्सेदार नहीं है। उपरोक्त मकान हर प्रकार से पाक व साफ है। कहीं पर रहेन, बय, हिबा, मुस्तगरक जमानत आदि मे

प्रतिभापाण्डेय

Suman

हस्ताक्षर 5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

185600

:: 7 ::

नहीं है। उपरोक्त मकान किसी बैंक आदि मे बन्धक नहीं है तथा किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा अर्जित नहीं किया गया हैं और किसी अदालती आदेश आदि के द्वारा विक्रेता प्रथम पक्ष को उपरोक्त मकान को विक्रय आदि करने से रोका नहीं गया है। प्रथम पक्ष को इस समय अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है और उपरोक्त मकान को विक्रय करने के अलावा रूपया प्राप्त करने का अन्य कोई जरिया नहीं नजर आता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने मुनासिब समझकर उपरोक्त मकान के विक्रय की बातचीत चलाई जिस पर द्वितीय पक्ष **सुमन पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई–183 निकट सब्जीमण्डी, बर्रा–2, कानपुर नगर** उपरोक्त मकान को बिल एवज मुवलिग **2,40,000/–रू0 (दो लाख चालीस हजार रुपये)** मे खरीद करने को

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

186052

:: 8 ::

तैयार हैं, जो कीमत बलिहाज बाजार भाव माकूल है और इससे अधिक कीमत अन्य कोई सख्श अदा करने को तैयार नहीं है तथा उपरोक्त कीमत विक्रेता प्रथम पक्ष को मंजूर भी है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने खूब सोच–समझकर उपरोक्त मकान को बिल एवज मुबलिग **2,40,000/–रू0** में द्वितीय पक्ष **सुमन पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई–183 निकट सब्जीमण्डी, बर्रा–2, कानपुर नगर** के हक में विक्रय कतई कर दिया यानी कि बेंच डाला तथा कुल विक्रय कीमत उपरोक्त नकद दाम–दाम क्रेता द्वितीय पक्ष से वसूल पा लिया है। अब विक्रेता को क्रेता द्वितीय पक्ष से कोई भी धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है। विक्रेता ने आज की तारीख से ही विक्रीत मकान से अपना कब्जा व दखल हटाकर क्रेता को काबिज करा दिया है। अब क्रेता द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जिस तरह चाहे, उपरोक्त

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 9 ::

186953

मकान को अपने इस्तेमाल में लावे, इसके लिये वह पूर्ण स्वतंत्र होगी। चाहे वह स्वयं रहें या किराये पर उठावें, अतिरिक्त निर्माण करावें या विक्रय करें। विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्रेता को यह भी अधिकार होगा कि वह कागजात सरकारी में उपरोक्त मकान से विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक बखाना मिलकियत में दर्ज करा लेवे, विक्रेता की रजामंदी दस्तावेज हाजा बयनामा द्वारा मानी जायेगी फिर भी यदि विक्रेता की लिखित या मौखिक सहमति की आवश्यकता होगी तो विक्रेता दाखिल कर देगी। विक्रेता ने उपरोक्त मकान के हर प्रकार से पाक व साफ होने का यकीन क्रेता को करा दिया है, फिर भी यदि विक्रेता की किसी भी प्रकार की नुक्स मिलकियत की वजह से विक्रीत मकान का कुल या जुज भाग का कब्जा व दखल क्रेता से निकल जावे या कि कुछ अदा करना पड़े तो कुल

हस्ताक्षर......5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 10 ::

186954

जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह अपना कुल या जुज जरेसमन जैसी भी सूरत होगी, विक्रेता से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे। विक्रेता ने उपरोक्त मकान को अपने पूर्ण होशोहवास में मय समस्त हक, हकूक, दाखिला-खारिजा, हाल व आइन्दा बगैर छोड़े किसी अधिकार के क्रेता के हक में विक्रय कर दिया है। अब विक्रीत मकान से विक्रेता का कोई भी वास्ता व सरोकार नहीं रहा है। विक्रीत मकान से सम्बन्धित आज के पूर्व के यदि कोई सरकारी देय, हाऊस टैक्स, बिजली बिल, जल कर, सीवर कर यदि बकाया होंगे तो उनकी अदायगी की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज से भविष्य में उक्त मकान के बाबत आने वाले समस्त टैक्सेज की अदायगी की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। जुमला शरायत दस्तावेज हाजा बयनामा की पाबन्दी विक्रेता/मूल आवंटी व वारिसान विक्रेता पर लाजिम व

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

231967

:: 11 ::

वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे।

लिहाजा खूब सोच समझकर अपने मन मस्तिष्क की सही दशा में बिना किसी सख्स के बरगलाये बहकाये समक्ष गवाहान विक्रेता प्रथम पक्ष ने यह बयनामा क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

<u>तफसील जायदाद</u>

एक किता मकान नम्बर 127/डब्लू–1/559 बी (11), ब्लाक डब्लू–1, स्कीम–II (जूही कलां) स्थित मोहल्ला साकेत नगर (जूही कलां), कानपुर नगर, रकबई 200 वर्ग गज़ यानि 167.226 वर्ग मीटर जिसमें 40 वर्ग मी0 में दो कमरे, किचेन, लैट्रिन बाथरूम व निर्मित है, शेष

प्रतिभापाण्डेय

Suman

1000 Rs.

231966

:: 12 ::

भाग खुला पड़ा है। मकान की चौहद्दी निम्न है:-

पूरब	:	30 फिट रोड बादहू पार्क
पश्चिम	:	प्लाट दीगर सख्स
उत्तर	:	प्लाट दीगर सख्स
दक्षिण	:	प्लाट दीगर सख्स

तफ्सील वसूलयावी जरे सम्न मु0 1,40,000/-रू0 नकद एवं मु0 1,00,000/-रुपया जरिये बैंकर्स चेक सं0-210142 दिनांक 18.07.2005 इलाहाबाद बैंक शाखा-बर्रा कालोनी, कानपुर नगर, इस प्रकार कुल मु0 2,40,000/-रुपये (रुपये दो लाख चालीस हजार) कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा बयनामा विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये हैं अब कोई भी धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है।

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

1000 Rs.

:: 13 ::

2319,65

विक्रेता के निशानात पंजा दायाँ (श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

विक्रेता के निशानात पंजा बायाँ (श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

क्रेता के निशानात पंजा दायाँ (सुमन)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

क्रेता के निशानात पंजा बायाँ (सुमन)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

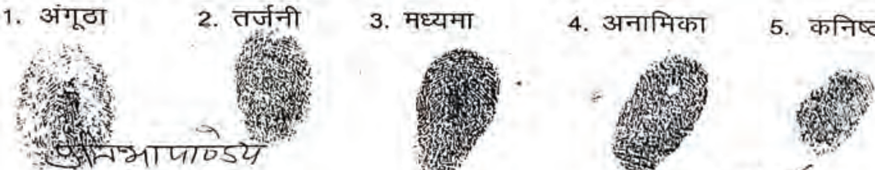

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

1000 Rs.

231964

:: 14 ::

तहरीर तारीख 19–07–2005

ह0 विक्रेता / प्रथम पक्ष

प्रतिभा पाण्डेय

ह0 गवाहान

1. Gupta

Ravi Prakash Gupta
S/o G. C. Gupta
97/8 Block 10
Jaina Nagar, Kanpur

हस्ताक्षर क्रेता / द्वितीय पक्ष

Suman

2. R Pandey

(Raj Kishor Pandey)

S/o Sri Hari Sharma Pandey
R/o 127/559 B 11
W.I. Saket Nagar

ड्राफ्टेड बाई मी एण्ड टाइप्ड बाई माई स्टेनो

Tiwari

(वी0एन0 तिवारी)

एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर।

EXISTING SITE PLAN OF PROPERTY NO. 127/W-1/559 B(11), SAKET NAGAR, (JUHIKALAN) KANPUR.

TOTAL AREA OF LAND : 167.226 SQ.M.

COVERED AREA : 40.00 SQ.M.

(NOTE : SOLD PROPERTY IS SHOWN WITH RED COLOUR IN THE CIRCLE)

(NOT TO SCALE)

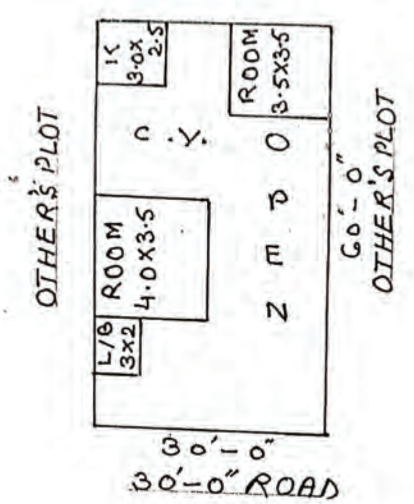

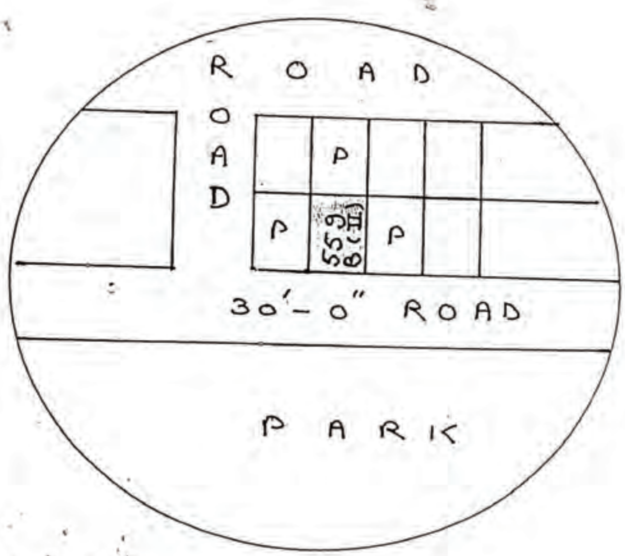

SIGN OF SELLER

SIGN OF PURCHASER

K.K. SRIVASTAVA
DRAUGHTMAN
NEAR NEW HANUMAN MANDIR
CIVIL COURT COMPOUND

यूको बैंक
UCO BANK

आवेदक प्रति

दिनांक

	धनराशि	
	रु०	पै०
योग		

धनराशि (शब्दों में)

चेक / ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक

निर्गत बैंक

वास्ते यूको बैंक

आवेदक के हस्ताक्षर सहायक प्रबन्धक प्रबन्धक

यूको बैंक
UCO BANK

आवेदक प्रति

दिनांक [illegible]

[illegible] विकास प्राधिकरण

आवेदक का नाम [illegible]

पता [illegible]

योजना [illegible]

भवन/भूखण्ड संख्या [illegible]

किश्तों का प्रकार / स्वयं वित्त पोषित / नकद भुगतान

विवरण	धनराशि रु०	पै०
पंजीकरण धनराशि	[illegible]	[illegible]
किश्त .... माह/त्रैमासिक		
[illegible] शुल्क (कम्पोजीशन शुल्क)		
भवन मानचित्र स्वीकृत शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible]		
[illegible]		
योग	[illegible]	[illegible]

CASH RECEIVED

धनराशि (शब्दों में) [illegible]

नकद / ड्राफ्ट संख्या [illegible] दिनांक [illegible]

[illegible]

यूको बैंक

आवेदक के हस्ताक्षर सहायक प्रबन्धक प्रबन्धक

यूको बैंक
UCO BANK

आवेदक प्रति

नागपुर विकास प्राधिकरण

विवरण	धनराशि	
	रु०	पै०
	100	00
योग	100	00

कानपुर नगर महापालिका

कर निर्धारण विभाग

प्रेषक :
कर निर्धारण अधिकारी
नगर महापालिका,
कानपुर।

सेवा में,

श्री सुमन पुत्री शिवनारायन

पत्र संख्या दिनांक 2/12/06

विषय—दाखिल खारिज गृह संख्या 127 W-1 / 55 9 LS / 11 हरिजन ...

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि वसनामा के आधार पर कर निर्धारण उप समिति के प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 19/9/06 के द्वारा आपका नाम पूरे भाग भाग के स्वामित्व में अंकित कर दिया गया है तथा अंकित नाम प्रतिमा पाण्डेय w/o राजकिशोर ... खारिज कर दिया गया है/यथावत सम्मिलित बना रहेगा।

कृते– कर निर्धारण अधिकारी
कर निर्धारण विभाग
नगर महापालिका, कानपुर

महा० प्रेस० ५०,००० [९३-६]

कानपुर नगर महापालिका

कर निर्धारण विभाग

प्रेषक :
कर निर्धारण अधिकारी
नगर महापालिका,
कानपुर।

सेवा में,

श्री सुमन पुत्री शिवसिंह
127/ब-1/559 बी/11
साकेत नगर

पत्र संख्या

दिनांक 15/9/05

विषय—दाखिल खारिज गृह संख्या 127/ब-1/559 B/11

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि ... वयनामा ... के आधार पर कर निर्धारण उप समिति के प्रस्ताव संख्या सा.र. 25 दिनांक 28/5/05 के द्वारा आपका नाम ... हो ... भाग के स्वामित्व में अंकित कर दिया गया है तथा अंकित नाम श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय खारिज कर दिया गया है/~~यथावत~~ ~~सम्मिलित बना रहेगा~~।

कृते– कर निर्धारण अधिकारी
कर निर्धारण विभाग
नगर महापालिका, कानपुर

महा० प्रेस० ५०,०००[९३-६]

सरवकार योजनान्तर्गत

प्रपत्र संख्या ८
(नियम ८ देखें)

कानपुर नगर निगम

पुस्तक सं० 7165 क्रम सं० 32

श्री श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय w/o श्री राज किशोर पाण्डेय से प्राप्त हुए।

बिल संख्या 127/W-1/559 (B-11) साकेत नगर

जांच रजिस्टर की क्रम संख्या	भूगृहादि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि रू०	पै०
127/W-1/559 (B-11) साकेत नगर स्वनिर्धारित ARN 1953		सा० कर 2002/03		293	00
		15% छूट		29	00
			योग	264	00

योग शब्दों में दो सौ चौंसठ मात्र

दिनाङ्क 15/XI/02

रोकड़िया

प्रशासक

लेखा अधिकारी/राजस्व अधीक्षक

जाँच और समाहरण रजिस्टर

प्रभारी लिपिक

टिप्पणी: अनुमति (लाइसेन्सों) की दशा में यह रसीद अनुमति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और यह नगर निगम के अनुमति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती।

अवैधानिक निर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न०नि० प्रेस

३०० कि० [८-२००२]

कानपुर नगर निगम

सरल गृहकर योजना वर्ष 2002/2003

(अधिनियम की धारा-207)

प्रपत्र 'क' तथा 'ख'

1. भूखण्ड/भवन स्वामी/अध्यासी का नाम श्रीमती प्रतिभा पाण्डे पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डे
2. भूखण्ड/भवन संख्या तथा उसका पता 127/559 (B 11) W1 साकेत नगर कानपुर
3. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर
4. भूखण्ड पर निर्मित भवन का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) 290 वर्ग फुट = (360)

*(क) आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) एक -कमरों तथा कवर्ड बरामदों का कुल क्षेत्रफल = वर्ग फुट — 220 फुट

दो - बालकनी, कॉरीडोर, रसोई, स्टोर का कुल क्षेत्रफल = वर्ग फुट 70 फुट (140) का ½

तीन -गैराजों का कुल क्षेत्रफल = वर्ग फुट

(ख) कारपेट एरिया = *क (एक) + 1/2 *क (दो) + 1/4 *क (तीन) वर्ग 290 फुट

5. भूखण्ड/भवन की अवस्थिति (लोकेशन)

(अ)* १२ मीटर तक चौड़ी सड़क पर X (15 फुट चौड़ी गली पर

(ब) १२ मीटर से अधिक २४ मीटर तक चौड़ी सड़क पर X

(स) २४ मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर X

6. भवन निर्माण की प्रकृति बी श्रेणी का कोर टकारस्टर एवं कच्ची छत

(अ) पक्का भवन (A श्रेणी) X

(आर०सी०सी०/आर०बी० छत सहित)

(ब) पक्का भवन (B श्रेणी) ✓

(स) कच्चा भवन X

7. भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है ~~या किरायेदार~~ ? ~~[illegible]~~ स्वयं रिहायसी
8. यदि किराये पर है तो किराये का विवरण X
9. भवन निर्माण का वर्ष 1999
10. (क) मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भवन के लिये निर्धारित न्यूनतम मासिक दर (रू० में) प्रति वर्गफुट में। - 75 Paisa
11. भवन का वार्षिक मूल्यांकन 217 प्रतिमाह वार्षिक मूल्यांकन 25% छूट वार्षिक (1953/=
12. भवन का गृहकर / सामान्य कर Rs 293/=
13. भूमि का गृहकर / सामान्य कर
14. कर जमा करने की अन्तिम तिथि
15. जमा किये गये कर का विवरण :- 10% छूट काट कर Rs=264/=

क्र0सं0	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या बैंक	चेक/कैश
1.	गृहकर/सामान्य कर	264	16.XI.02	7165/32	[illegible]

भवन स्वामी/~~किरायेदार~~/अध्यासी के हस्ताक्षर प्रतिभा पाण्डेय

स्थायी पता 127/559 (B11) W1 साकेत नगर

नोट- भवन स्वामी अथवा अध्यासी द्वारा भवन को किराये पर देने या भवन में परिवर्तन/परिवर्धन करने की सूचना ३ माह के अन्दर नगर निगम को प्रत्येक दशा में इसी प्रपत्र पर देनी होगी।

P.T.O

श्रीमान संयुक्त सचिव
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

विषय:- प्रार्थना पत्र वास्ते भू0/भवन संख्या-- SS 9 B(II) स्थत--
Arazi No - 701 Juhi Kala कानपुर, रकबई--200--
वर्ग गज/मीटर का नियमितीकरण करवाने/बेटरमेन्ट चार्ज जमा करने/
भवन का मानचित्र स्वीकृत करवाने हेतु ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि विकास प्राधिकरण कानपुर के द्वारा दिनांक 17-8 90 ई0 को निकाले गये सार्वजनिक विज्ञापन के तहत प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने उपरोक्त भू0/भवन का नियमितीकरण करवाने/बेटरमेन्ट चार्ज जमा करने/भवन का मानचित्र स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा/रही है। प्रार्थी/प्रार्थिनी ने निर्धारित धनराशि बैंक मे जमा कर दी है, जिसकी रसीद की फोटो कापी संलग्न है।

प्रार्थना

अस्तु श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी के उपरोक्त भू0/भवन का नियमितीकरण करने/बेटरमेन्ट चार्ज जमा करने/भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने की कृपा करें। महान दया होगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

नाम- Smt. Baitika Pandey
पिता/पति का नाम W/o Raj Kishore Pandey
पता-- 127/236 W-1 Saket Nagar Kanpur

संलग्नक:-

(1) भू0 Kanpur 5000 बैंक मे जमा करने की रसीद की फोटो कापी।
(2) विक्रय-पत्र की फोटो कापी।
(3) ~~हाउस टैक्स की रसीद~~ की फोटो कापी ।
(4) ~~जी0डी0ए0 विभाग की एन0ओ0 सी0 की फोटो~~ कापी ।
शपथपत्र

कार्यालय अभियन्ता अधिष्ठान (नियोजन) कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर
प्राप्तकर्ता [signature]
दिनांक 31/1/90

मूल प्रति

2004–05

कानपुर विकास प्राधिकरण

7665 रसीद नं० 80

विभाग का नाम : [illegible]

दिनांक 16-08-06

प्रधान प्राप्ति रसीद

श्रीमती [illegible]

से [illegible]

चेक/बैंक (चेक नम्बर/ड्राफ्ट नम्बर) [illegible]

के द्वारा [illegible]

प्राप्त किये ([illegible])

(शब्दों में) [illegible]

	योजना/लेखा कोड	धनराशि रुपये	धनराशि पैसे
[illegible]	[illegible]	228	[illegible]
	[illegible]	1140	[illegible]
	योग	1140	[illegible]

गाइजेज 2004–2005–200 बुक्स

हस्ताक्षर

कैशियर/प्राधिकृत अधिकारी

कानपुर नगर महापालिका

कर निर्धारण विभाग

प्रेषक :
कर निर्धारण अधिकारी
नगर महापालिका,
कानपुर।

सेवा में,

श्री... सुगन पुत्री शिवनारायन ... ...
... ...
... ...

पत्र संख्या

दिनांक 2/12/06

विषय—दाखिल खारिज गृह संख्या ...127/ प्ला... / 5.5 / 15 / 11 लाटिनगाँ
... ...

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि... ... वसीयतनामा ... ... के आधार पर कर निर्धारण उप समिति के प्रस्ताव संख्या... 68 ... दिनांक... 19/9/06 ... के द्वारा आपका नाम... ... ...भाग के स्वामित्व में अंकित कर दिया गया है तथा अंकित नाम... प्रतिमा पाठक ... ... खारिज कर दिया गया है/यथावत सम्मिलित बना रहेगा।

कृते– कर निर्धारण अधिकारी
कर निर्धारण विभाग
नगर महापालिका, कानपुर

महा० प्रेस० ५०,०००[९३-६]

कानपुर नगर महापालिका

कर निर्धारण विभाग

प्रेषक :
कर निर्धारण अधिकारी
नगर महापालिका,
कानपुर।

सेवा में,

श्री सुमन पुत्री शिवनारायण
127/W-1/559 बी/11
साकेत नगर

पत्र संख्या ... दिनांक 15/4/08

विषय—दाखिल खारिज गृह संख्या 127/W-1/559B/11 ...

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि ... वसीयतनामा ... के आधार पर कर निर्धारण उप समिति के प्रस्ताव संख्या ... दिनांक 28/5/08 के द्वारा आपका नाम ... ... भाग के स्वामित्व में अंकित कर दिया गया है तथा अंकित नाम ... श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय खारिज कर दिया गया है/~~यथावत सम्मिलित बना रहेगा~~।

कृते– कर निर्धारण अधिकारी
कर निर्धारण विभाग
नगर महापालिका, कानपुर

महा० प्रेस० ५०,०००[९३-६]

प्रपत्र संख्या २ (नियम ८ देखें) — सरलीकृत योजनान्तर्गत

कानपुर नगर निगम

पुस्तक सं० 7165 क्रम सं० 32

श्री श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय w/o श्री राजकिशोर पाण्डेय से प्राप्त हुए।

बिल संख्या 127/W-1/559 (B-11) साकेतनगर

जांच रजिस्टर की क्रम संख्या	भूगृहादि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि रु०	पै०
127/W-1/559 (B-11) साकेतनगर स्वनिर्धारित ARV 1953=-		सा० कर 2002/03		253	—
		15% छूट	—	29	—
				योग	264/	00

योग शब्दों में दो सौ चौंसठ मात्र

दिनाङ्क 15/10/02

रोकड़िया

प्रशासक

लेखा अधिकारी/राजस्व अधीक्षक

जाँच और समाहरण रजिस्टर

प्रभारी लिपिक

टिप्पणी : अनुज्ञप्ति (लाइसेन्सों) की दशा में यह रसीद अनुज्ञप्ति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और यह नगर निगम के अनुज्ञप्ति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती।

अवैधानिक निर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क०नि० प्रेस

१०० कि० [८-२००२]

कानपुर नगर निगम

सरल गृहकर योजना। वर्ष 2002/2003

(अधिनियम की धारा 207)

प्रपत्र क तथा ख

1. भूखण्ड/भवन स्वामी/अध्यासी का नाम श्रीमती प्रतिभा पाण्डे पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डे
2. भूखण्ड/भवन संख्या तथा उसका पता 127/559 (B 11) डब्ल्यू साकेतनगर कानपुर
3. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर
4. भूखण्ड पर निर्मित भवन का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) 290 वर्ग फुट (360)

*(क) आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) एक - कमरों तथा कवर्ड बरामदों का कुल क्षेत्रफल = वर्ग फुट — 220 फुट

दो - बालकनी, कॉरीडोर, रसोई, स्टोर का कुल क्षेत्रफल = वर्ग फुट 70 फुट (140) का 1/2

तीन - गैराजों का कुल क्षेत्रफल = वर्ग फुट

वर्ग 290 फुट

(ख) कारपेट एरिया = *क (एक) + 1/2 *क (दो) + 1/4 *क (तीन)

5. भूखण्ड/भवन की अवस्थिति (लोकेशन)

(अ) १२ मीटर तक चौड़ी सड़क पर X (15 फुट चौड़ी गलीपर

(ब) १२ मीटर से अधिक २४ मीटर तक चौड़ी सड़क पर X

(स) २४ मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर X

6. भवन निर्माण की प्रकृति बी श्रेणी का जोर प्लास्टर एवं कच्ची छत

(अ) पक्का भवन (A श्रेणी) X

(आर०सी०सी०/आर०बी० छत सहित)

(ब) पक्का भवन (B श्रेणी) ✓

(स) कच्चा भवन X

7. भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है ~~या किरायेदार~~ ? ~~स्वयम~~ स्वयम् रिहायसी
8. यदि किराये पर है तो किराये का विवरण X
9. भवन निर्माण का वर्ष 1999
10. (क) मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भवन के लिये निर्धारित न्यूनतम मासिक दर (रू० में) प्रति वर्गफुट में। - 75 Paisa
11. भवन का वार्षिक मूल्यांकन 217 प्रतिशत वार्षिक मूल्यांकन 25% छूट वालव (1953/=
12. भवन का गृहकर / सामान्य कर Rs=293/=
13. भूमि का गृहकर / सामान्य कर
14. कर जमा करने की अन्तिम तिथि
15. जमा किये गये कर का विवरण :- 10% छूट बाद कर Rs=264/=

क्र०सं०	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या बैंक	चेक/कैश
1.	गृहकर/सामान्य कर	264	10.XI.02	71C5/32	नगद

भवन स्वामी/~~किरायेदार~~/अध्यासी के हस्ताक्षर प्रतिभा पाण्डेय

स्थायी पता 127/559 (B 11) डब्ल्यू साकेत नगर

नोट- भवन स्वामी अथवा अध्यासी द्वारा भवन को किराये पर देने या भवन में परिवर्तन/परिवर्धन करने की सूचना ३ माह के अन्दर नगर निगम को प्रत्येक दशा में इसी प्रपत्र पर देनी होगी।

P.T.O.

श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय

04DD 744583

सुमन

श्री गणेशाय नमः

कार्यालय का नामः उप निबन्धक जोन नं.3 कानपुर नगर।

1.	प्रस्तुत दिनांक	:	19—07—2005
2.	निष्पादन तिथि	:	19—07—2005
3.	प्रस्तुतकर्ता का नाम	:	श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डेय निवासिनी मकान नं0 127/236, साकेत नगर, कानपुर नगर।
4.	लेख पत्र का प्रकार	:	बयनामा
5.	प्रतिफल	:	रूपया 2,40,000/—

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

हस्ताक्षर .... 5000 Rs.

:: 2 ::　　　　　　　　　　　　　　　　1G5324

6.	बाजारी कीमत	:	रूपया 7,40,000/–
7.	विक्रेता का नाम	:	श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डेय निवासिनी मकान नं0 127/236, साकेत नगर, कानपुर नगर।
8.	क्रेता का नाम	:	सुमन पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई–183 निकट सब्जीमण्डी, बर्रा–2, कानपुर नगर।

<u>सम्पत्ति का विवरणः–</u>

1.	स्थान	:	साकेत नगर (जूही कलां) कानपुर नगर
2.	मकान नम्बर	:	मकान नम्बर 127/डब्लू–1/559 बी (11), ब्लाक डब्लू–1, स्कीम–II (जूही कलां) स्थित मोहल्ला साकेत नगर (जूही कलां), कानपुर नगर।
3.	क्षेत्रफल	:	200 वर्ग गज यानि 167.226 वर्ग मीटर
4.	आच्छादित क्षेत्र	:	40 वर्ग मी0
5.	भवन के तलों की संख्या	:	केवल भूतल
6.	निर्माण की अवधि	:	15 साल पुराना

प्रतिभा पाण्डेय　　　　　　　　Suman

हस्ताक्षर 5000 Rs.

:: 3 :: 185323

7.	निर्माण का वर्ष	:	1989
8.	आवासीय / व्यवसायिक	:	आवासीय
9.	पार्क व कार्नर की स्थिति	:	मकान के सामने पार्क है और मकान कार्नर का नहीं है।
10.	सीमा मे सड़क की चौड़ाई	:	30 फिट रोड
11.	सीमाओ का विवरण	:	
	पूरब	:	30 फिट रोड बादहू पार्क
	पश्चिम	:	प्लाट दीगर सख्स
	उत्तर	:	प्लाट दीगर सख्स
	दक्षिण	:	प्लाट दीगर सख्स
12.	निर्धारित किराया	:	293 / —रू0 वार्षिक
13.	अनुमानित किराया	:	200 / — रूपया माहवार
14.	आर0बी0सी0 / आर0सी0सी0	:	आर0बी0सी0 (ख) द्वितीय श्रेणी

स्टाम्प अदायगी का विवरण

1. जिलाधिकारी दर भूखण्ड: 3,300 / — रू0 प्रति वर्ग मी

प्रतिभा पाण्डेय

हस्ताक्षर............ 5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 4 :: 185922

2.	आच्छादित क्षेत्र के लिये निर्माण दर :	4,000/-रू0 प्रतिवर्गमी0
3.	जमीन की कीमत :	5,51,846/-रू0
4.	पार्क चार्ज :	27,593/-रू0
5.	निर्माण की वर्तमान कीमत :	1,60,000/-रू0
6.	अवमानित कीमत :	निल
7.	निर्माण की शुद्ध कीमत:	1,60,000/-रू0
8.	जमीन, + पार्क +निर्माण की कुल कीमत :	7,39,439/-रू0
9.	अधिकतम कीमत जिस पर स्टाम्प दिया गया :	7,40,000/-रू0
10.	जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प :	74,000/-रू0
11.	कुल दिया गया स्टाम्प :	74,000/-रू0

****

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

5000 Rs.

:: 5 ::

185602

मनकि श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पाण्डेय निवासिनी मकान नं0 127/236, साकेत नगर, कानपुर नगर।

......विक्रेता/प्रथमपक्ष

एवम्

सुमन पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई–183 निकट सब्जीमण्डी, बर्रा–2, कानपुर नगर।

......क्रेता/द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष विक्रेता एक किता मकान नम्बर 127/डब्लू–1/559 बी (11), ब्लाक डब्लू–1, स्कीम–II (जूही कलां) स्थित मोहल्ला साकेत नगर (जूही कलां), कानपुर नगर, रकबई 200 वर्ग गज यानि 167.226 वर्ग मीटर की तनहा मालिक, काबिज व दखील है। उपरोक्त मकान को विक्रेता प्रथम पक्ष नें प्लाट के रूप में कर्मचारी नगर

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 6 ::   185601

को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 स्थित जी0टी0 रोड (पी0ए0सी0 रोड), कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी–म0नं0–694 ब्लाक–वाई, किदवई नगर, कानपुर नगर से जरिये रजिस्टर्ड पट्टानामा दिनांक 11.12.1989 को क्रय किया था, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 12.12.1989 को पुस्तक सं0–1 खण्ड–61, के पृष्ठ 25 से 34 पर क्रम सं0–58767 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय, कानपुर नगर में पंजीकृत की गयी थी। उक्त क्रय की तारीख से विक्रेता प्रथम पक्ष उक्त प्लाट पर तनहा मालिक, काबिज व दखील चली आ रही है, जिस पर बाद में मकान तामीर कराया गया। उक्त मकान पर विक्रेता के अलावा अन्य कोई सख़्श शामिल, शरीक, हकदार, हिस्सेदार नहीं है। उपरोक्त मकान हर प्रकार से पाक व साफ है। कहीं पर रहेन, बय, हिबा, मुस्तगरक जमानत आदि मे

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

185600

नहीं है। उपरोक्त मकान किसी बैंक आदि मे वन्धक नहीं है तथा किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा अर्जित नहीं किया गया है और किसी अदालती आदेश आदि के द्वारा विक्रेता प्रथम पक्ष को उपरोक्त मकान को विक्रय आदि करने से रोका नहीं गया है। प्रथम पक्ष को इस समय अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है और उपरोक्त मकान को विक्रय करने के अलावा रूपया प्राप्त करने का अन्य कोई जरिया नहीं नजर आता है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने मुनासिब समझकर उपरोक्त मकान के विक्रय की बातचीत चलाई जिस पर द्वितीय पक्ष सुमन **पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई–183 निकट सब्जीमण्डी, बर्रा–2, कानपुर नगर** उपरोक्त मकान को बिल एवज मुबलिग **2,40,000/–रू0 (दो लाख चालीस हजार रूपये)** मे खरीद करने को

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

186052

:: 8 ::

तैयार हैं, जो कीमत बलिहाज बाजार भाव माकूल है और इससे अधिक कीमत अन्य कोई सख्श अदा करने को तैयार नहीं है तथा उपरोक्त कीमत विक्रेता प्रथम पक्ष को मंजूर भी है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने खूब सोच–समझकर उपरोक्त मकान को बिल एवज मुबलिग 2,40,000/–रू0 में द्वितीय पक्ष **सुमन पुत्री श्री शिवनारायण, निवासिनी म0नं0 ई–183 निकट सब्जीमण्डी, बर्रा–2, कानपुर नगर** के हक में विक्रय कतई कर दिया यानी कि बेंच डाला तथा कुल विक्रय कीमत उपरोक्त नकद दाम–दाम क्रेता द्वितीय पक्ष से वसूल पा लिया है। अब विक्रेता को क्रेता द्वितीय पक्ष से कोई भी धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है। विक्रेता ने आज की तारीख से ही विक्रीत मकान से अपना कब्जा व दखल हटाकर क्रेता को काबिज करा दिया है। अब क्रेता द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जिस तरह चाहे, उपरोक्त

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु.

R$ 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 9 ::

186053

मकान को अपने इस्तेमाल में लावे, इसके लिये वह पूर्ण स्वतंत्र होगी। चाहे वह स्वयं रहें या किराये पर उठावें, अतिरिक्त निर्माण करावें या विक्रय करें। विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्रेता को यह भी अधिकार होगा कि वह कागजात सरकारी में उपरोक्त मकान से विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक बखाना मिलकियत में दर्ज करा लेवे, विक्रेता की रजामंदी दस्तावेज हाजा बयनामा द्वारा मानी जायेगी फिर भी यदि विक्रेता की लिखित या मौखिक सहमति की आवश्यकता होगी तो विक्रेता दाखिल कर देगी। विक्रेता ने उपरोक्त मकान के हर प्रकार से पाक व साफ होने का यकीन क्रेता को करा दिया है, फिर भी यदि विक्रेता की किसी भी प्रकार की नुक्स मिलकियत की वजह से विक्रीत मकान का कुल या जुज भाग का कब्जा व दखल क्रेता से निकल जावे या कि कुछ अदा करना पड़े तो कुल

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

INDIA NON JUDICIAL

5000रु. Rs 5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

हस्ताक्षर........5000 Rs.

:: 10 ::

186054

जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह अपना कुल या जुज जरेसमन जैसी भी सूरत होगी, विक्रेता से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे। विक्रेता ने उपरोक्त मकान को अपने पूर्ण होशोहवास में मय समस्त हक, हकूक, दाखिला–खारिजा, हाल व आइन्दा बगैर छोड़े किसी अधिकार के क्रेता के हक में विक्रय कर दिया है। अब विक्रीत मकान से विक्रेता का कोई भी वास्ता व सरोकार नहीं रहा है। विक्रीत मकान से सम्बन्धित आज के पूर्व के यदि कोई सरकारी देय, हाऊस टैक्स, बिजली बिल, जल कर, सीवर कर यदि बकाया होंगे तो उनकी अदायगी की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज से भविष्य में उक्त मकान के बाबत आने वाले समस्त टैक्सेज की अदायगी की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। जुमला शरायत दस्तावेज हाजा बयनामा की पाबन्दी विक्रेता/मूल आवंटी व वारिसान विक्रेता पर लाजिम व

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

231967

:: 11 ::

वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे।

लिहाजा खूब सोच समझकर अपने मन मस्तिष्क की सही दशा में विना किसी सख्स के बरगलाये बहकाये समक्ष गवाहान विक्रेता प्रथम पक्ष ने यह बयनामा क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर कर दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

<u>तफसील जायदाद</u>

एक किता मकान नम्बर 127/डब्लू–1/559 बी (11), ब्लाक डब्लू–1, स्कीम–II (जूही कलां) स्थित मोहल्ला साकेत नगर (जूही कलां), कानपुर नगर, रकबई 200 वर्ग गज यानि 167.226 वर्ग मीटर जिसमें 40 वर्ग मी० में दो कमरे, किचेन, लैट्रिन बाथरूम व निर्मित है, शेष

प्रतिभा पाण्डेय

Suman

1000 Rs.

231966

:: 12 ::

भाग खुला पड़ा है। मकान की चौहद्दी निम्न हैः—

पूरब	:	30 फिट रोड बादहू पार्क
पश्चिम	:	प्लाट दीगर सख्स
उत्तर	:	प्लाट दीगर सख्स
दक्षिण	:	प्लाट दीगर सख्स

तफ्सील वसूलयावी जरे समन मु0 1,40,000/—रू0 नकद एवं मु0 1,00,000/—रूपया जरिये बैंकर्स चेक सं0—210142 दिनांक 18.07.2005 इलाहाबाद बैंक शाखा—बर्रा कालोनी, कानपुर नगर, इस प्रकार कुल मु0 2,40,000/—रूपये (रूपये दो लाख चालीस हजार) कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा बयनामा विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये हैं अब कोई भी धन प्राप्त् करना बाकी नहीं रहा है।

प्रतिभापाण्डेय

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

231965

:: 13 ::

विक्रेता के निशानात पंजा दायाँ (श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

विक्रेता के निशानात पंजा बायाँ (श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

क्रेता के निशानात पंजा दायाँ (सुमन)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

क्रेता के निशानात पंजा बायाँ (सुमन)

1. अंगूठा 2. तर्जनी 3. मध्यमा 4. अनामिका 5. कनिष्ठा

प्रतिभापाण्डेय

Suman

1000 Rs

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

231964

:: 14 ::

तहरीर तारीख 19—07—2005

ह0 विक्रेता / प्रथम पक्ष

प्रतिभा पाण्डेय

हस्ताक्षर क्रेता / द्वितीय पक्ष

Suman

ह0 गवाहान

1\. Gupta

Ravi Prakash Gupta
S/o G. C. Gupta
97/8 Block 10
Jaune Nagar Kanpur

2\. R K Pandey

(Raj Kishor Pandey)

S/o Sri Hari Sharma Pandey
R/o 127/559 B II
W I Saket Nagar

ड्राफ्टेड बाई मी एण्ड टाइप्ड बाई माई स्टेनो

Tewari

(वी0एन0 तिवारी)

एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर।

EXISTING SITE PLAN OF PROPERTY NO. 127/W-1/559 B(11), SAKET NAGAR, (JUHIKALAN) KANPUR.

TOTAL AREA OF LAND : 167.226 SQ.M.

COVERED AREA : 40.00 SQ.M.

(**NOTE** : SOLD PROPERTY IS SHOWN WITH RED COLOUR IN THE CIRCLE)

(NOT TO SCALE)

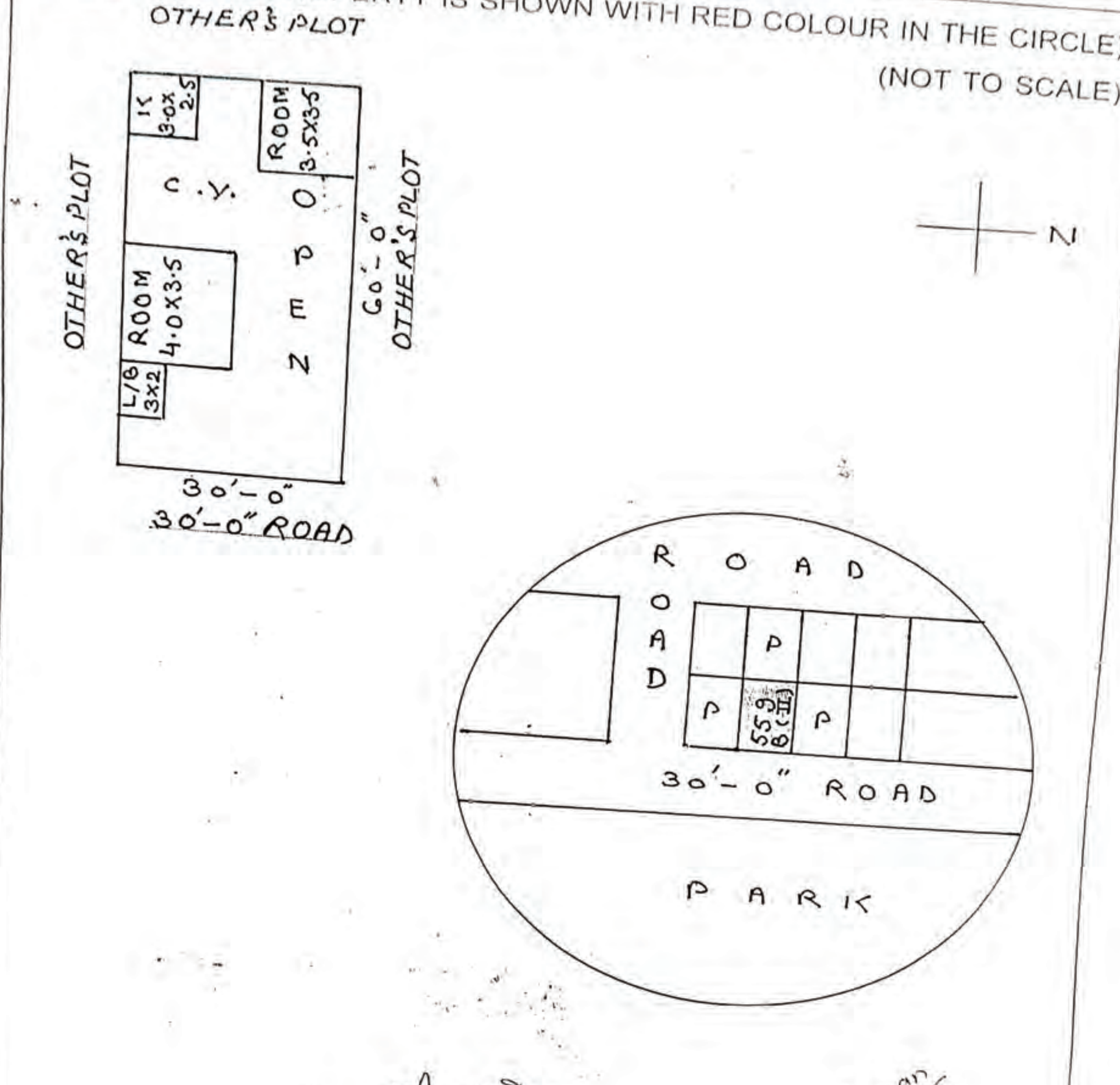

SIGN OF SELLER

SIGN OF PURCHASER

K.K. SRIVASTAVA
DRAUGHTSMAN
NEAR NEW HANUMAN MANDIR
CIVIL COURT COMPOUND

INDIA 1Re

एक रूपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत

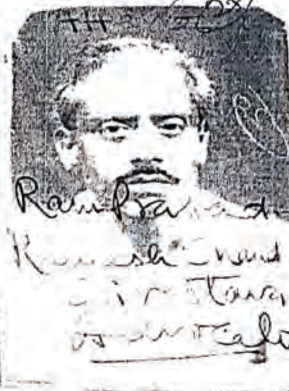

श्रीगणेशाय नमः

मनकि कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, स्थित जी०टी०रोड,पी०ए०सी०रोड, कानपुर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्याप्रसाद गुप्ता निवासी 694वाई. ब्लाक किदवई नगर शहर कानपुर का हूं।

विदित हो कि उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका कि नम्बर 2333 है और उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश आवास विकास संघ से सम्बद्ध है तथा उपरोक्त सोसाइटी की ओर से उसके सचिव श्री रामप्रसादगुप्ता को जायदाद के खरीदने व बेचने के अधिकार प्रदत्त है। उपरोक्त सोसाइटी ने अपने सदस्यों के रिहायश के लिए मकानात बनाने के लिए मुख्तलिफ आराजियात भूमिधरीनम्बर 701, स्थित जूहीकलां परगना व जिला कानपुर हासिल किया और उसके बाद उपरोक्त आराजियात में छोटे छोटे प्लाट काटे तथाउपरोक्त प्लाटों में से एक किता प्लाट नम्बर-ई 559 बी. (1) साकेतनगर, रकबा 200 वर्गगज जूहीकलां परगना व जिला कानपुर को अपने सदस्य श्रीमती प्रतिभा पान्डेय पत्नी श्री राजकिशोर पान्डेय निवासिनी

कर्मचारी नगर को. हा. सो. लि. सचिव कानपुर

Ram Prasad

INDIA 1Re

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-2-

मकान नम्बर 127/236 साकेत नगर शहर कानपुर नगर को एलाट किया जिनकी सालाना आमदनी 18000/- रुपया से कम है । उक्त प्लाट हर किस्म के बार व दयून से बरी व पाक व साफ है कहीं रहन व बय व हिबा नहीं है और न किसी डिगरी में कुर्क वबरसरे नीलाम है तथा न समिति को किसी न्यायालय ने उपरोक्त प्लाट को हस्तान्तरित करने से रोका है । उपरोक्त पट्टेदार ने मुकिरके स्वामित्व का पूर्ण संतोष करने के पश्चात उक्त प्लाट को 999 साल की लीज पर लेने को तैयार निम्नलिखित शरायत पर हो गये हैं :-

1. यह कि मुकिर समिति ने श्रीमती प्रतिभा पान्डेय पत्नी श्री राज किशोर पान्डेय निवासिनी 127/236 साकेत नगर कानपुर को प्लाट नम्बर 559 बी. (11) साकेत नगर कानपुर (जूहीकलां) परगना व जिला कानपुर महदूदा जैल 999 साल की लीज पर दिया गया है ।

2. यह कि उक्त पट्टेदारिया लैसी ने उक्त प्लाट का प्रीमियम तान मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया जिसके कि निस्फ

सहकारी नगर को. हा. सो. सचिव कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

2400/- दो हजार चार सौ रुपये होते हैं, मुकिर समिति को निम्न ब्योरेवार अदा कर दिया है।

3. यह कि पट्टेदार लैसी मुकिर को 10/- रुपया सालाना किराया लीज रेन्ट उक्त प्लाट का अदा करता रहेगा।

4. यह कि मुकिर सोसाइटी ने उक्त पट्टेदारिया लैसी का उक्त प्लाट पर कब्जा व दखल मिल्ल अपने करा दिया है।

5. यह कि यदि पट्टेदार लैसी के जिम्मे किसी समय तीन साल का लीज रेन्ट बकाया हो जावे तो मुकिर समिति को हक होगा कि वह जरिये नालिश उक्त लीज रेन्ट पट्टेदार लैसी से वसूल कर लेवे।

6. यह कि लैसी पट्टेदार को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्लाट पर इमारत रिहायशी बमोजिब नक्शा जो कि नगर महापालिका कानपुर अथवा डेवलपमेन्ट अथारिटी पास करे, तामीर करावे और उसके बाद पट्टेदारिया को अधिकार होगा कि वह उक्त तामीर शुदा इमारत को किराये पर उठावे खुद इस्तेमाल करे इसमें जैसा चाहे वह रहन बय आदि वैसा करे इसमें मुकिर सोसाइटी को किसी

कर्मचारी नगर को० हा० सो० लि० सचिव रजि०-233. कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA

एक रुपया एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-4-

तरह का कोई एतराज न होगा और अपना नाम बइखारज दाखिल खारिज इन्द्राज कागजात सरकारी करा लेवे ।

7. यह कि उपरोक्त प्लाट से सम्बन्धित सब डिवीजन चार्ज बेटरमेन्ट चार्ज या अन्य कोई टैक्स नगर महापालिका कानपुर या दीगर सरकारी मोहकमा समय समय पर लगावे तो उसके अदा करने की जिम्मेदारी पट्टेदारीया लैसी की होगी ।

अत: खूब सोच व समझ कर यह चन्द कलमा बतौर दस्तावेज लीज मियादी 999 साल तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

तफसील एकक्किता प्लाट नम्बर 559बी. ।।। । स्थित साकेतनगर जूहीकलां कानपुर परगना व जिला कानपुर जो कि 999 सालकी लीज पर दिया गया महदूदा जैल :--

पूरब	:	30फिट रोड
पश्चिम	:	प्लाट दीगर शख्स बादहू 60फिटरोड
उत्तर	:	प्लाट दीगर शख्स
दक्षिण	:	प्लाट दीगर शख्स बादहू 40फिट रोड .

सहकारी नगर को. हा. सो. लि.
सचिव
कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-5-

तफसील वसूलयाबी प्रीमियम दान मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा पट्टादारिया लैसी से नकद वसूल पाया मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

तहरीर तारीखा- 11-12-1989 ई०

टाइपकर्ता- रामवचन प्रजापति ला०नं०85
शिव दयाल प्रजापति
कोर्ट कानपुर।

कर्मचारी नगर को० हा० सो० लि० सचिव रजि०-2333, कानपुर

<u>हस्ताक्षर गवाहान-</u>

1. R.Srivastava

2. [signature]

ह०मुकिर- Ram Prasad

Drafted by me
Ramesh Chandra Srivastava
Advocate
11.12.89.

INDIA

एक रुपया　　सत्यमेव जयते　　एक रुपया

ONE RUPEE　भारत　ONE RUPEE　1Re

श्रीगणेशाय नमः

मनकि कर्मचारी नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, स्थित बी0टी0आर0एस0,पी0एस0सी0आर0एस0। कानपुर द्वारा सचिव श्री राम प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री अयोध्याप्रसाद गुप्ता निवासी 694बाई. ब्लाक किदवई नगर शहर कानपुर का हूं।

विदित हो कि उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका कि नम्बर 2333 है और उपरोक्त सोसाइटी उत्तर प्रदेश आवास विकास संघ से सम्बद्ध है तथा उपरोक्त सोसाइटी की ओर से उसके सचिव श्री रामप्रसादगुप्ता को जायदाद के खरीदने व बेचने के अधिकार प्रदत्त हैं। उपरोक्त सोसाइटी ने अपने सदस्यों के रिहायश के लिए मकानात बनाने के लिए मुख्तलिफ आराजियात भूमिधरीनम्बर 701, स्थित जूहीकलाँ परगना व जिला कानपुर हासिल किया और उसके बाद उपरोक्त आराजियात में छोटे छोटे प्लाट काटे तथा उपरोक्त प्लाटों में से एक किता प्लाट नम्बर-ड 559 बी. III। साकेतनगर, रकबा 200 वर्गगज जूहीकलाँ परगना व जिला कानपुर को अपने सदस्य श्रीमती प्रतिभा पान्डेय पत्नी श्री राजेकिशोर पान्डेय निवासिनी

(मुहर: [illegible]कारी नगर को. हा. सो. लि. सचिव कानपुर)

Ram Prasad

1Re

INDIA

सत्यमेव जयते

एक रुपया

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-2-

मकान नम्बर 127/236 साकेत नगर शहर कानपुर नगर को प्लाट किया जिनकी सालाना आमदनी 18000/- रुपया से कम है । उक्त प्लाट हर किस्म के बार व दयून से बरी व पाक व साफ है कहीं रहन व बय व हिबा नही है और न किसी डिगरी में कुर्क वबरसरे नीलाम है तथा न समिति को किसी न्यायालय ने उपरोक्त प्लाट को हस्तान्तरित करने से रोका है । उपरोक्त पट्टेदार ने मुकिरके स्वामित्व का पूर्ण संतोष करने के पश्चात् उक्त प्लाट को 999 साल की लीज पर लेने को तैयार निम्नलिखित शरायत पर हो गये हैं :-

1. यह कि मुकिर समिति ने श्रीमती प्रतिभा पान्डेय पत्नी श्री राज किशोर पान्डेय निवासिनी 127/236 साकेत नगर कानपुर को प्लाट नम्बर 559 बी. (II) साकेत नगर कानपुर (जूहीकलाँ) परगना व जिला कानपुर महदूदा जैल 999 साल की लीज पर दिया गया है ।

2. यह कि उक्त पट्टेदारिया लैसी ने उक्त प्लाट का प्रीमियम धन मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया जिसके कि निस्फ

[illegible] नगर को. हा. सो. [illegible] सचिव कानपुर

Ram Prasad

1Re

INDIA
एक रुपया
सत्यमेव जयते
भारत
ONE RUPEE

-3-

2400/- दो हजार चार सौ रुपये होते हैं, मुकिर समिति को निम्न ब्योरेवार अदा कर दिया है।

3. यह कि पट्टेदार लैसी मुकिर को 10/- रुपया सालाना किराया लीज रेन्ट उक्त प्लाट का अदा करता रहेगा।

4. यह कि मुकिर सोसाइटी ने उक्त पट्टेदारिया लैसी का उक्त प्लाट पर कब्जा व दखल मिस्ल अपने करा दिया है।

5. यह कि यदि पट्टेदार लैसी के जिम्मे किसी समय तीन साल का लीज रेन्ट बकाया हो जावे तो मुकिर समिति को हक होगा कि वह जरिये नालिश उक्त लीज रेन्ट पट्टेदार लैसी से वसूल कर लेवे।

6. यह कि लैसी पट्टेदार को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्लाट पर इमारत रिहायशी बमौजिब नक्शा जो कि नगर महापालिका कानपुर अथवा डेवलपमेन्ट अथारिटी पासकरे, तामीर करावे और उसके बाद पट्टेदारिया को अधिकार होगा कि वह उक्त तामीर शुदा इमारत को किराये पर उठावे खुद इस्तेमाल करे इसमें जैसा चाहे वह रहन बय आदि वैसा करे इसमें मुकिर सोसाइटी को किसी

कर्मचारी नगर को० हा० सो० लि०
सचिव
रजि० 2333, कानपुर

Ram Prasad

INDIA

एक रुपया | सत्यमेव जयते | एक रुपया

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-4-

तरह का कोई एतराज न होगा और अपना नाम बइखराज दाखिल खारिज इन्द्राज कागजात सरकारी करा लेवे ।

7. यह कि उपरोक्त प्लाट से सम्बन्धित सब डिवीजन चार्जेज डेटरमेन्ट चार्ज या अन्य कोई टैक्स नगर महापालिका कानपुर या दीगर सरकारी मोहकमा समय समय पर लगावे तो उसके अदा करने की जिम्मेदारी पटटेदारयिार लैसी की होगी ।

अतः खूब सोच व समझ कर यह चन्द कलमा बतौर दस्तावेज लीज मियादी 999 साल तहरीर कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

तफसील एकशकिता प्लाट नम्बर 559बी. ।।।। स्थित साकेतनगर जूहीकलाँ कानपुर परगना व जिला कानपुर जो कि 999 सालकी लीज पर दिया गया महददा जैल :—

पूरब	:	30फिट रोड
पश्चिम	:	प्लाट दीगर शखस बादहू 60फिटरोड
उत्तर	:	प्लाट दीगर शखस
दक्षिण	:	प्लाट दीगर शखस बादहू 40फिट रोड .

नगर को. हा. सो. ... सचिव ... कानपुर

Ram Prasad

INDIA

एक रुपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

-5-

तफसील वसूलयाबी प्रीमियम टान मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

कब्ल तहरीर व तकमील दस्तावेज हाजा पट्टेदारियान लेसी से नकद वसूल पाया मुबलिग 4800/- चार हजार आठ सौ रुपया।

तहरीर तारीख- 11-12-1989 ई0

टाइपकर्ता- रामवचन प्रजापति ला0नं0085
कोर्ट कानपुर।

सचिव

हस्ताक्षर गवाहान-

1. B Srivastava

2.

True copy

ह0मुकिर-

Drafted by me
Ramesh Chandra Srivastava
Advocate
11.12.89

ANNEXURE R1/23

का० वि० प्रा०

का०वि०प्रा०

लेख एवं अज्ञायें

तहसीलदार/विशेष कार्याधिकारी (भूमि बैंक) महोदय,

कृपया प्रभारी अधिकारी अभियंत्रण खण्ड की आख्या दिनांक 27.08.2025 क अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें अभियंत्रण खण्ड द्वारा विपक्षी के प्रतिउत्तर र्क जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, विपक्षी द्वारा अपन प्रतिउत्तर के साथ विकय पत्र संलग्न किया गया है, संलग्न विकय पत्र में ग्राम जूहं कला की आराजी संख्या–701 का उल्लेख है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल की चारो ओर प्राधिकरण की योजना विकसित है तथा पूर्ण रूप से शहरी आबादी आवाद है। राजस्व मानचित्र र अंकित चौमेडा, तिमेडा, सिहद्दा रेलवे लाइन इत्यादि स्थायी बिन्दु मौके पर मौजूद नहं है। प्राधिकरण में उपलबध राजस्व मानचित्र, सुपर इम्पोज प्लान तथा डब्लू–1 जूही कल के तलपट मानचित्र से मौके पर मिलान किया गया, मिलान के अनुसार प्रश्नगत भूखण संख्या–559 डब्लू–1 जुही कला कानपुर नगर की आराजी संख्या–699पार्ट, 372पाट 371पार्ट व 700पार्ट पर स्थित होना पाया गया। प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखानुसा ग्राम जुही कला की आराजी संख्या–699, 372, 371 व आराजी नं0–700 का सम्पू रकबा एवार्ड सं0–01 दिनांक 16.10.1958 से अर्जित तथा कब्जा दिनांक 18.10.1958 र प्राप्त है जो कि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। पत्रावली मूल रूप से अभियंत्र जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

Ankur
01-09-25

01/09/25

01-09-25

काoविo प्राo

काo विo प्राo

लेख एवं अज्ञायें

सहाo लेखाकार/विशेष कार्याधिकारी महोदय,

कृपया पूर्व नोटशीट पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित प्रभारी अधिशासी अभियंता जोन–3 की आख्या दिनांक 27.08.2025 अवलोकित करने का कष्ट करे। जिसमें विशेष कार्याधिकारी भूमि बैंक अनुभाग–3 की आख्या दिनांक 12.08.2025 समाहित करते हुये विक्रय सम्बन्धी प्रपत्रो की जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत् भूखण्ड का आवंटन/निबंधन विक्रय अनुभाग द्वारा नही किया गया है। भूमि बैंक/अभियंत्रण अनुभाग की आख्या दिनांक 12.08.2025/27.08.2025 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि के0डी0ए0 के स्वामित्व की भूमि है।

अतः उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अर्न्तगत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही पत्रावली अभियंत्रण खण्ड जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

Dwivedi 16/09/25

1/9
अखिलेश मिश्रा
सहा0 लेखाकार

10/09/25
सत शुक्ल
विशेष कार्याधिकारी
... विकास प्राधिकरण

AE/JE

11/09/2025

16/9/25

प्रवर्तन अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हित जाने हेतु नोट आख्या प्रस्तुत करें।

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

सार्वजनिक / प्राधिकरण भूमि पर अवैध कब्जा / निर्माण की प्रथम सूचना रिपोर्ट (जोन–3)

ANNEXURE R1/24

का0 वि0 प्रा0

सेवा में,

अधिकृत अधिकारी अन्तर्गत धारा 26(क),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

1. निर्माण करने की सम्भावित तिथि....................लगभग 25–30 वर्ष पूर्व.......
2. निर्माण देखे जाने की तिथि.......
3. निर्माण करने की जगह.......डब्लू–1 जूही कला.......
   प्लाट संख्या.......559....... परगना.......
   आराजी सख्या.......डब्लू–1 जूही कला तहसील.......
   ग्राम.......कानपुर नगर....... योजना.......
4. अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा.......लगभग 1700 वर्गगज क्षेत्रफल में डा0 बृज किशोरी ....दुबे मैमोरियल स्कूल पूर्व निर्मित एवं संचालित है। ....भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये।
5. निर्माण करने वाले का नाम व पता.......प्रबन्धक, डा0बृज किशोरी दुबे मैमोरियल स्कूल....... ....परिसर नं0–559 डब्लू–1 जूही कला,....... ....कानपुर नगर.......
6. प्रस्तावित कार्यवाही:–अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये। निर्माण स्थल का नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित भूमि / सार्वजिनक भूमि के प्राधिकरण भूमि होने का प्रमाण संलग्न है।

07/07/2025
रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर / पदनाम
(मोहर सहित)

7. रिपोर्ट करने की सिफारिश:–उपरोक्तानुसार कार्यवाही की संस्तुति है।

संस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर / पदनाम
(मोहर सहित)

अधिकारी का आदेश:–कारण बताने का नोटिस भेजियें। चालान किया जाये।

नोट:–उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश 31 / कार्मिक / का0वि0प्रा0 / 14–15 दिनांक 19.04.2014 द्वारा अधिकार व कर्तव्य मुझको प्रतिनिधनित (डेलीगेट) कर दिये गये है।

अधिशाषी अभियन्ता(प्रवर्तन जोन–3)

ANNEXURE R1/25

का० वि० प्रा०

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

पत्रांकः–डी/832–/प्र०अ० प्रवर्तन(जोन–3)/का०वि०प्रा०/2025–26 दिनांकः–19/7/25

–ःकारण बताओ नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

डा० बृज किशोरी दुबे मैमोरियल स्कूल
परिसर नं०–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क (4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूही कला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 1700 वर्ग गज क्षेत्रफल में डा० बृज किशोरी दुबे मैमोरियल स्कूल पूर्व निर्मित एवं संचालित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद्द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 30/07/25 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क (4)के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू० 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/26

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,

(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

पत्रांकः–डी/1016/प्र0अधि0प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः–07/08/2025

–:पुनः सुनवाई नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

डा0 बृज किशोरी दुबे मैमोरियल स्कूल
नि0–परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूहीकला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 1700 वर्गगज क्षेत्रफल में डा0 बृज किशोरी दुबे मैमोरियल स्कूल पूर्व निर्मित एवं संचालित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्र दिनांक 19.07.2025 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, उक्त नोटिस के कम में आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद् द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क(4) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/27

सेवा में,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

20 अगस्त, 2025

विषय : आपत्ति विरुद्ध कारण-बताओ नोटिस संख्या डी/1016/प्र०अधि०प्रवर्तन(जोन-3)/का०वि०प्रा०/2025-26 दिनांकित 07.8.2025

श्रीमान जी,

प्रार्थी निम्नलिखित निवेदनशील है :-

1- यह कि प्रार्थी को उत्तर प्रदेश नगर आयोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4), के अंतर्गत अनुभाग-प्रवर्तन जोन-3, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित "पुनः सुनवाई नोटिस" पत्रांक संख्या डी/1016/प्र०अधि०प्रवर्तन(जोन-3)/का०वि०प्रा०/2025-26 दिनांकित 07.8.2025, दिनांक 18.8.2025 को प्राप्त हुआ।

2- यह कि उक्त पुनः सुनवाई नोटिस अंतर्गत धारा 26क(4) डा० बृज किशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल के नाम से प्रेषित किया गया और आपत्ति हेतु दिनांक 21.8.2025 का अवसर प्रार्थी को प्रदान किया गया, जिसके क्रम में प्रस्तुत आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3- यह कि प्रथमतः यह अवगत कराना है कि उक्त नोटिस दिनांकित 07.8.2025 की विषय-वस्तु "भूखण्ड संख्या 559, डब्लू-1, जूहीकला, कानपुर नगर" है तथा नोटिस के कथन विशिष्ट रूप से अस्वीकार हैं। उक्त प्रकरण सम्बन्धित यह पहला नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ है और इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त प्रकरण की कोई भी जानकारी नहीं थी, जब कि प्राप्त नोटिस "पुनः सुनवाई नोटिस" के शीर्षक के साथ प्रेषित किया गया है।

4- यह कि उक्त नोटिस अंतर्गत धारा 26क(4) में कोई आरोप कदापि स्पष्ट नहीं किया गया है।

5- यह कि प्रार्थी की जानकारी विषयगत भूखण्ड संख्या 559, डब्लू-1, जूहीकला, कानपुर नगर, के संदर्भ में मात्र इतनी है कि उक्त उक्त भूखण्ड पर निर्मित भवन संख्या 127/559 B एवं C, W-1, साकेत नगर, कानपुर नगर, को प्रार्थी द्वारा श्री सूरज कुमार पुत्र श्री राम कृष्ण एवं श्री अशोक पांडे पुत्र स्व. शीतला प्रसाद पांडेय से रू. 2051 के मासिक किराये पर स्कूल संचालित करने हेतु किराएदारी पर प्राप्त किया गया था।

6- यह कि प्रार्थी भवन संख्या 127/559 B एवं C, W-1, साकेत नगर, कानपुर नगर, का किरायेदार है तथा भवन को प्रस्तुत अवस्था एवं निर्माण के साथ ही उक्त श्री सूरज कुमार पुत्र श्री राम कृष्ण एवं श्री अशोक पांडे पुत्र स्व. शीतला प्रसाद पांडेय से किरायेदारी पर प्राप्त करने के उपरान्त अप्रैल, 1999 से उसी भवन से प्रार्थी द्वारा डा० बृज किशोरी दूबे मेमोरियल स्कूल संचालित किया जा रहा है।

7- यह कि प्रार्थी द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा डा०बृज किशोरी दूबे मेमोरियल स्कूल में प्रदान की जाती है । उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा संचालित डा०बृज किशोरी दूबे मेमोरियल स्कूल समाज के पिछड़े वर्ग के परिवारों से भी बच्चे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रार्थी द्वारा संचालित उक्त स्कूल सैकड़ों बच्चों को प्रति वर्ष शिक्षा प्रदान करता है।

8- यह कि मार्च, 2010 में कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा जबरन अनैतिक तरीके से उगाही हेतु स्कूल संचालित भवन संख्या 127/559 B एवं C, W-1, साकेत नगर, कानपुर नगर, को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था परन्तु माननीय सिविल जज (वरिष्ठ वर्ग), कानपुर नगर द्वारा मूल वाद संख्या 1074/2010 (डा०बृज किशोरी दूबे स्मारक समिति एवं अन्य बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य) में पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 25.5.2010 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम को अस्थायी रूप से आदेशित किया था कि, "भवन से बेदखल न करे और विवादित संपत्ति को विध्वंश न करते हुए विवादित संपत्ति पर यथा स्थिति बनाये रखें" तथा सभी पक्षों को पूर्ण रूप से सुनने के बाद ज़रिए अंतिम आदेश दिनांकित 05.8.2017 कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम को प्रार्थी के भवन 127/559 B एवं C, W-1, साकेत नगर, कानपुर नगर, पर भौतिक क़ब्ज़े व दख़ल में हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए, स्थायी रूप से निषेधित किया था।

9- यह कि कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम द्वारा आज दिवस तक उक्त आदेश के विरुद्ध को अपील या निगरानी आदि नहीं की गई, अतः उक्त अंतिम आदेश दिनांकित 05.8.2017 आज दिवस तक प्रभावी है एवं कानपुर विकास प्राधिकरण समेत कानपुर नगर निगम पर भी बाध्य है। आदेश की प्रति अवलोकन हेतु संलग्न की गई है।

10-यह क़ि उल्लेखनीय है कि उक्त मूल वाद संख्या 1074/2010 (डा०बृज किशोरी दूबे स्मारक समिति एवं अन्य बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य) माननीय न्यायालय द्वारा अंतर्गत आदेश 12 नियम 6, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, के अंतर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम द्वारा लिखित रूप से किए गए अभिस्वीकृति के आधार पर निर्णीत किया गया था, जिसमें कि कानपुर विकास प्राधिकरण समेत कानपुर नगर निगम द्वारा वादी द्वारा कहे गए अधिकांश कथनों को स्वीकार भी किया गया था।

11-यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम द्वारा अपने-अपने दाखिल जवाबदावा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया कि, "आराज़ी संख्या 701 पर निर्मित प्रश्नगत मकान नं० 127/559 बी व सी, डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर का क्षेत्रफल माननीय सिविल न्यायालय कानपुर नगर के वाद सं० 1754 सन 1985 शीतला प्रसाद आदि बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण आदि में पारित निषेधाज्ञा अज्ञप्ति दिनांक 26.3.1987 से प्रभावित है।" अतः स्पष्ट है कि उक्त विषयगत सम्पत्ति दो बार न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जांची जा चुकी है

और कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम को स्थायी रूप से निषेधित भी किया जा चुका है।

12- यह कि उक्त मूल वाद संख्या 1074/2010 (डा०बृज किशोरी दूबे स्मारक समिति एवं अन्य बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य) में माननीय न्यायालय के समक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम द्वारा अपने-अपने जवाबदावे में यह भी स्वीकार किया गया था कि वाद संख्या 1754/1985 के वादपत्र में वर्णित विषयगत भवन का जीर्णोधार भी पूर्व में ही हो चुका था।

13- यह कि उक्त मूल वाद संख्या 1074/2010 (डा०बृज किशोरी दूबे स्मारक समिति एवं अन्य बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य) में माननीय न्यायालय के समक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने जवाबदावे की धारा 14 में यह भी स्वीकार किया गया कि,

> "भूखण्ड संख्या 127/558 एवं भवन संख्या 127/559 बी एवं सी के सम्बन्ध में कतिपय शिकायत प्राप्त होने पर प्रतिवादी द्वारा जाँच की गई थी। जांच की प्रक्रिया में प्रतिवादी संख्या (नगर निगम) से भी तथ्यात्मक आख्या मँगायी गई थी। जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा पत्र संख्या डी/254 दिनांक 06/10/05 अधिशासी अभियंता जोन 05 के द्वारा मौके की स्थिति का नक्शा बनाकर संलग्न करते हुए आख्या प्रेषित की गई थी। जिसमें उल्लेख किया गया कि भूखण्ड संख्या 127/559 के चारों ओर नगर निगम द्वारा पक्की सड़के बनायी गई है और उन पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। पत्रांक संलग्नक संख्या 02

है। भूखण्ड संख्या 127/559 के पार्क को विकसित किए जाने हेतु एवं इसके रखरखाव व प्रबन्ध हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण ने पत्र संख्या डी/243/मु०अ०/का०वि०प्रा०/98-99 दिनांकित 15/09/1996 के द्वारा डा० बृज किशोरी दूबे मेमोरियल स्कूल (वादी) को सौंपा गया है। आवंटन पत्र व क़ब्ज़ा दिए जाने वाले भाग का नक्शा संलग्न है। संलग्नक संख्या 03 है। "

अतः स्पष्ट है कि उक्त भवन के निर्मित भाग की किरायेदारी प्रार्थी को उक्त विवरणानुसार श्री सूरज कुमार पुत्र श्री राम कृष्ण एवं श्री अशोक पांडे पुत्र स्व. शीतला प्रसाद पांडेय से प्राप्त हुई तथा भूखण्ड संख्या 127/559 के पार्क को विकसित किए जाने हेतु एवं इसके रखरखाव व प्रबन्ध हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण ने पत्र संख्या डी/243/मु०अ०/का०वि०प्रा०/98-99 दिनांकित 15/09/1996 के द्वारा डा० बृज किशोरी दूबे मेमोरियल स्कूल (वादी) को सौंपा गया है।

14- यह कि जीर्णोधार प्रभावित निर्माण के विषय में उक्त मूल वाद संख्या 1074/2010 (डा०बृज किशोरी दूबे स्मारक समिति एवं अन्य बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य) में माननीय न्यायालय के समक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने जवाबदावे की धारा 14 में यह भी स्वीकार किया गया कि,

"उपरोक्त वाद संख्या 1754 सन 1985 में पारित अज्ञप्ति से प्रभावित निर्माण का जीर्णोधार किया गया है एवं न्यायालय की अज्ञप्ति

से प्रभावित वाले भाग पर वादिगण द्वारा संचालित स्कुल के भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में आराजी संख्या 700-701 मौजा जुही कला के जुज भाग पर कुछ व्यक्तियों के पक्ष में नियमितीकरण उपाध्यक्ष का०वि०प्रा० के अनुमोदन दिनांक 02/09/1998 के द्वारा किया जा चुका है एवं नियमानुसार धनराशि पक्षों द्वारा जमा की गई है। जिसका उल्लेख पत्रांक संख्या 859/का०वि०प्रा०/04-05 दिनांक 12/09/05 में किया गया है जो संलग्नक 04 व 05 है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा अज्ञप्ति पारित होने व नियमितीकरण किए जाने के पश्चात कोई हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। "

15-यह कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं या भी अभिस्वीकृति जवाबड़ावे में की गई थी कि, "जांच पर कोई हस्तक्षेप किए जाने योग्य तथ्य न पाए जाने पर जाँच की आख्या अग्रसारित की जा चुकी है।"

16-यह कि उक्त तथ्यों एवं कथनों से स्वतः स्पष्ट है कि विषयगत भवन संख्या 127/559 बी व सी, डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर, की पुष्टि एवं निर्माण सम्बन्धित तथ्यों का अवलोकन कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर निगम समेत माननीय सिविल न्यायालय द्वारा 02 भिन्न-भिन्न वादों में किया जा चुका है, जिसमें की कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम द्वारा अभिस्वीकृति के आधार पर ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद को प्रार्थी के हक मेकिन निर्णीत किया गया था और आज दिवस तक जिसकी कोई अपील या निगरानी इत्यादि कानपुर

विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है और उक्त निर्णय आज दिवस तक कानपुर विकास प्राधिकरण पर बाध्य एवं प्रभावी है।

17- यह कि समय-समय पर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विषयगत भवन के सम्बन्ध में प्रार्थी को प्रताड़ित किया जाता रहा है और इस बार पुनः आधारहीन कारण-बताओ नोटिस द्वारा वही स्वर पुनः दोहराया जा रहा है, जिसके पुष्टि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी है।

प्रार्थना

अतः विनम्र प्रार्थना एवं निवेदन है कि उक्त तथ्यों एवं कथनों के आधार पर तथा स्वयं कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सशपथ माननीय न्यायालय के समक्ष की गई अभिस्वीकृति के आधार पर, प्रार्थी के विरुद्ध जारी कारण-बताओ नोटिस संख्या डी/1016/प्र०अधि०प्रवर्तन(जोन-3)/का०वि०प्रा०/2025-26 दिनांकित 07.8.2025, को अपास्त करने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा करें। महान दया होगी।

दिनांक : 21.8.2025

डा० बृज किशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल
ज़रिए प्रिंसिपल

Principal

Dr Brij Kishori Dubey Memorial School

ANNEXURES :
1- True copy of order sheet
2- " " " Plaint
3- " " " NE of KDA

5/-
26/5/10

प्रतिलिपि विभाग दीवानी * जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर *
सत्यमेव जयते

न्यायालय श्रीमान ACMM III कानपुर नगर

OS NO - 1074/10

डा० ब्रिज किशोरी दुबे आदि

— VS —

के० डी० ए० आदि

नकल - सम्पूर्ण आर्डरशीट (संलग्न है)

मूल वाद संख्या:- 1074/2010

[illegible] स्मारक समिति व अन्य बनाम के0डी0ए0 व अन्य

25.5.2010:

6ग प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र 7ग पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी संख्या-1 पॅजीकृत समिति है और अप्रैल,1999 से मकान नम्बर127/559 बी व सी डब्लू [illegible] कानपुर नगर के मु0 रू0 2051/- प्रतिमाह की दर से [illegible] संख्या 3 के किरायेदार है जिसमे वादी का स्कूल वादी संख्या-2 के [illegible] चलता है।उक्त विवादित भवनह के प्रतिवादी सख्या-3 व 4 स्वामी हैं [illegible] भवन मे बच्चो को शिक्षा दी जा रही है और आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली [illegible] वादी के स्कूल को मान्यता प्राप्त है । कुछ समय से प्रतिवादीसंख्या -3 व 4 किराया बढाकर मु0रूपया 7,500/- प्रतिमाह करना चाहते है । जिसके लिये वादी तैयार नही हुआ । प्रतिवादीसख्या-3 व 4 [illegible] जबरदस्ती स्कूल खाली कराना चाहते हैं ।यदि प्रतिवादीगण [illegible] अपने मकसद मे कामयाव हो गये तो 400-500 बच्चों का [illegible] अन्धकार मय हो जायेगा ।प्रतिवादी संख्या -3 व4 ने प्रतिवादी संख्या [illegible] से दुरभि सन्धि कर लिया है औरवह जवरदस्ती विवादित इमारत को [illegible] वादी को वेदखल करना चाहते हैं ।दिनॉक 23.5.10को काफी [illegible] स्कूल की विल्डिंग के वाहर इकटठा हुए और उन्होने यह वताया कि प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के अधिकारी है और विवादित विल्डिंग को गिराना [illegible] जिससे वादी के मैनेजर को काफी आश्वर्य हुआ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि [illegible] को वादी को बेदखल करने से और विवादित विल्डिंग के [illegible] से निषेधित किया जाय ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान सोसाइटी [illegible] प्रमाणपत्र कागजसंख्या-10ग ,जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी [illegible] नगर के पत्र दिनॉकित 27.6.01 वावत अस्थाई मान्यता स्कूल [illegible] संख्या -11ग ,टेलीफोन विल सख्या-12ग, किराया रसीदें 13ग की [illegible] किया ।

[illegible] प्रार्थनापत्र के अन्तिम निस्तारण के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण को [illegible] हो ।पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग दिनाक 7.6.2010 को [illegible] ।तबतक न्यायहित में वादी के 7ग शपथपत्र में किये गये वाद के [illegible] पर किये गये अखण्डित शपथपत्र व प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेखों [illegible] आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण कोविधिक प्रकियाको अपनाते हुए [illegible] भवन से वेदखल न करे और विवादित सम्पत्तिको विध्वंश न [illegible] विवादित सम्पत्ति पर यथा स्थिति बनाये रखें ।

[illegible] आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 का अनुपालन सुनिश्चित किया [illegible]

25/5/10

मनोज कुमार अग्रवाल
ए0सी0एम0एम0/ए0सी0जे0(सी0डि0)
कोर्ट सख्या -3, कानपुर नगर ।

टंकणकर्ता [illegible]
2186 (53-500)

TRUE COPY
ATTESTED
7/2010
HEAD COPYIST
CIVIL COPYING CIVIL COURT
KANPUR NAGAR

31
16.12.15

न्यायालय श्रीमान ACMM-9 कानपुर नगर

O.S. No. 1074/2010

बृज किशोरी दुबे बनाम नगर निगम

नकल - Plaint की प्रतिलिपि संलग्न है

...-124/559-B, M-1 Saket Nagar, Kanpur.

....Defendants

Sir,

The plaintiffs above named humbly beg to submit

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requiste stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापस देने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Sign. of official delivering copy
31/16.12.15	24.12.15	04.1.15	[signature]

भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2 COURT FEE

अजीत कुमार गुप्ता
एनरो०नं०—72/90 एडवोकेट
21, बाबू लाल मिश्रा अधिवक्ता भवन
सिविल कोर्ट कानपुर नगर—208001
मो०—9839035143,9452450968

4130/0779/2010

SHEET

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION)

KANPUR NAGAR

O.S. No.   of 2010

1. Dr. Brij Kishori Dubey Smarak Samiti having its registered office at 127/42 'U' Block Nirala Nagar Kanpur registered at Serial No.99/96-97 K 20050 on 22.9.01 through Manager Sri Brijesh Dubey major aged about 40 years s/o Sri Ram Kishore Dubey.

2. Dr. Brij Kishori Dubey Memorial School, situated at 127/C-1 /559 W-1 Saket Nagar through its Manager Sri Raj Kumar Shukla major aged about 50 years s/o Sri Ganga Charan Shukla 128/140 H-2 Kidwai Nagar, Kanpur Nagar.

....Plaintiffs

Versus

1. Kanpur Development Authority, through its Vice Chairman having office at Moti Jheel Benajhabar Road, Kanpur Nagar.

2. Kanpur Nagar Nigam, Kanpur through its Mukhya Nagar Adhikari having office at Moti Jheel, Bena Jhabar Road, Kanpur Nagar.

3. Sri Suraj Kumar major s/o Sri Ram Krishna R/o 291/2 Lal Colony , Daroga Line, Juhi Depo, Kanpur.

4. Sri Ashok Pandey s/o Late Shitla Prasad Pandey, R/o 127/559-B, W-1 Saket Nagar, Kanpur.

....Defendants

Sir,

The plaintiffs above named humbly beg to submit

as hereunder :-

1. That the plaintiff no.1 is a society registered under the Societies Registration Act No.21 of 1860 as No.99/96/97,

2. That the plaintiff no.1 Society has been tenant since April, 1999 or thereabout of an accommodation bounded as given in the relief clause herein-below at House No. 127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar on a rental of Rs.2051/- per month under the defendant no.3. The plaintiff no.1 society had taken the said premises in tenancy for running a school namely the plaintiff no.2 school.

3. That the fact of the matter is that the said property is held and owned inter alia by defendants no. 3 & 4.

4. That by virtue of aforesaid Power of Attorney dated 21.06.1991, it is the defendants no. 3 and 4 who are looking after the said property including the said tenanted portion of the plaintiff no.1 society at

House No.127/559 B and C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar.

5. That building of the said House No.127/559 W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar has been very old existing since early or mid fifties or thereabout.

6. That the plaintiff no.1 society is running plaintiff no.2 school from the said building at House No. 127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar since April, 2001 and numerous children irrespective of their caste creed or religion are getting quality education in the said institution holding various sections of Nursary and primary Classes.

7. That the plaintiff no.2 school is also duly recognised from and affiliated to ICSE Council New Delhi.

8. That the said School has also to cater to the needs of giving education to the children of the poor Section of the Society or children of the section of low income of the society free of charge.

-4-

9. That in the manner aforesaid the status and future of as many as more than 400 to 500 children is associated with the running and functioning of the said school which is being run at Premises No.127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar.

10. That for the past some time the defendant no.3 & 4 have been pressing with the plaintiff to increase rent as per his whims and sweet will from Rs.2500/- per month to Rs.7500/- per month to which the plaintiff school disagreed and represented to him accordingly.

11. That the plaintiff is a school feeding such sections of the society which is financially poor and belongs to very low income group. The school is being run on no profit no loss basis but in fact it suffers losses which are compensated by spontaneous few donations . Under these circumstances the plaintiff school has not been nor is in a position to increase rent.

12. That on continuous insistence on the part of the defendant no.3 & 4 to increase rent, ultimately, the plaintiff ...

-5-

to increase rent in the first week of the month of March 2010.

13. That there upon the defendant no.3 & 4 became further hostile and started calling upon the school to vacate the premises which too was refused by the school and it was represented on behalf of the school that the carrier and future of more than 400-500 children is at Stake and the defendant no.3 & 4 can not get the said premises vacated from the school as such.

14. That this annoyed the defendant no.3 & 4 and the started a dopting circuitus methods to some how or the other dispossess the school from the said building/ premises and colluded with the unscrupulous Officers and employees of defendants no.1 and 2 and they are conspiring to get the said building, some how or the other demolished forcibly and without any cause or occasion therefor so as to wrongfully, circuitously and illegally dispossess the plaintiffs from the said

-6-

15. That the defendants no.1 and 2 at the instance of defendant no.3 & 4 are trying to secretly device the demolition of the building all of a sudden of the said school sudden without serving any notice thereof on the plaintiff with the aforesaid malafide intention and motive.

16. That all of sudden yesterday i.e. on 23-05-10 number of person came out side the building of the said school. The Manager of the plaintiff school amongst others were taken by surprise as to who they are and for what purpose have they come. On confronting them they represented that they have come from the offices of defendants no.1 and 2 to assess the situation with a view to demolish the school building in the said premises. There upon the Manager of the plaintiff school was further shocked and surprised as to how and in what circumstances they have come all the more without any prior information or notice. On further enquiry it transpired that they wrongfully and illegally

went to demolish the building of the said school premises. The Manager of the plaintiff school requested and called upon them to desist from their wrongful and malafide designs and not to go ahead to demolish of the building of the said school. But they refused to desist. Instead they openly threatened that now they will come with force and would demolish the building positively within a very short time which created such a great apprehension with the school necessitating to file this suit.

17. That in case the defendant no.1 & 2 /defendants succeed in their malafide designs to demolish the school building not only the plaintiffs/ plaintiff no.2 school shall suffer irreparable loss and injury but carrier and future of more than 1250 students of the school would also be thrown into dark and their academic year as well as further education would be badly and highly adversely affected.

18. That in the circumstances the plaintiffs have been left with no other efficacious remedy than to

-8-

seek decree of permanent injunction restraining the defendants particularly defendants no.1 & 2 from demolishing the aforesaid tenanted building of the plaintiff no.1 from where the plaintiff no.2 school is being run which is detailed and bounded as given in the relief clause herein below.

19. That the cause of action for the suit arose to the plaintiffs firstly in the month of March, 2010 when the defendant no.3 threatened to get the said house demolished forcibly and thereafter yesterday i.e. on 23-05-2010 when the Officer and employees of the defendant no. 1 & 2 openly threatened to demolish the said building. The threat and cause of action are still continues.

20. That for the purpose of payment of court fee and jurisdiction the suit is valued at rupees 30,000/- being one year's rent which is the market value of the rights of the plaintiff involved in the case and the court fee is payable on 1/5th thereof i.e. on Rs.6000/-

paise but a maximum Court fee of Rs.500/- is being paid. This court has got jurisdiction to try and hear this suit which is being filed seeking the relief of injunction only.

Relief Claimed

The plaintiff, therefore, claims the following reliefs against the defendants:

a) A decree for permanent injunction restraining the defendants and also the officers, employees, servants, agents and representatives of defendants no.1 & 2 from demolishing or otherwise causing any damages, harm or disturbance to the tenanted building bounded as given herein below at H.No. 127/559 A & B W-1 Saket Nagar, Kanpur of the plaintiff no. 1 wherein school the plaintiff no.2 school being run.

Boundaries of the Premises in question

North	:	Sambakhileshwar Mandir
South	:	30' wide public road.
East	:	30' wide public road and thereafter public park
West	:	60' wide public road.

-10-

b) Cost of the suit

c) Any other and further relief which this learned court deems fit and proper under the circumstances of the case be passed in favour of the plaintiffs.

Plaintiffs

R.K.Shukla

Verification:-

I, Raj Kumar Shukla ,Manager of the plaintiff no.2 School do hereby verify that the contents of paras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19 (partly) of this plaint are true to my personal knowledge and those of paras 14, 15, 17, 18, 19 (Partly) 20 of this plaint are true on the basis of information and legal advice received.

Verified on this 25th day of May, 2010, at Court Compound, Kanpur.

Plaintiffs

R.K.Shukla

शिनाख्तकर्ता - Anjum

शपथ - मुताबिक 1100

AJEET KUMAR GUPTA KANPUR

TRUE COPY ATTESTED

S.4
26/5/10

न्यायालय श्रीमान ACMM III कानपुर नगर
OS No - 1074/10
S/o ब्रिज किशोरी दुबे आदि
— VS —
के०डी० ए० आदि
नकल — अस्थाई ~~आदे~~ आदेश जा० पत्र
मय शपथपत्र संलग्न है।

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर सत्यमेव जयते

Sir,

For the reasons disclosed in the accompanying

R.K. Shukla

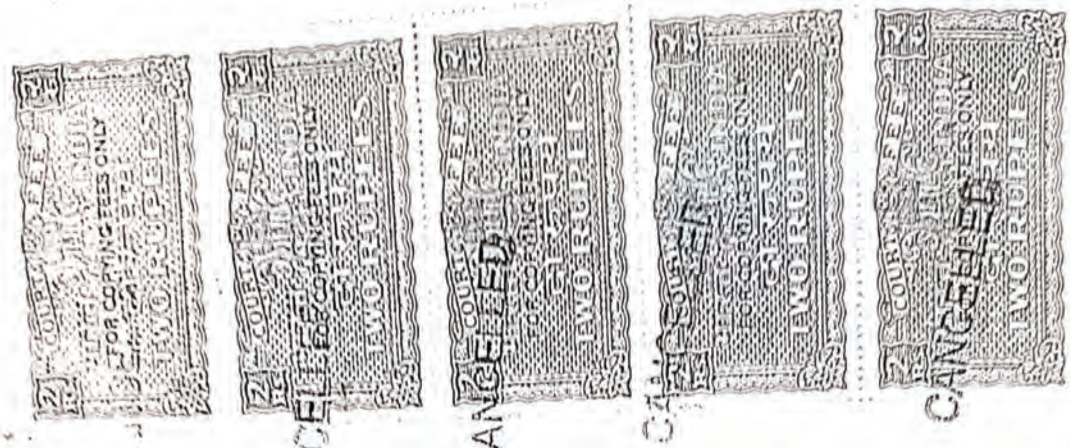

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requiste stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापस देने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Sign. of official delivering copy
54 25-05-10	26-05-10	26/5/10	[signature]

Babu Lal Mishra Adhivakta Bhawan Civil Court, 21, 36, IIIrd Floor 128, Clyde House, AJEET KUMAR GUPTA Advocate 72/96, 9839035143, KANPUR

Babu Lal Mishra Adhivakta Bhawan Civil Court, 21, 36, IIIrd Floor 128, Clyde House, AJEET KUMAR GUPTA Advocate 72/96, 9839035143, KANPUR

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION ,

KANPUR NAGAR

O.S. No. 117 of 2010

1. Dr. Brij Kishori Dubey Smarak Samiti having its registered office at 127/42 'U' Block Nirala Nagar, Kanpur registered at Serial No.99/96-97 K 20050 on 22.9.01 through Manager Sri Brijesh Dubey s/o Sri Ram Kishore Dubey.

2. Dr. Brij Kishori Dubey Memorial School, situated at 127/C-1 /559 W-1 Saket Nagar through its Manager Sri Raj Kumar Shukla major s/o Sri Ganga Charan Shukla 128/140 H-2 Kidwai Nagar, Kanpur Nagar.

......Plaintiffs

Versus

1. Kanpur Development Authorityes, through its Vice Chairman having office at Moti Jheel Benajhabar Road, Kanpur Nagar.
2. Kanpur Nagar Nigam, Kanpur through its Mukhya Nagar Adhikari having office at Motijheel, Benajhabar Road, Kanpur Nagar.
3. Sri Suraj Kumar ,major s/o Sri Ram Krishna R/o 291/2 Lal Colony, Daroga Line, Juhi Depo, Kanpur.
4. Sri Ashok Pandey r/o Late Shitla Prasad Pandey, R/o 127/559-B, W-1 Saket Nagar, Kanpur.

....Defendants

Application U/O 39 Rule 1 & 2 and Sec. 151 C.P.C.

Sir,

For the reasons disclosed in the accompanying

SHEET

-2-

affidavit which forms part of this application, the plaintiffs respectfully pray that the defendants and also their officers, employees, servants, agents and representatives of defendant no. 1 and 2 be restrained by means of temporary injunction/order from demolishing or otherwise causing any damage, harm or disturbance to the tenanted building of the plaintiff comprising House No.127/559A & B W-1 Saket Nagar, Kanpur which is bounded as given in the relief clause of the plaint during the pendency of the suit.

Date: 25/05/2010

Plaintiffs

R.K. Shahi

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर

AJEET KUMAR GUPTA Advocate

TRUE COPY ATTESTED

HEAD COPYIST CIVIL COPYING CIVIL COURT KANPUR NAGAR

आज प्रस्तुत हुआ
ता-तिथि 25-5-10

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION)

KANPUR NAGAR

O.S. No. 1071 of 2010

Dr. Brij Kishori Dubey Smarak Samiti & another

....Plaintiffs

Versus

Kanpur Development Authority & others.

....Defendants

Affidavit of Sri Brijesh Dubey, major s/o Sri Ram Kishore Dubey, ,127/42 'U' Block Nirala Nagar, Kanpur.

....Deponent

The deponent named above solemnly affirms and states on oath as under :-

1. That the deponent is Manager of Plaintiff no.1 Society and is also lookingafter the suit on behalf of the plaintiff no.2 and is well conversant with the facts deposed to herein below.

2. That the plaintiff no.1 is a Society registered under the Societies Registration Act, No.21 of 1860 as No.99/'5/97.

3. That the plaintiff no.1 Society has been tenant

SHEET 1

-2-

since April, 1999 or thereabout of an accommodation bounded as given in the relief clause of the plaint at House No.127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar on a rental of Rs.2051/- per month under the defendant no.3. The plaintiff no.1 society had taken the said premises in tenancy for running a school namely the plaintiff no.2 school.

4. That the fact of the matter is that the said property is held and owned inter alia by defendants No. 3 & 4.

5. That by virtue of aforesaid Power of Attorney dated 21.06.1991, it is the defendants no.3 and 4 who are looking after the said property including the said tenanted portion of the plaintiff no.1 society at House No.127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar.

6. That building of the said House No.127/559 W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar has been very old existing since early or mid fifties or thereabout.

7. That the plaintiff no.1 society is running

plaintiff no.2 school from the said building at House No.127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar since April, 2001 and numerous children irrespective of their caste creed or religion are getting quality educatin in the said institution holding various sections of Nursary and primary classes.

8. That the plaintiff no.2 school is also duly recognised from and affiliated to ICSE Council New Delhi.

9. That the said school has also to cater to the needs of giving education to the children of the poor Section of the Society or children of the section of low income of the society free of charge.

10. That in the manner aforesaid the status and future of as many as more than 400 to 500 children is associated with the running and functioning of the said school which is being run at Premises No.127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar.

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर

SHEET

MUNSARIM

-4-

11. That for the past some time the defendant no.3 & 4 have been pressing with the plaintiff to increase rent as per his whims and sweet will from Rs.2500/- per month to Rs.7500/- per month to which the plaintiff school disagreed and represented to him accordingly.

12. That the plaintiff is a school feeding such sections of the society which is financially poor and belongs to very low income group. The school is being run on no profit no loss basis but in fact it suffers losses which are compensated by spontenous few donations. Under these circumstances the plaintiff school has not been nor is in a position to increase rent.

13. That on continuous insistence on the part of the defendant no.3 & 4 to increase rent, ultimately, the plaintiff school had to refuse the defendant no.3 & 4 to increase rent in the first week of the month of March 2010.

14. That there upon the defendant no.3 & 4 because further hostile and started calling upon the school

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर

to vacate the premises which too was refused by the school and it was represented on behalf of the school that the carrier and future of more than 400-500 children is at stake and the defendant no.3 & 4 can not get the said premises vacated from the school as such.

15. That this annoyed the defendant no.3 & 4 and the started axdap adopting circuitous methods to some how or the other dispossess the school from the said building/ premises and colluded with the unscrupulous officers and employees of defendants no.1 and 2 and they are conspiring to get the said building, some how or the other demolished forcibly and without any cause or occasion therefor so as to wrongfully, circuitously and illegally dispossess the plaintiffs from the said tenanted building.

16. That the defendants no.1 and 2 at the instance of defendant no.3 & 4 are trying to secretly device the demolition of the building all of a sudden of the said

V) SHEE.

MUNSARIM
23-5-10

-6-

school sudden without serving any notice thereof on the plaintiff with the aforesaid malafide intention and motive.

17. That all of a sudden yesterday i.e. on 23-5-2010 the number of persons came out side of the building of the said school. The Manager of the plaintiff school amongst others were taken by surprise as to who they are and for what purpose have they come. On confronting them they represented that they have come from the office of defendants no.1 and 2 to assess the situation with a view to demolish the school building in the said premises. There upon the Manager of the plaintiff school was further shocked and surprised as to how and in what circumstances they have come all the more without any prior information or notice. On further enquiry it transpired that they wrongfully and illegally went to demolish the building of the said school premises. The Manager of the plaintiff school requested and called upon them to desist from their

VI SHEET
MUNSARIM
25-5-10

-7-

wrongful and malafide designs and not to go ahead to demolish of the building of the said school. But they refused to desit. Instead they openly threatened that now they will come with force and would demolish the building positively within a very short time which created such a great apprehension with the school necessitating to file this suit.

18. That in case the defendant No.1 & 2 / defendants succeed in their malafide designs to demolish the school building not only the plaintiffs/ plaintiff no.2 school shall suffer irreparable loss and injury but career and future of more than 1250 students of the school would also be thrown into dark and their academic year as well as further education would be badly and highly adversely affected.

19. That in the circumstances the plaintiffs have been left with no other efficacious remedy than to seek decree of permanent injunction restraining the defendants particularly defendants no.1 & 3 from demolishing the aforesaid tenanted building of the

SHEI
MUNSAI 25-5-10

-8-

plaintiff no.1 from where the plaintiff no.2 school is being run which is detailed and bounded as given in the relief clause of the plaint.

20. That the defendants particularly officers, and employees of defendant no.1 & 2 are in great h ste to some how or the other the demolish the house in suit and/or to cause damage to the same. In case they succeed in their said designs the plaintiff shall suffer irreparable loss and injury and untill and unless they are restrained by means of temporary injunction as prayed for , they shall succeed in their wrongful and malafide designs to serious irreparable loss injury to the plaintiff.

21. That the plaintiffs have strong prima facie case and balance of convenience also lies in favour of the plaintiffs.

22. That it is just and proper that the defendants, their officers, servants, agents and representatives be restrained by means of temporary injunction /order ... in the accompanying application

-9-

during the pendency of the suit.

Deponent

Verification:-

I, Brijesh Dubey, the above named deponent, do hereby verify that the contents of paras 1, ... 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19 Partly are true to my personal knowledge and those of paras 13, 14, 16, 17, 18, 19 Partly 20, 21 & 22 are true on information and legal advice received which I believe to be correct. Nothing material has been concealed and no part of it is false. So help me God.

Verified this 28 day of May, 2010, at Court Compound, Kanpur.

Deponent

59
26/5/10

न्यायालय श्रीमान A.C.M.M. III कानपुर नगर
OS NO - 1074/10

S/o ब्रिज किशोरी दुबे आदि
— बनाम —
के० S/o ए० आदि

नकल - वादपत्र . संलग्न है

Sir,
The plaintiffs above named humbly beg to submit

R.K. Shukla

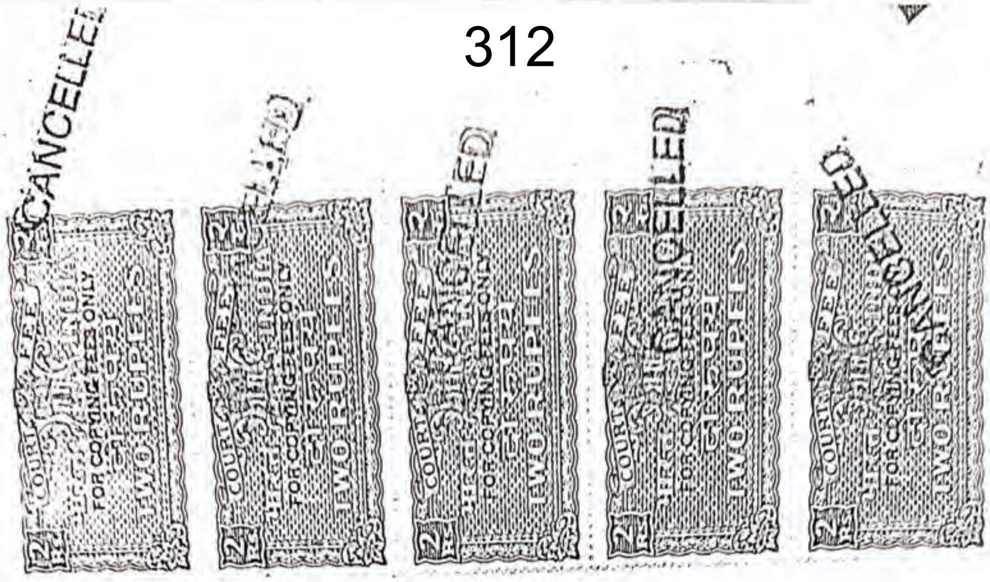

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requiste stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापस देने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Sign. of official delivering copy
264 26/5/10	26/5/10	[illegible] 26/5/10	[illegible]

21, Babu Lal Mishra Adhivakta Bhawan Civil Court
36, IIIrd. Floor 128, Clyde House
AJEET KUMAR GUPTA
Advocate
72/96
9839035143
KANPUR

21, Babu Lal Mishra Adhivakta Bhawan Civil Court
36, IIIrd. Floor 128, Clyde House
AJEET KUMAR GUPTA
Advocate
72/96
9839035143
KANPUR

SHEET
MUNSARIM
25-?-16

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION)

KANPUR NAGAR

O.S. No. 101 of 2000

1. Dr. Brij Kishori Dubey Smarak Samiti having its registered office at 127/42 'U' Block Nirala Nagar Kanpur registered at Serial No.99/96-97 K 20050 on 22.9.01 through Manager Sri Brijesh Dubey major aged about 40 years s/o Sri Ram Kishore Dubey.

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर सत्यमेव जयते

2. Dr. Brij Kishori Dubey Memorial School, situated at 127/C-1 /559 W-1 Saket Nagar through its Manager Sri Raj Kumar Shukla major aged about 50 years s/o Sri Ganga Charan Shukla 128/140 H-2 Kidwai Nagar, Kanpur Nagar.

....Plaintiffs

Versus

1. Kanpur Development Authority, through its Vice Chairman having office at Moti Jheel Benajhabar Road, Kanpur Nagar.
2. Kanpur Nagar Nigam, Kanpur through its Mukhya Nagar Adhikari having office at Moti Jheel, Bana Jhabar Road, Kanpur Nagar.
3. Sri Suraj Kumar major s/o Sri Ram Krishna R/o 291/2 Lal Colony , Daroga Line, Juhi Depo, Kanpur.
4. Sri Ashok Pandey s/o Late Shitla Prasad Pandey, R/o 127/559-B, W-1 Saket Nagar, Kanpur.

....Defendants

Sir,

The plaintiffs above named humbly beg to submit

R.K. Shukla

SHEET
ALI SARIM
25-5-10

-2-

as hereunder :-

1. That the plaintiff no.1 is a society registered under the Societies Registration Act No.21 of 1860 as No.99/96/97.

2. That the plaintiff no.1 society has been tenant since April, 1999 or thereabout of an accommodation bounded as given in the relief clause herein-below at House No. 127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar on a rental of Rs.2051/- per month under the defendant no.3. The plaintiff no.1 society had taken the said premises in tenancy for running a school namely the plaintiff no.2 school.

3. That the fact of the matter is that the said property is held and owned inter alia by defendants no. 3 & 4 .

4. That by virtue of aforesaid Power of Attorney dated 21.06.1991, it is the defendants no. 3 and 4 who are looking after the said property including the said tenanted portion of the plaintiff no.1 society at

R.K. Shukla

प्रतिलिपि विभाग दीवानी
जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर
सत्यमेव जयते

SHEET 9
HASARIM
5-5-10

-3-

House No.127/559 B and C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar.

5. That building of the said House No.127/559 W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar has been very old existing since early or mid fifties or thereabout.

6. That the plaintiff no.1 society is running plaintiff no.2 school from the said building at House No. 127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar since April, 2001 and numerous children irrespective of their caste creed or religion are getting quality education in the said institution holding various sections of Nursary and primary Classes.

7. That the plaintiff no.2 school is also duly recognised from and affiliated to ICSE Council New Delhi.

8. [illegible]at the said School has also to cater to the needs of giving education to the children of the poor Section of the Society or children of the section of low income of the society free of charge.

R. K. Shukla

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर सत्यमेव जयते

SHEET

MUNSARIM 23-5-10

-4-

9. That in the manner aforesaid the status and future of as many as more than 400 to 500 children is associated with the running and functioning of the said school which is being run at Premises No.127/559 B & C W-1 Saket Nagar, Kanpur Nagar.

10. That for the past some time the defendant no.3 & 4 have been pressing with the plaintiff to increase rent as per his whims and sweet will from Rs.2500/- per month to Rs.7500/- per month to which the plaintiff school disagreed and represented to him accordingly.

11. That the plaintiff is a school feeding such sections of the society which is financially poor and belongs to very low income group. The school is being run on no profit no loss basis but in fact it suffers losses which are compensated by spontaneous few donations. Under these circumstances the plaintiff school has not been nor is in a position to increase rent.

12. That on continuous insistence on the part of the defendant no.3 & 4 to increase rent, ultimately, the plaintiff school had to refuse the defendant no.3 & 4

R.K. Shukla

V/SHEET
MUNSARIM
25-5-16

to increase rent in the first week of the month of March 2016.

13. That there upon the defendant no.3 & 4 became further hostile and started calling upon the school to vacate the premises which too was refused by the school and it was represented on behalf of the school that the carrier and future of more than 400-500 children is at Stak and the defendant no.3 & 4 can not get the said premises vacated from the school as such.

14. That this annoyed the defendant no.3 & 4 and the started a dopting circuitus methods to some how or the other dispossess the school from the said building/ premises and colluded with the unscrupulous Officers and employees of defendants no.1 and 2 and they are conspiring to get the said building, some how or the other demolished forcibly and without any cause or occasion therefor so as to wrongfully, circuitously and illegally dispossess the plaintiffs from the said tenanted building.

Brijesh Dubey R.K. Shukla

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर सत्यमेव जयते

VIISHEET

-6-

15. That the defendants no.1 and 2 at the instance of defendant no.3 & 4 are trying to secretly device the demolition of the building all of a sudden of the said school sudden without serving any notice thereof on the plaintiff with the aforesaid malafide intention and motive.

16. That all of sudden yesterday i.e. on 23-05-10 number of person came out side the building of the said school. The Manager of the plaintiff school amongst others were taken by surprise as to who they are and for what purpose have they come. On confronting them they represented that they have come from the offices of defendants no.1 and 2 to assess the situation with a view to demolish the school building in the said premises. There upon the Manager of the plaintiff school was further shocked and surprised as to how and in what circumstances they have come all the more without any prior information or notice. On further enquiry it transpired that they wrongfully and illegally

-7-

VIII SHEET

MUNSARIM 25-5-10

went to demolish the building of the said school premises. The Manager of the plaintiff school requested and called upon them to desist from their wrongful and malafide designs and not to go ahead to demolish of the building of the said school. But they refused to desist. Instead they openly threatened that now they will come with force and would demolish the building positively within a very short time which created such a great apprehension with the school necessitating to file this suit.

17. That in case the defendant no.1 & 2 /defendants succeed in their malafide designs to demolish the school building not only the plaintiffs/ plaintiff no.2 school building not only the plaintiffs/ plaintiff no.2 school shall suffer irreparable loss and injury but carrier and futu[illegible] of more than 1250 students of the school would also be thrown into dark and their academic year as well as further education would be badly and highly adversely affected.

18. That in the circumstances the plaintiffs have been left with no other efficacious remedy than to

R.K. Shukla

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर सत्यमेव जयते

MUNSARIM 25-5-10

seek decree of permanent injunction restraining the defendants particularly defendants no.1 & 2 from demolishing the aforesaid tenanted building of the plaintiff no.1 from where the plaintiff no.2 school is being run which is detailed and bounded as given in the relief clause herein below.

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर सत्यमेव जयते

19. That the cause of action for the suit arose to the plaintiffs firstly in the month of March, 2010 when the defendant no.3 threatened to get the said house demolished forcibly and thereafter yesterday i.e. on 24-5-2010 when the Officer and employees of the defendant no. 1 & 2 openly threatened to demolish the said building. The threat and cause of action are still continues.

20. That for the purpose of payment of Court fee and jurisdiction the suit is valued at rupees 30,000/- being one year's rent which is the market value of the rights of the plaintiff involved in the case and the court fee is payable on 1/5th thereof i.e. on Rs.6000/-

R.K. Shukla

XSHEET 9

SARIM 5-5-10

-9-

paise but a maximum Court fee of Rs.500/- is being paid. This court has got jurisdiction to try and hear this suit which is being filed seeking the relief of injunction only.

प्रतिलिपि विभाग दीवानी जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर सत्यमेव जयते

Relief Claimed

The plaintiff, therefore, claims the following reliefs against the defendants:

a) A decree for permanent injunction restraining the defendants and also the officers, employees, servants, agents and representatives of defendants no.1 & 2 from demolishing or otherwise causing any damages, harm or disturbance to the tenanted building bounded as given herein below at H.No. 127/559 A & B W-1 Saket Nagar, Kanpur of the plaintiff no. 1 wherein ~~school~~ the plaintiff no.2 school being run.

Boundaries of the Premises in question

North : Sambakhileshwar Mandir
South : 30' wide Public road.
East : 30' wide public road and thereafter public park
West : 60' wide Public road.

R.K. Shukla

-10-

b) Cost of the suit

c) Any other and further relief which this learned court deems fit and proper under the circumstances of the case be passed in favour of the plaintiffs.

Plaintiffs

Verification:-

I, Raj Kumar Shukla ,Manager of the plaintiff no.2 School do hereby verify that the contents of paras 1, 2, 3 ... of this plaint are true to my personal knowledge and those of paras 14, 15, 17, 18, 19 ... 20 of this plaint are true on the basis of information and legal advice received.

Verified on this 25th day of May, 2010, at court Compound, Kanpur.

Plaintiffs

TRUE COPY ATTESTED

HEAD COPYIST
CIVIL COPYING CIVIL COURT

आज प्रस्तुत हुआ
मुसरिम
25-5-10

IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION)

KANPUR NAGAR

O.S. No. 1071 of 2009

Pt. Brij Kishori Dubey Smarak Samiti & another

Versus

Kanpur Development Authority & others.

Affidavit of Sri Raj Kumar Shukla, major s/o Lt. Sri Gange Charan Shukla, 128/140 H-2 Kidwai Nagar Kanpur Nagar. ....Deponent.

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under :-

1. That the deponent is Manager of the plaintiff no.2 and is well conversant with the facts deposed herein below.

2. That the deponent verifies that the contents of paras 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16 & 17 Partly of the plaint are true to my his personal knowledge and those of paras 14,15,17,18,19 Partly & 20 of the plaint are true on information and legal advice received which he believes to be true.

3. That all the contents of the plaint are true and correct.

R.K.Shukla
Deponent

SHEET

-2-

Verification:-

I, Raj Kumar Shukla, the above named deponent, do hereby verify that the contents of paras 1, 2, and 3 of this affidavit are true to my personal knowledge and nothing material has been concealed and no part of it is false. So help me God.

Verified this 25th day of May. 2010, at Court Compound, Kanpur.

R.K. Shukla
Deponent

Serial No. ...
Certified that the foregoing statement We Sworn before this day of ...
By Shree ...
To whom the contents of this affidavit Have been Produced & explained & to be identified by Shree ...

Oath Commissioner
MADAN LAL YADAV
Reg No 7418/05 Advocate

का० वि० प्रा०

का०वि०प्रा०

ANNEXURE R1/28

लेख एवं अज्ञायें

तहसीलदार / विशेष कार्याधिकारी (भूमि बैंक) महोदय,

कृपया प्रभारी अधिकारी अभियंत्रण खण्ड की आख्या दिनांक 27.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें अभियंत्रण खण्ड द्वारा विपक्षी के प्रतिउत्तर की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, विपक्षी डा0 ब्रजकिशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल जरिये प्रिसिपंल के द्वारा अपने प्रतिउत्तर के साथ न्यायालय ए0सी0एम0एम0–तृतीय कानपुर नगर के समक्ष योजित वाद सं0–1074 / 10 डा0 ब्रजकिशोरी दुबे आदि बनाम के0डी0ए0 आदि की आर्डर शीट व वाद पत्र संलग्न किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल की चारो ओर प्राधिकरण की योजना विकसित है तथा पूर्ण रूप से शहरी आबादी आबाद है। राजस्व मानचित्र में अंकित चौमेडा, तिमेडा, सिहद्दा रेलवे लाइन इत्यादि स्थायी बिन्दु मौके पर मौजूद नहीं हैं। प्राधिकरण में उपलबध राजस्व मानचित्र, सुपर इम्पोज प्लान तथा डब्लू–1 जूही कला के तलपट मानचित्र से मौके पर मिलान किया गया, मिलान के अनुसार 'प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–559 डब्लू–1 जुही कला कानपुर नगर की आराजी संख्या–699पार्ट, 372पार्ट, 371पार्ट व 700पार्ट पर स्थित होना पाया गया। प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखानुसार ग्राम जुही कला की आराजी संख्या–699, 372, 371 व आराजी नं0–700 का सम्पूर्ण रकबा एवार्ड सं0–01 दिनांक 16.10.1958 से अर्जित तथा कब्जा दिनांक 18.10.1958 से प्राप्त है जो कि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है।' विपक्षी डा0 ब्रजकिशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल जरिये प्रिसिपंल के द्वारा अपने प्रतिउत्तर के साथ न्यायालय ए0सी0एम0एम0–तृतीय कानपुर नगर के समक्ष योजित वाद सं0–1074 / 10 डा0 ब्रजकिशोरी दुबे आदि बनाम के0डी0ए0 आदि की आर्डर शीट व वाद पत्र संलग्न किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा वाद सं0–1074 / 10 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2010 के प्रमुख अंश निम्नवत् है:–"6ग प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग दिनांक 07.06.2010 को पेश हो। तब तक न्यायहित में वादी के साथ ग शपथ पत्र में किये गये वाद के इस स्तर पर किये गये आखंडित शपथ पत्र पर प्रस्तुत उपरोक्त अभिलेखो के आधार पर प्रतिवादीगण–वादीगण को बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुए विवादित भवन से बेदखल न करें और विवादित सम्पत्ति को विध्वंस्त न करते हुए विवादित सम्पतित पर याथास्थिति बनाये रखे। आदेश–39 नियम–3 सी0पी0सी0 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।" पत्रावली मूल रूप से अभियंत्रण खण्ड जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

02/9/25 Awkw 02-09-25 2-9-25

AE/JE 16/09/2025 16/9/25 AE

विशेष कार्याधिकारी
कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर

काठवि० प्रा०

का० वि० प्रा०

लेख एवं अज्ञायें

सहा० लेखाकार/विशेष कार्याधिकारी महोदय,

कृपया पूर्व नोटशीट पृष्ठ संख्या–06 पर अंकित प्रभारी अधिशाषी अभियंता जोन–3 की आख्या दिनांक 30.09.2025 अवलोकित करने का कष्ट करें। जिसमें भूखण्ड संख्या–559, ब्लाक–डब्लू/1, योजना संख्या–द्वितीय कलां, कानपुर के आवंटन सम्बन्धी आख्या कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत् भूखण्ड का आवंटन/निबंधन विक्रय अनुभाग द्वारा नही कियाँ गया है। गत् नोटशीट पृष्ठ संख्या–05 पर विशेष कार्याधिकारी भूमि बैंक की आख्या दिनांक 02.09.2025 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि के०डी०ए० के स्वामित्व की भूमि है।

अतः उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अर्न्तगत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही पत्रावली अभियंत्रगण खण्ड जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

पत्रावली आज प्राप्त की
रामकुमार
14-10-25
02-45 PM

Dwivedi
15/10/2025

15/X
अखिलेश मिश्रा
सहा० लेखाकार

15/10/25

AE/JE

28/10/2025

कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर
सार्वजनिक/प्राधिकरण भूमि पर अवैध कब्जा/
निर्माण की प्रथम सूचना रिपोर्ट(जोन–3)

का0 वि0 प्रा0

ANNEXURE R1/29

सेवा में,

अधिकृत अधिकारी अन्तर्गत धारा 26(क),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

1. निर्माण करने की सम्भावित तिथि....................लगभग 25–30 वर्ष पूर्व....................
2. निर्माण देखे जाने की तिथि....................
3. निर्माण करने की जगह....................डब्लू–1 जूही कला....................
   प्लाट संख्या............559.............. परगना....................
   आराजी सख्या........डब्लू–1 जूही कला तहसील....................
   ग्राम....................कानपुर नगर.................... .योजना....................
4. अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा....................लगभग 500 वर्गगज क्षेत्रफल में बाउण्ड्रीवाल एवं ... .गेट पूर्व निर्मित है भू–स्वामित्व ....सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये।.
5. निर्माण करने वाले का नाम व पता....................डा0 अभिषेक दीक्षित.................... ....परिसर नं0–559 डब्लू–1 जूही कला,.................... ....कानपुर नगर....................
6. प्रस्तावित कार्यवाही:–अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाये। निर्माण स्थल का नजरी नक्शा तथा सम्बन्धित भूमि/सार्वजिनक भूमि के प्राधिकरण भूमि होने का प्रमाण संलग्न है।

07/07/2025

रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर/पदनाम
(मोहर सहित)

7. रिपोर्ट करने की सिफारिश:–उपरोक्तानुसार कार्यवाही की संस्तुति है।

7/7/25 07/7/25

संस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर/पदनाम
(मोहर सहित)

अधिकारी का आदेश:–कारण बताने का नोटिस भेजिये। चालान किया जाये।
नोट:–उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश 31/कार्मिक/का0वि0प्रा0/14–15 दिनांक 19.04.2014 द्वारा अधिकार व कर्तव्य मुझको प्रतिनिधनित (डेलीगेट) कर दिये गये है।

अधिशाषी अभियन्ता(प्रवर्तन जोन–3)

ANNEXURE R1/30

का0 वि0 प्रा0

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग–प्रवर्तन जोन–3)

पत्रांकः–डी/845 /प्र0अ0 प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः– 19/7/25

–:कारण बताओ नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

डा0 अभिषेक दीक्षित
परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क (4) के अन्तर्गत नोटिस।

महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूही कला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्रफल में बाउण्ड्रीवाल एवं गेट पूर्व निर्मित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद्द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 30/07/25 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क (4)के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/31

का0 वि0 प्रा0

कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग प्रवर्तन जोन–3)

पत्रांकः–डी/1010 /प्र0अधि0प्रवर्तन(जोन–3)/का0वि0प्रा0/2025–26 दिनांकः–07/08/2025

–:पुनः सुनवाई नोटिसः–

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन जोन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

सेवा में,

डा0 अभिषेक दीक्षित
नि0–परिसर नं0–559, डब्लू–1,
जूही कला, कानपुर नगर।

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अन्तर्गत नोटिस।
महोदय,

चूंकि अभियन्त्रण खण्ड (जोन–3) की आख्यानुसार प्लाट संख्या–559, डब्लू–1, जूहीकला, कानपुर नगर पर आप द्वारा लगभग 500 वर्गगज क्षेत्रफल में बाउण्ड्रीवाल एवं गेट पूर्व निर्मित है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख नही दिखाये गये। इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय पत्र दिनांक 19.07.2025 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, उक्त नोटिस के कम में आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अतः आपको अधिनियम की धारा 26क(4) के अन्तर्गत पुनः नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

एतद् द्वारा आप को निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक 21/08/2025 को प्रातः 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न उपरोक्त निर्माण को गिराने एवं अधिनियम की धारा–26क(4) के अन्तर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाये। आप स्वयं या अपने अधिकृत/अधिकृता द्वारा उपस्थित हो सकते है।

प्रभारी अधिकारी(प्रवर्तन–3)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

टिप्पणीः–

आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा 26क की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार धारा–26क(1) में उल्लिखित सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण करने पर एक वर्ष तक का साधारण कारावास एवं रू0 20,000.00 तक का दण्ड आरोपित किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा–26क(2) के अनुसार धारा–26क–(1) में उल्लिखित अवैध अवैध कब्जा/निर्माण संज्ञेय अपराध है।

ANNEXURE R1/32

राजेश कुमार दीक्षित
एडवोकेट

चैम्बर नम्बर–25,
शताब्दी अधिवक्ता भवन, सिविल
कोर्ट कम्पाउण्ड,कानपुर नगर उ.प्र.
मो0 9415537752

दिनॉक: 18/08/2025

रजिस्टर्ड ए0डी0

नोटिस जवाब मिनजानिब डा0 अभिषेक दीक्षित निवासी मकान नम्बर 128/बी बर्रा–2, कानपुर नगर द्वारा अधिवक्ता राजेश कुमार दीक्षित, चैम्बर नम्बर 25, शताब्दी अधिवक्ता भवन सिविल कोर्ट परिसर कानपुर नगर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, (प्रवर्तन जोन–3) कानपुर विकास प्राधिकरण, स्थित मोंतीझील, कानपुर नगर उ0प्र0

महोदय,

आपके द्वारा मेरे आदेशक उपरोक्त को प्रेषित नोटिस पत्रांक सं0 डी/1010/प्रा0अधि0 (जोन–3) का0 वि0 प्रा0कानपुर नगर/2025–2026 /दिनॉक 07/08/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त नोटिस का मेरें आदेशक उपरोक्त की ओर से आपको निम्नवत उत्तर प्रेषित किया जा रहा है।:–

1– यह कि मेरे आदेशक उपरोक्त का प्लाट सं0 559 डब्लू–1, जूही कंला रकबा लगभग 500 वर्गगज से कभी कोई सरोकार या वास्ता नहीं है तथा मेरे आदेशक का निवास कभी 559डब्लू–1, जूही कंला कानपुर नगर नहीं रहा और न है। तथा मेरा आदेशक एक होम्योपैथिक चिकित्सक है और वह डा0 बृज किशोरी दुबे स्मारक धर्मार्थ होम्योंपैथिक चिकित्सालय स्थित 127/559 (बी–13) साकेत

नगर कानपुर में निःस्वारर्थ बिना किसी लाभ के जन कल्याणार्थ गरीब व मजदूर वर्ग को निःशुल्क चिकित्सा महीने में दो दिन प्रदान करता था तथा उपरोक्त अस्पताल के भवन/भूमि के स्वामित्व, कब्जा से मेरे आदेशक का कोई कभी वास्ता नहीं रहा।

2– यह कि यह भी स्पष्ट करना है कि इसके पूर्व मेरे आदेशक को आपकी नोटिस में कथित कारण बताओं नोटिस दिनॉक 19.07.2025 कभी नहीं मिला और मेरे आदेशक का उपरोक्त भूमि पर कोई स्वामित्व या कब्जा कभी नहीं रहा और न है इस कारण भू स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों का प्रश्न ही नहीं उठता।

3– यह कि उपरोक्त भवन यदि मा0वि0प्रा0 के अनुसार अवैध कब्जा है तो उस पर प्राधिकरण अपने नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने हेतु स्वतंत्र है मेरे आदेशक के उपरोक्त भूमि व भवन से कोई लेना देना नहीं है तथा मेरा आदेशक प्राधिकरण द्वारा की गयी विधि सम्मत कार्यवाही का समर्थक है।

अस्तु आपसे विनम्र अनुरोध है, कि आप मेरे आदेशक उपरोक्त के विरूद्ध प्रेषित पुनः सुनवाई नोटिस जोकि काल्पनिक तथ्यों पर प्रेषित की गयी है उसे निरस्त करने का कष्ट करें।

श्रीमान जी की महान दया होगी।

भवदीय

राजेश कुमार दीक्षित
एडवोकेट

दिनांक - 21-8-25

नोटिस जवाब मिनजानिब डा० अभिषेक दीक्षित निवासी मकान नम्बर 128/बी बर्रा-2, कानपुर नगर द्वारा अधिवक्ता राजेश कुमार दीक्षित चैम्बर 25, शताब्दी अधिवक्ता भवन सिविल कोर्ट परिसर कानपुर नगर

बनाम

प्रभारी अधिकारी, (प्रवर्तन जोन-3), कानपुर विकास प्राधिकरण, स्थित मोतीझील, कानपुर नगर उ०प्र०

महोदय,

आपके द्वारा प्रार्थी को प्रेषित नोटिस पत्रांक सं० डी/1010/ प्रा० अधि० (जोन-3) का० वि० प्रा० कानपुर नगर/2025-2026/ दिनांक 07/08/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उपरोक्त नोटिस का प्रार्थी की ओर से आपको निम्नवत उत्तर प्रेषित किया जा रहा है।

1- यह कि प्रार्थी का उपरोक्त प्लाट सं० 559 डब्लू-1, जूही कला रकबा लगभग 500 वर्गगज से कभी कोई सरोकार या वास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी का निवास कभी 559 डब्लू-1 जूहीकला कानपुर नगर नहीं रहा और न है। तथा प्रार्थी एक होम्योपैथिक चिकित्सक है और वह डा० बृज किशोरी दुबे स्मारक धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थित 127/559 (बी-13) साकेत नगर कानपुर में निःस्वार्थ बिना किसी लाभ के जनकल्याणार्थ गरीब व मजदूर वर्ग को निःशुल्क चिकित्सा महीने में दो दिन प्रदान करता था तथा उपरोक्त अस्पताल के भवन/भूमि के स्वामित्व कब्जा से प्रार्थी का कोई कभी

2- यह कि यह भी स्पष्ट करना है कि इसके पूर्व प्रार्थी को आपकी नोटिस में कथित कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.07.2025 कभी नही मिला और प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कोई स्वामित्व या कब्जा कभी नही रहा और न है इस कारण भू स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. यह कि उपरोक्त भवन यदि ला.वि.प्रा. के अनुसार अवैध कब्जा है तो उस पर प्राधिकरण अपने नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने हेतु स्वतंत्र है प्रार्थी का उपरोक्त भूमि व भवन से कोई लेना देना नहीं है तथा प्रार्थी प्राधिकरण द्वारा की गयी विधि सम्मत कार्यवाही का समर्थक है।

अस्तु आपसे विनम्र अनुरोध है, कि प्रार्थी के विरुद्ध प्रेषित पुनः सुनवाई नोटिस जोकि काल्पनिक तथ्यों पर प्रेषित की गयी है उसे निरस्त करने का कष्ट करें।

श्रीमान जी की महान दया होगी।

प्रार्थी

डॉ० अभिषेक दीक्षित

Abhishek Dixit

J.E/RWC

कृ० परीक्षण कर आख्या प्रेषित करें।

[signature] 21/08/25

काо विоप्राо

ANNEXURE R1/33

काо विо प्राо

लेख एवं अज्ञायें

तहसीलदार/विशेष कार्याधिकारी (भूमि बैंक) महोदय,

कृपया प्रभारी अधिकारी अभियंत्रण खण्ड की आख्या दिनांक 19.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसमें अभियंत्रण खण्ड द्वारा विपक्षी के प्रतिउत्तर की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, विपक्षी द्वारा अपना प्रतिउत्तर अधिवक्ता श्री राजेश कुमार दीक्षित चेम्बर नं0–25 शताब्दी अधिवक्ता भवन सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड कानपुर नगर के जरिये प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भूखण्ड संख्या–559 डब्लू–1 जुही कलां का उनके आदेशक (डा0 अभिषेक दीक्षित) से कोई वस्ता/सरोकार नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल की चारो ओर प्राधिकरण की योजना विकसित है तथा पूर्ण रूप से शहरी आबादी आबाद है। राजस्व मानचित्र में अंकित चौमेडा, तिमेडा, सिहद्दा रेलवे लाइन इत्यादि स्थायी बिन्दु मौके पर मौजूद नहीं है। प्राधिकरण में उपलबध राजस्व मानचित्र/सुपर इम्पोज प्लान तथा डब्लू–1 जूही कला के तलपट मानचित्र से मौके पर मिलान किया गया, मिलान के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–559 डब्लू–1 जुही कला कानपुर नगर की आराजी संख्या–699पार्ट, 372पार्ट, 371पार्ट व 700पार्ट पर स्थित होना पाया गया। प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखानुसार ग्राम जुही कला की आराजी संख्या–699, 372, 371 व आराजी नं0–700 का सम्पूर्ण रकबा एवार्ड सं0–01 दिनांक 16.10.1958 से अर्जित तथा कब्जा दिनांक 18.10.1958 से प्राप्त है जो कि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। पत्रावली मूल रूप से अभियंत्रण जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

01/09/25

AE/JE

16/09/2025

16/9/25

तहसीलदार
का0 वि0 प्रा0

का0वि0 प्रा0

लेख एवं अज्ञायें

सहा0 लेखाकार/विशेष कार्याधिकारी महोदय,

कृपया पूर्व नोटशीट पृष्ठ संख्या–10 पर अंकित प्रभारी अधिशाषी अभियंता जोन–3 की आख्या दिनांक 30.09.2025 अवलोकित करने का कष्ट करें। जिसमें भूखण्ड संख्या–559, ब्लाक–डब्लू/1, योजना संख्या–द्वितीय कलां, कानपुर के आवंटन सम्बन्धी आख्या कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत् भूखण्ड का आवंटन/निबंधन विक्रय अनुभाग द्वारा नही किया गया है। गत् नोटशीट पृष्ठ संख्या–09 पर विशेष कार्याधिकारी भूमि बैंक की आख्या दिनांक 01.09.2025 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि के0डी0ए0 के स्वामित्व की भूमि है।

अतः उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क(4) के अर्न्तगत नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही पत्रावली अभियंत्रण खण्ड जोन–3 को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

Received 15/10/2025

पत्रावली आज प्राप्त की
रामकुमार
13-10-25
12-30pm

अखिलेश मिश्रा
सहा0 लेखाकार
15/10/2-

AE/JE
23/10/2025

HIGH COURT AT ALLAHABAD

ANNEXURE R1/34

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 3472 of 2025

Saurabh Bhaduria

.....Petitioner(s)

Versus

State Of Up And 8 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Prajjwal Tyagi, Sanjeev Kumar Tyagi
Counsel for Respondent(s)	:	Abhinava Krishna Srivastava, C.S.C., Shiv Prakash Gupta, Yash Padia

Court No. - 21

HON'BLE MANOJ KUMAR GUPTA, J.
HON'BLE SIDDHARTH NANDAN, J.

1. Issue notice to respondent nos. 8 and 9 by registered post, apart from normal mode of service. Steps to be taken within a week.

2. The petitioner has alleged that Plot No. 559 in Scheme II, Block W-1, Juhi Kalan, Saket Nagar, Kanpur is in illegal occupation of the private respondents. According to the petitioner, it is reserved for "park" and relevant notifications had already been issued notifying the same as "park".

3. Sri M.C. Chaturvedi, learned Senior Counsel, assisted by Sri Yash Padia, appearing on behalf of Kanpur Development Authority, Kanpur (respondent no. 2), has placed on record the instructions received from the said authority. It is admitted therein that Plot No. 559 is "park". It is stated that on 15.9.1998, it was allotted for ten years by the then Chief Engineer in favour of Dr. Brij Kishore Dubey Memorial School for maintenance. It is admitted that even after expiry of the said period, the allottee is still in possession. It is also stated that notice under Section 26A(4) of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 has already been issued on 7.7.2025.

4. Learned Senior Counsel appearing for the Kanpur Development Authority is unable to satisfy us as to how the land which was earmarked for "park" was allotted to a private college. The instructions do not disclose that any action was taken against the Chief Engineer, though he is stated to have retired. The role of other officials of Kanpur Development Authority in the said allotment would also require investigation.

5. We direct the Principal Secretary, Housing and Urban Planning Development, to constitute a team of two officials, one of the rank of Additional Secretary and another of the rank of Commissioner of the Division, to enquire into the entire aspect relating to allotment and to identify role of each officer in the allotment process. The Committee shall submit its report within four weeks to the Principal Secretary, Housing and Urban Planning Development. It is expected that the Principal Secretary, Housing and Urban Planning Development will take appropriate action on basis of the said report and apprise the Court of the same by means of his affidavit within two weeks. Kanpur Development Authority, Kanpur will extent full assistance in the enquiry.

6. List on 05.01.2026 along with PIL No. 1348 of 2025.

7. In the meantime, in case any final order is passed in the proceedings under Section 26A(4) of the Act, 1973, the same shall be brought on record.

8. Sri Rajiv Gupta, learned Additional Chief Standing Counsel, shall communicate the instant order to the Principal Secretary, Housing and Urban Planning Development, within a week, so that the same is duly complied with.

(Siddharth Nandan,J.) **(Manoj Kumar Gupta,J.)**

November 10, 2025

Jaideep/-